वार्षिक रिपोर्ट
2015-2016

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

वार्षिक रिपोर्ट
2015-2016

विषय सूची

lph		i"B l-
lkekU;		
1.1	मिशन	6
1.2	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य और इसकी भूमिका	6–7
1.3	महानिदेशक का प्रतिवेदन	8–9
1.4	ऊर्जा उपयोग के रूझान	10–11
1.5	उपलब्धियां	11
1.6	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्कीमें	12–27
1.7	राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और चित्रकला प्रतियोगिता	27–40
vrjk"Vªh; lg;kx		
2.1	अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम	42–50
2.2	बहुपक्षीय कार्यक्रम–जारी कार्यक्रम	50–54
C;jk dk ys[kk		
3.1	पूंजीगत संरचना	56
3.2	वित्तीय परिणामों का सारांश	56
3.3	ब्यूरो की कार्यशैली में सुधार अथवा सुदृढ़ीकरण हेतु किए गए उपाय	56
3.4	लेखों का वार्षिक विवरण	56–85
iz'kklu		
4.1	शिकायत निवारण	87
4.2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	87
4.3	अल्पसंख्यकों का कल्याण	87
4.4	राजभाषा का कार्यान्वयन	88
4.5	सतर्कता	88
4.6	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	88

1

I kekU ;

1.1 मिशन

1.2 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य और उसकी भूमिका

1.3 महानिदेशक का प्रतिवेदन

1.4 ऊर्जा–उपयोग के रुझान

1.5 उपलब्धियां

1.6 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्कीमें

1.7 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और चित्रकला प्रतियोगिता

1-1 fe'ku

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मिशन स्वत विनियमन और बाजार सिद्धांतों पर बल देते हुए, भारतीय अर्थ व्यवस्था की ऊर्जा गहनता को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की समग्र रूपरेखा के अंदर नीति और कार्यनीतियों का विकास करना है। इसे सभी पणधारियों की सक्रिय भागीदारी से प्राप्त किया जाएगा और परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को त्वरित और निरंतर रूप से अपनाया जाएगा।

1-2 Åtk n{krk C;jk dk mís'; vkj bl dh Hkfedk

Åtk n{krk C;jk dk mís';

- राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों को नीतिगत रूपरेखा और दिशा–निर्देश प्रदान करना।
- व्यक्तिगत क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता सुधारों को मापने, उनकी निगरानी और जांच करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की स्थापना करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बहुपक्षीय, द्विपक्षीय तथा निजी क्षेत्र का सहयोग को बढावा देना।
- पणधारियों की भागीदारी से ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों और नीतियों में समन्वय स्थापित करना।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में यथा विचारित ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाना, उनकी देखरेख करना और उन्हें क्रियान्वित करना।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में यथा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, निजी – सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से, ऊर्जा दक्षता सुपुर्दगी क्रियाविधि का प्रदर्शन करना।

Åtk n{krk C;jk dh Hkfedk

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत तथा ब्यूरो को सौपे गए कार्यो का निष्पादन करने के लिए ऊर्जा सरंक्षण/दक्षता के क्षेत्र में कार्य कर रहे अभिहित अभिकरणों, अभिहित उपभोक्ताओं और अन्य संगठनों के साथ समन्वय करता है, मौजूदा संसाधनों और अवसंरचनाओं की पहचान करता है, और उनका उपयोग करता है।

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में विनियामकवत् और संवर्धनात्मक कार्यों का भी प्रावधान है।

fofu;kedor Hkfedk

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की विनियामकवत् भूमिका निम्नलिखित कार्यों के विकास हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों को समर्थन प्रदान करने की है:

- उपकरण और यंत्रों के लिए न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन मानक विकसित करना तथा डिजाइन की लेबलिंग करना।
- विशिष्ट ऊर्जा संरक्षण भवन निर्माण संहिता विनिर्दिष्ट करना।
- अभिहित उपभोक्ताओं पर केन्द्रित गतिविधियां।
- ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों का प्रमाणन।
- ऊर्जा लेखा परीक्षकों को प्रत्यायन।
- अनिवार्य ऊर्जा लेखापरीक्षणों की प्रक्रिया एवं आवधिकता निर्धारित करना।
- ऊर्जा खपत के रिपोर्टिंग प्ररूप तैयार करना तथा ऊर्जा लेखा परीक्षकों की सिफारिशों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना।

lo/kukRed Hkfedk

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की प्रमुख संवर्धनात्मक भूमिका मे निम्नलिखित शामिल है:

- ऊर्जा दक्षता और संरक्षण पर जागरूकता पैदा करना तथा जानकारी का प्रसार करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए कार्मिकों और विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना।

- ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में परामर्शी सेवाओं का सुदृढीकरण।
- अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
- परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया तैयार करना और परीक्षण सुविधाओं का संवर्धन।
- प्रायोगिक परियोजनाओं तथा निदर्शन परियोजनाओं को तैयार करना और उनको क्रियान्वयन का सरलीकरण।
- ऊर्जा दक्ष प्रक्रियाओं, उपकरणों, यंत्रों और प्रणालियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा दक्ष उपकरणों अथवा यंत्रों के इस्तेमाल के लिए तरजीही उपचार को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना।
- ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के नवोन्मेषी निधीयन को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण पर शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

1-3 egkfun'kd dk Áfronu

jk"Vh; Åtk j.kuhfr e Åtk n{krk dk vc rd lokf/kd egRo fn;k x;k g] rkfd lHkh rd Åtk igqpkÃ tk ld vkj tyok;q ifjorZu dk 'keu djr g, vkfFkd fodkl lqfuf'pr fd;k tk ldA

भारतीय अर्थव्यवस्था का विशेष लक्षण जीवाश्म ईंधन पर अधिक निर्भर होना है, जिसका अधिकांश भाग आयात किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में, ऊर्जा दक्षता, देश में ऊर्जा की मांग को पूरा करने के साथ–साथ ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और सतत विकास की ओर अग्रसर होने के लिए एक अनिवार्य घटक है।

अभी हाल ही में, भारत के लिए सीओपी 21 करार किया गया ताकि अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (आईएनडीसीएस) को पूरा करने के लिए ठोस और मापनीय परिणामों देने की चुनौती से निपटा जा सके। अधिकाधिक हरित आर्थिक मॉडल के प्रति इस झुकाव के लिए सतत व्यापार मॉडल, नवोन्मेष और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी और क्रियातंत्र तथा निम्न कार्बन विकास के लिए श्रेष्ठतम पद्धतियां अपेक्षित होंगी। ऊर्जा, सतत विकास की कुंजी है। हमें इसकी आवश्यकता आजीविका, गतिशीलता, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए होती है।

वर्ष 2015–16 के दौरान, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की गतिविधियां, इसकी स्कीमों, नामतः राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई), मानक और लेबलिंग (एसएंडएल), (लघु और मध्यम उद्यमी), एसएमई कृषि और नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन, बचत लैंप योजना (बीएलवाई), और ऊर्जा संरक्षण भवन निर्माण संहिता (ईसीबीसी) के प्रचालन और उन्हें सहज कार्यान्वयन पर केन्द्रित रहीं। इन स्कीमों का प्रमुख उद्देश्य ऊर्जा की बढ़ती लागतों, निवेश में मौजूद बाधा और अन्तिम उपयोगकर्ता तक वहनीय ऊर्जा डिलीवर करने की तत्काल आवश्यकता के संदर्भ में देश के प्रमुख ऊर्जा खपत वाले क्षेत्रों को शमिल करते हुए सतत विकास को आगे ले जाना था।

इस वित्तीय वर्ष की प्रमुख उपलब्धि रही निष्पादन, अधिप्राप्ति और व्यापार (पैट) के द्वितीय चक्र को आरम्भ करना। इसका उद्देश्य, 8.869 एमटीओई की समग्र ऊर्जा खपत में कटौती प्राप्त करना है। पैट चक्र I 31 मार्च 2015 को पूरा कर लिया गया। तत्पश्चात अभिहित उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए निष्पादन मूल्यांकन प्रलेखों (पीएडीएस) की ऊर्जा दक्षता द्वारा, जांच भी गई। पैट चक्र I के 478 अभिहित उपभोक्ताओं को दिए गए 6.686 एमटीओई के लक्ष्य के प्रति 427 अभिहित उपभोक्ताओं को इस संबंध में 8.67 एमटीओई उपलब्धि हुई।

पैट के अंतर्गत अभिहित उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से पैट का "तीव्रीकरण" और "विस्तारण"किया गया। तीव्रीकरण अध्ययन के अंतर्गत 89 अभिहित उपभोक्ताओं की पहचान की गई और पैट चक्र II के लिए उन्हें अधिसूचित किया गया तथा "विस्तारण" के अंतर्गत तीन नए क्षेत्रों– रेलवे, रिफाइनरी और बिजली वितरण कम्पनियों को अधिूसचित किया गया। इन नए अधिसूचित क्षेत्रों के 84 अभिहित उपभोक्ताओं को पैट चक्र II के अंतर्गत शामिल किया गया। बीईई ने 'पैट' के अंतर्गत,यथा परिभाषित पैट नियमों के अनुसार इलैक्ट्रानिक प्ररूप में ऊर्जा बचत प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन पैटनैट पोर्टल भी विकसित किया है।

इसी प्रकार मानक और लेबलिंग स्कीम के अंतर्गत, इस वर्ष की कुछ मुख्य उपलब्धियां थीं – कैसेट टाइप एयर कंडीशनर्स और रूम एयर कंडीशनर्स (आरएसी) के लिए तथा फ्रास्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स ऊर्जा मानकों में संशोधन मानक और लेबलिंग को अनिवार्य बनाना। वित्तीय वर्ष 2016–17 में तीन और मौजूदा स्वैच्छिक उत्पादों नामतः इलैक्ट्रिक गीजर, डाइरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर्स और रंगीन टेलिविजन को अनिवार्य क्षेत्र में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इन अनिवार्य स्कीमों के परिणामस्वरूप, उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में भारी वृद्धि होगी जिससे आने वाले वर्षों में काफी हद तक सीओ2 उत्सर्जन को घटाया जा सकेगा।

'डिस्काम्स' की क्षमता निर्माण के अंतर्गत, बीईई ने राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान के साथ मिलकर'प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम' के अंतर्गत मास्टर प्रशिक्षुओं के रूप में 32 डिस्काम के 504 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के इस दौरे में पीआरजीएफईई के लिए पर्यवेक्षण समिति बनाकर और इसके कार्यान्वयन अभिकरण नियुक्त करके तथा वीसीएफईई ट्रस्ट को पंजीकरण करके ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम गारंटी निधि (पीआरजीएफईई) और दक्षता के लिए जोखिम पूंजी निधि संस्थनीकरण करना भी एक मील का पत्थर साबित हुआ है। ऐसार करने से, सरकार ऊर्जा दक्षता

परियोजनाओं के लिए वित्तीय बाजारों का सुदृढ़ीकरण करते हुए बाजारों का सृजन कर रही है। इन वित्तीय उपकरणों से उधार देने वालों में विश्वास उत्पन्न होगा और अंत तक ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को साम्यता सहायता दी जाएगी। बीईई ने, जून 2015 में ऊर्जा दक्षता निधीयन पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया जिसमें मार्च 2016 तक 80 से अधिक कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया।

ऊर्जा संरक्षण भवन निर्माण संहिता (ईसीबीसी) द्वारा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों में ईसीबीसी सैलों की स्थापना करके राष्ट्रीय मिशन को जारी रखा गया। जनवरी 2016 में, विभिन्न श्रेणियों के भवनों के लिए ऊर्जा निष्पादन बैंचमार्क स्थापित करने हेतु "वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा बैंचमार्क" का विमोचन किया गया।

कुल मिलाकर, इस वित्तीय वर्ष में, बीईई का मुख्य ध्यान, देश के लिए नए ऊर्जा दक्षता मॉडलों के सुदृढ़ीकरण और विकास करने के साथ साथ ब्यूरो के विद्यमान कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन पर मुख्यतः केन्द्रित रहा।

अंततः, मैं ब्यूरो की कर्मठ टीम की प्रशंसा करने के अवसर का लाभ उठाना चाहूँगा जिन्होंने ब्यूरो की इन स्कीमों को क्रमिक गति देने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य किया। मैं, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने ऊर्जा दक्ष अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के प्रति अपना मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान किया।

1-4 Åtk mi;kx d #>ku

Áfr&O;fDr Åtk [kir vkj Åtk xgurk

वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत (पीईसी) की गणना उस वर्ष के अनुमानित मध्य वर्ष की जनसंख्या से वर्ष के दौरान कुल ऊर्जा खपत के अनुमान के अनुपात से की जाती है। ऊर्जा गहनता को सकल घरेलू उत्पाद की एक इकाई (स्थिर मूल्यों पर) के उत्पादन में खपत की गई ऊर्जा की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। पीईसी और ऊर्जा गहनता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर अधिकतर प्रयोग किए जाने वाले नीतिगत सूचक हैं। विभिन्न स्रोतों से अपरम्परागत ऊर्जा की खपत के आंकड़ों के अभाव में, विशेषकर विकासशील देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, के ग्रामीण क्षेत्रों में ये दो सूचकों की गणना सामान्यतया परम्परागत ऊर्जा की खपत के आधार पर की जाती है। पैटा जूल्स में खपत, कोयला और लिग्नाइट के रूप में ऊर्जा की वर्ष 2013–14 के दौरान कुल खपत का लगभग 41.29% थी। क्रूड पेट्रोलियम, दूसरे स्थान पर (38.70%) जबकि बिजली, तीसरे स्थान पर (14.47%) थी।

- वर्ष 2012–13 के दौरान परम्परागत स्रोतों से ऊर्जा की कुल खपत 23,903 पैटा जूल से बढ़कर वर्ष 2013–14 के दौरान 24,071 पैटा जूल हो गई, जो 0.70% की वृद्धि दर्शाती है।
- प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत (पीईसी) (उस वर्ष की अनुमानित छमाही जनसंख्या के अनुपात में वर्ष के दौरान अनुमानित कुल ऊर्जा खपत) वर्ष 2005–06 में 13,694.83 मेगा जूल से बढ़कर 2013–14 में 19,522.15 मेगा जूल हो गई जो 4.53% का सीएजीआर है। वर्ष 2012–13 की तुलना में वर्ष 2013–14 पीईसी में वार्षिक गिरावट 0.60% हुई।

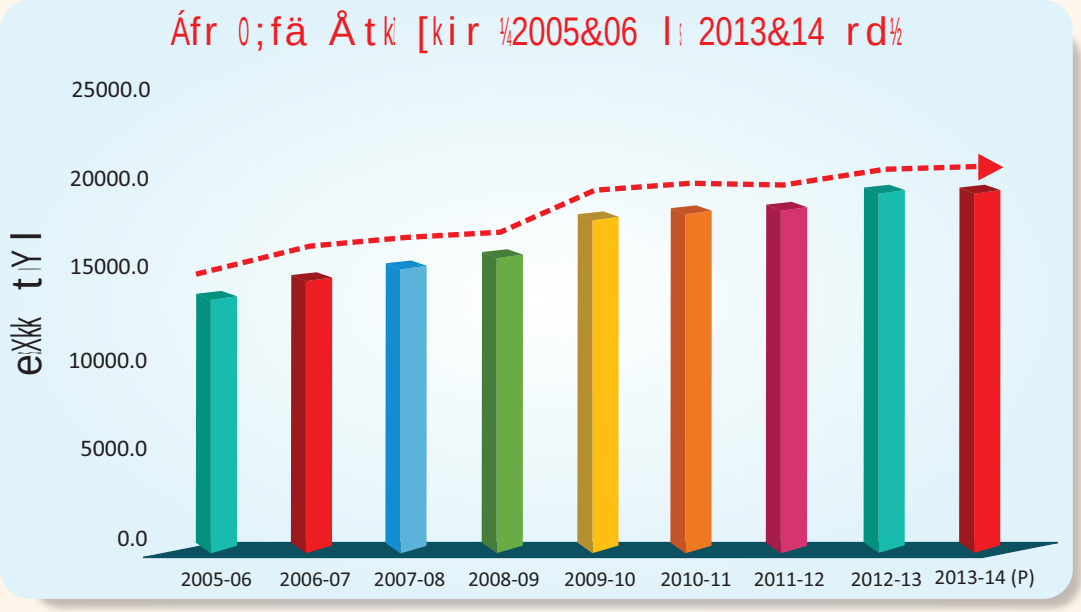

- ऊर्जा की गहनता (सकल घरेलु उत्पाद की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए) (2004–05 की कीमत पर प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा) वर्ष 2005–06 में 0.4656 मेगा जूल से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 0.4192 मेगा जूल हो गई।

I kr % एमओएसपीआई

1-4-1 ?kjk e Åtk mi;kx dk iVu

यद्यपि भोजन पकाने और रोशनी के लिए मूलभूत ईंधन के उपयोग के बारे में आंकड़े ग्रामीण और शहरी घरों की प्रमुख आदतों पर प्रकाश डालते हैं, परन्तु संपूर्ण भारतीय घरों में भोजन पकाने, रोशनी और ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए असंख्य साधनों तक नहीं पहुँच पाते हैं।

पूरे भारत में सर्वाधिक पैमाने पर उपयोग किए जाने वाले ईंधन के स्रोत हैं केरोसिन और जलाऊ लकड़ियां। लगभग 79 प्रतिशत घरों में केरोसिन का उपयोग होता है, 71 प्रतिशत घरों में लकड़ियां जलाते हैं और केवल 64 प्रतिशत बिजली का उपयोग करते हैं। जैसाकि बुनियादी रोशनी और भोजन पकाने के ईंधन के आंकडों से ऊपर दर्शाया गया है, ग्रामीण और शहरी घरों में ईंधन के इस्तेमाल के पैटर्न में भारी अंतर है। सूचित किया गया है कि लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण घरों में केरोसिन का उपयोग किया जाता है, जबकि रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत शहरी घरों में केरोसीन का प्रयोग होता है। इसी प्रकार, शहरी 19 एनएसएस के 12 ईंधन श्रेणियों (मोमबती, तारकोल, कोयला, कोक, गोबर के उपले, बिजली, जलाऊ लकड़ी एवं लकड़ी के छीलन, गोबर गैस, केरोसिन, एलपीजी, माचिस, और अन्य ईंधन) पर एकत्रित किए गए आंकड़ों से पता चला है कि केवल 30 प्रतिशत शहरी निवासियों की तुलना में 86 प्रतिशत ग्रामीण घरों में लकड़ी जलाई जाती है।

एनएसएसओ आंकड़ों के अनुसार (64वां राउंड, 2007/08), ग्रामीण भारत में भोजन पकाने का प्रमुख स्रोत जलाऊ लकड़ी है और उसके बाद एलपीजी का स्थान आता है केवल 0.6 प्रतिशत ग्रामीण घरों में भोजन पकाने का प्रमुख ईंधन केरोसिन है। भोजन पकाने का मूलभूत ईंधन के संबंध में, 77 प्रतिशत ग्रामीण घरों में लकड़ी जलाई जाती है, 9 प्रतिशत लोग एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं और 7 प्रतिशत गोबर के उपलों का उपयोग करते हैं। जलाऊ लकड़ी की प्रति व्यक्ति खपत 26.7 किलोग्राम है और एलपीजी की खपत 0.2 किलोग्राम हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से केरोसिन की प्रति व्यक्ति प्रतिमाह खपत 0.5 लीटर है, जिसमें भोजन पकाने और रोशनी के लिए खपत भी शामिल है।

ऊर्जा दक्षता (ईई), कठिन पर्यावरण और संसाधनों की कमी के चलते, विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की मुहिम में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। अनेक ऊर्जा दक्षता के विकल्प, कोयला अथवा गैस आधारित उत्पादों से सस्ते होते हैं और इसलिए, मांग को पूरा करने के लिए इन्हें मूलभूत संसाधन समझा जाना चाहिए।

1-5 miyfC/k;k

- jk"Vªh; ÅtkZ laj{k.k iqjLdkj&2015 – के अंतर्गत, 2 यूनिटों को सर्वोच्च स्थान मिला, 41 यूनिटों को प्रथम पुरस्कार, 42 यूनिटों को द्वितीय पुरस्कार और 63 यूनिटों को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। प्रतिभागी यूनिटों ने संयुक्त रूप से ऊर्जा संरक्षण उपायों में 2384.32 करोड़ रूपये का निवेश किया और 2928.42 करोड़ रूपये की आर्थिक बचत प्राप्त की। प्रतिभागी यूनिटों ने 2598 मिलियन किलावाट प्रति घंटा की विद्युत ऊर्जा की बचत भी की, जो 0.70 के पीएलएफ पर 486 मेगावाट तापीय ऊर्जा की उत्पादित ऊर्जा के समकक्ष है।
- देश भर से, लगभग 1,00,000 विद्यालयों के 105.25 लाख छात्रों ने jk"Vªh; fp=dyk izfr;ksfxrk&2015 में भाग लिया। यह प्रतिभागिता गत वर्ष की तुलना में लगभग 75 प्रतिशत अधिक थी।
- fu"iknu] vf/kizkflr vkSj O;kikj ¼iV½ का उद्देश्य अपने द्वितीय चक्र में 11 अधिसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत डिस्काम्स को दिए गए कटौती लक्ष्यों के प्रति 8.869 मीटरी टन तेल के समकक्ष समग्र ऊर्जा खपत में कमी प्राप्त करना था। पैट चक्र II, 1 अप्रैल, 2016 से आरम्भ हुआ जिसमें 621 अभिहित उपभोक्ता शामिल हैं।
- तीन नए क्षेत्र–रेलवे, रिफाइनरी, और बिजली वितरण कम्पनियों को अधिसूचित किया गया है और इस अधिसूचना को 29 दिसम्बर, 2015 को राजपत्र में प्रकाशित कराया गया। इन नए अधिसूचित क्षेत्रों में से 84 अभिहित उपभोक्ता को पैट चक्र II के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- पैट चक्र I में 478 अभिहित उपभोक्ता के लिए 6.686 एमटीओई के दिए गए लक्ष्य की तुलना में पैट चक्र I मे 427 अभिहित उपभेक्ता के लिए उपलब्धि 8.67 एमटीओई हुई।
- बीईई ने जुलाई 2015 में पीआरजीएफईई में प्रचालन के लिए आरईसीपीडीसीएल–आरईसी–ईईएसएल संकाय को कार्यान्वयनकर्ता अभिकरण के रूप में नियुक्त किया है। बीईई ने ÅtkZ n{krk dsfy, vkaf'kd tksf[ke xkjaVh dks"k ¼ihvkj th,QbbZ½ में अंशदान करने के लिए अक्टूबर, 2015 में येस बैंक के साथ एक चार्टर पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
- भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के प्रावधानों के अनुसार ÅtkZ n{krk dsfy, tksf[ke iwath fuf/k ¼ohlh,QbbZ½ भी गठित किया है और इस संबंध में ट्रस्ट के दस्तावेज 7 जुलाई 2015 को भारत सरकार के न्यायाधिकरण उप–रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराए गए है।
- वर्ष 2015 में, chbbZ us] ÅtkZ n{krk fu/kh;u eap ¼bbZ,Qih½ के अंतर्गत, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के'ऊर्जा दक्षता निधीयन' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारतीय बैंक एसोसिएशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जून 2015 में, नैनीताल और मुम्बई में क्रमशः उत्तरी और पश्चिमी जोनों के प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए दो कार्यशालाएं आयोजित की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत के दौरान बीईई ने अपने प्रकाशन – "भारत में निधीयत ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं की सफलता गाथा" और "भारत में ऊर्जा दक्षता निधीयन के लिए प्रशिक्षण मैन्युअल" का विमोचन किया।

- उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों मे bZ lhch lh सैल स्थापित किए गए और महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों में ईसीबीसी सैलों के सृजन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

1-6 Åtk n{krk C;jks dh Ldhe

lLFkkxr fØ;kfof/k
- राज्य अभिहित अभिकरण का सुदृढ़ीकरण
- राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि में योगदान

midj.kksa dh LVkj jsfVax
- 5 अनिवार्य लेबलयुक्त उपकरण
- 16 स्वैच्छिक लेबलयुक्त उपकरण

tkx:drk
- ऊर्जा संरक्षण अवार्ड
- चित्रकला प्रतियोगिता

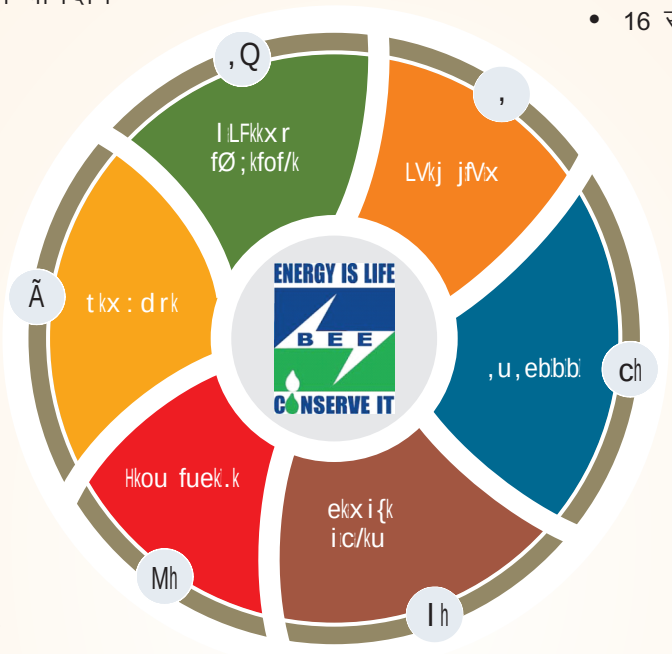

jk"Vªh; lao/kZr Åtk n{krk fe'ku
- निश्पादन, अधिप्राप्ति और व्यापार (पैट)
- ऊर्जा दक्षता बाजार रूपांतरण (एमटीईई)
- ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास ढ़ांचा (एफईईईडी)
- ऊर्जा दक्षता निधीयन मंच (ईईएफपी)

Åtk n{krk Hkou fuekZ.k
- ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता
- पुराने भवनों को पुनः उपयुक्त बनाना
- आवासीय भवन निर्माण दिशा निर्देश

x- ekax i{k izca/ku
- कृषि मांग पक्ष प्रबंधन
- नगर पालिका मांग पक्ष प्रबंधन
- एसएमई में ऊर्जा दक्षता
- डिस्कॉम्स का क्षमता निर्माण

1-6-1 jk"Vªh; lao/kZr Åtk n{krk fe'ku ¼,u,ebZbZbZ½ & okf"kZd fjiksVZ ¼2015&16½

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत आठ मिशनों में से एक राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) है। एनएमईईई का उद्देश्य सहायक विनियामक और नीति व्यवस्था का सृजन करके ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार को मजबूज बनाना है तथा ऊर्जा दक्षता क्षेत्र के लिए संपुष्टकारी नवप्रवर्तन तथा सतत व्यापार मॉडल का विकास करना है।

एनएमईईई ने ऊर्जा गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए चार नई शुरूआतें की हैं, जो निम्नानुसार हैं :–

I. निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार स्कीम (पीएटी), जो ऊर्जा गहन उद्योगों में विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के लिए एक विनियामक उपकरण है तथा जिसका अधिक ऊर्जा बचत के प्रमाणन द्वारा लागत प्रभावकारिता को बढ़ाने की क्रियाविधि पर आधारित संगठित बाजार है,के साथ और इन प्रमाण पत्रों को बेचा जा सकता है।

ii. ऊर्जा दक्षता बाजार रूपांतरण (एमटीईई), जो उत्पादों को अधिक वहनीय बनाने के लिए नवोन्मेष उपायों के माध्यम से अभिहित क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता उपकरणों को त्वरित बदलने का कार्य करता है।

iii. ऊर्जा दक्षता निधीयन मंच (ईईएफपी), जो भावी ऊर्जा बचतों को अभिग्रहीत करके सभी क्षेत्रों में मांग पक्ष प्रबन्धन कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता देने की एक क्रियाविधि है।

iv. ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास ढांचा (एफईईईडी), जो ऊर्जा दक्षता के संवर्धन के लिए वित्तीय साधन है।

यह मिशन, ऊर्जा दक्षता के बाजार खोलने के प्रयासों को उन्नत करना चाहता है, जो अनुमानत लगभग 74,000 करोड़ का है और इसके पूर्ण कार्यान्वयन स्तर पर, 19598 मेगावाट की कुल परिहार्य क्षमता वृद्धि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, प्रतिवर्ष लगभग 23 मिलियन टन की ईधन बचत तथा प्रतिवर्ष 98.55 मिलियन टन की ग्रीन–हाउस गैस उत्सर्जन की कमी होगी।

,u,ebbbi dk tkjh j[kus ds fy, dqy 775 djksM+ :i;s ds ifj0;; ij 6 vxLr] 2014 dks ef=eMy }kjk vuqeknu fn;k x;k FkkA ftl es 'kkfey gS %

(क) निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पीएटी) स्कीम के लिए 190 करोड़ रूपये।

(ख) ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास ढांचा (एफईईईडी) और ऊर्जा दक्षता निधीयन मंच (ईईएफपी) स्कीम के लिए 462.50 करोड़।

(ग) ऊर्जा दक्षता बाजार रूपांतरण (एमटीईई) के लिए 122.50 करोड़ रूपये, जिसमें पंखों के लिए अति–दक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी) के लिए 100 करोड़ रूपये और बचत लैंप योजना (बीएलवाई) के लिए 22.50 करोड रूपये हैं।

,u,ebbbi dh pkj 'kq: vkrks dh fLFkfr fuEukuq lkj gS %

(I) fu"iknu] ikfIr vkj 0;kikj Ldhe ¼ih,Vh½ %

• iSV pØ 1 & ¼2012-13 ls 2014-15½

प्रथम चक्र में निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार को विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी), अर्थात् आठ क्षेत्रों नामतः अल्युमीनियम, सीमेंट, क्लोर अल्कली, उर्वरक, लौह और इस्पात, कागज और लुगदी, तापीय विद्युत संयंत्र और कपड़ा में 478 औद्योगिक इकाइयों में प्रति यूनिट प्रयुक्त ऊर्जा को कम करने के लिए अभिकल्पित किया गया था। इन 478 औद्योगिक इकाइयों, जिन्हें अभिहित उपभोक्ता (डीसी) कहा जाता है, को उनके वर्तमान ऊर्जा दक्षता स्तर के आधार पर ऊर्जा बचत के लक्ष्य दिए जाते हैं, ताकि कम ऊर्जा दक्ष यूनिटों, जिनके लक्ष्य ऊंचे हैं, की तुलना में प्रतिशतता में कमी के निम्न लक्ष्य हो सकेंगे। सकल एसईसी कमी के लक्ष्यों का उद्देश्य इन उद्योगों की कुल ऊर्जा खपत में 4.05% की कमी को प्राप्त करना था जिससे 6.686 मिलियन टन तेल के समतुल्य कुल ऊर्जा बचत होगी। वे इकाइयां जो एसईसी के उस स्तर को प्राप्त कर सकीं, जो उनके लक्ष्य से कम था, को उनकी अधिक बचतों के लिए ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र (ईएस प्रमाण पत्र) प्राप्त कर सकेंगी।

पैट चक्र I 31 मार्च 2015 को पूरा हो गया। अभिहित उपभोक्ताओं के निष्पादन मूल्यांकन की जांच, ईएमएईए के माध्यम से बीईई द्वारा की गई। पैट चक्र I के 478 डीसी में से 21 डीसी समाप्त कर दिए गए और 8 डीसी, जिनका उपभोग न्यूनतम स्तर से कम है, को तापीय विद्युत संयंत्र के 1 डीसी को भी निष्कासित कर दिया गया। शेष 448 कार्यरत डीसी में से, 427 डीसी द्वारा निष्पादन मूल्यांकन प्रलेखों का बीईई द्वारा पूरा किया गया है। 427 डीसी के संबंध में उपलब्धियां, पैट चक्र I के 478 डीसी को दिए गए 6.686 मीटरी टन तेल समतुल्य के प्रति 8.67 एमटीओई बैठती हैं।

• Åtk cpr iek.k i= ¼b,l Áek.k lk=½

बीईई ने, पैट नियम 2012 में यथा परिभाषित इलैक्ट्रानिक प्ररूपों में ईएस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक ऑनलाइन नेट पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल पर, सभी पणधारियों जैसे अभिहित उपभोक्ता, एसडीए के अधिकारी, बीईई तथा विद्युत मंत्रालय को ऑनलाइन संगत अनुभागों तक सुरक्षित पहुंच प्रदान की गई। इन पणधारियों के डैश बोर्ड को ऑनलाइन ईएस प्रमाण पत्र जारी करने और ऑनलाइन डाटा भेजने के लिए तैयार किया गया।

iV pØ I - miyfC/k;k

miyfC;k;k			
Øe l-	{k=	igpku fd, x, MhlCh dh l[;k	cpr ¼fefy;u VhvkÃ½
1	अल्युमिनियम	10	0.73
2	सीमेंट	75	1.44
3	क्लोर – अल्कली	22	0.13
4	उर्वरक	29	0.83
5	लौह और इस्पात	60	2.10
6	कागज़ और लुगदी	26	0.26
7	कपड़ा	82	0.12
8	तापीय विद्युत संयंत्र	123	3.06
	dy	**427**	**8.67**

vkdfyr 427 MhlCh l; yxHkx 8-67 ,eVhvkÃ dh cpr ¼5-24 Áfr'kr½ **Co_2** U;wuhdj.k & 31 fefy;u VuA

- iV pØ II-¼2016&17 l; 2018&19 rd½

पैट के अंतर्गत इस चक्र में अभिहित उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से पैट की "गहनता" और "विस्तारण" का कार्य किया गया। गहन शुरूआत अध्ययन के अंतर्गत, 89 अतिरिक्त डीसी, जिन्हें मौजूदा क्षेत्रों से अभिहित किया गया था, को पैट चक्र II के अंतर्गत अधिसूचित किया गया। विस्तारण के अंतर्गत, तीन नए क्षेत्रों, रेलवे, रिफाइनरी और विद्युत डिस्काम को 29 दिसम्बर, 2015 को अधिसूचित किया गया एवं राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इन नए अधिसूचित क्षेत्रों में से 84 डीसी को पैट चक्र II के अंतर्गत शामिल किया गया है।

निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार का उद्देश्य अपने द्वितीय चक्र में सकल ऊर्जा खपत में 8.869 एमटीओई की कमी प्राप्त करना है, जिसके लिए डीसी को 11 अधिसूचित क्षेत्रों (आठ मौजूदा क्षेत्र तथा तीन नए अधिसूचित क्षेत्र) के अंतर्गत कटौती लक्ष्य दिए गए। पैट चक्र II, 1 अप्रैल, 2016 से आरम्भ हो गया है जिसमें 621 डीसी शामिल है 448 मौजूदा और 89 अतिरिक्त डीसी मौजूदा क्षेत्रों से तथा 84 डीसी नए अधिसूचित क्षेत्रों नामतः, रेलवे, विद्युत डिस्काम तथा रिफाइनरी से अधिसूचित किया गया है।

पैट चक्र II – पहचान किए गए क्षेत्र और अभिहित उपभेक्ता

Øe l-	{k=	iV &I esa MhlCh dh l-	iV pØ II esa vfrfjDr MhlCh	iV 2 MhlCh dh dy l-
1	अल्युमिनियम	10	2	12
2	क्लोर – अल्कली	22	3	24
3	कपड़ा	90	14	99
4	कागज़ और लुगदी	31	4	29
5	लौह और इस्पात	67	9	71
6	उर्वरक	29	8	37
7	सीमेंट	85	27	111
8	तापीय विद्युत संयंत्र	144	22	154
9	रिफाइनरी	लागू नहीं	18	18
10	डस्कन्स	लागू नहीं	44	44
11	रेलवे	लागू नहीं	22	22
	dy			**621**

iV pØ II vk/kkj j[kk o"k ¼ 2014 & 15 iV pØ 2016 & 2019 vkdyu o"k ¼ 2018&19

11 {k=k esa dy Åtk [kir ¼ 227 fefy;u VhvkÃ

jk"Vªh; y{; ¼ 8-869 fefy;u VhvkÃ

(ii) Åtkl n{krk cktkj :ikarj.k ¼,eVhbZbZ½

राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) के अंतर्गत इस पहल का उद्देश्य उत्पादों को अधिक वहनीय बनाने के लिए नए नए उपायों के माध्यम से अभिहित क्षेत्रों में ऊर्जा दक्ष उपकरणों को तेजी से बदलना है। एमटीईई के अंतर्गत बाजार में ऊर्जा दक्ष उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए दो कार्यक्रम शुरू किए गए।

- **cpr yEi ;kstuk ¼ch,yokbZ½**

बचत लैम्प योजना (बीएलवाई) का विकास अदक्ष बल्बों के बदले कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प (सीएफएल) लाने केलिए किया गया था। यह स्कीम भारत सरकार, निजी क्षेत्र के सीएफएल आपूर्तिकर्ताओं तथा राज्य स्तरीय विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के बीच संतुलित सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए एक अद्भूत मंच मुहैया कराती है तापदीप्त लैम्प (आईसीएल) के बदले में आवासीय घरेलु उपयोग के लिए सब्सिडी प्राप्त मूल्य पर उच्च गुणक्ता के सीएफएल वितरित करने के लिए एक ढांचा मुहैया कराती है

वर्तमान में बीएलवाई कार्यक्रम में एलईडी के प्रसार को सहायता देना तथा ईईएसएल और आरईसी जैसे प्रतिभागी अभिकरणों को तकनीकी सहायता मुहैया कराना शामिल है। अब तक ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा घरेलु उपभोक्ताओं को 99.9 मिलियन एलईडी लाइटें और 7.5 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी हैं।

- **vfr&n{krk midj.k dk;Øe ¼,lbZbZih½**

एसईईपी कार्यक्रम, हस्तक्षेप के सांक्रितिक बिंदुओं पर नए.नए वित्तीय प्रोत्साहन मुहैया कराके अति.दक्ष उपकरणों के लिए बाजार का रूपांतरण करने हेतु तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहले उपकरण के रूप में स्वीकार्य किया गया अभिहित उपकरण छत का पंखा है। इसका उद्देश्य अति दक्ष 35 वाट के छत के पंखों को बाजार में लाना और उन्हें लगाने के लिए सहायता देना है, जबकि अब तक भारतीय बाजार में औसतन लगभग 70 वाट की रेटिंग के छत के पंखे बेचे गए हैं। छत के पंखों के लिए एसईईपी के अंतर्गत, XIIवीं योजना में 100 करोड़ रूपये के परिव्ययय के साथ मिलियन अति.दक्ष पंखें लगाने का लक्ष्य है।

एसईईपी कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय बाजार में बिक्री के लिए अति.दक्ष पंखें बनाने के लिए सात अति.दक्ष पंखा विनिर्माताओं का चयन किया गया है। छत के पंखों के कार्यक्रम का एलईडी के लिए इस समय प्रयुक्त मांग वृद्धि के मॉडल की दृष्टि से पुनः निरीक्षण किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में, ईईएसएल ने 10 लाख अति दक्ष पंखों की अधिप्राप्ति के प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किया है। ईईएसएल ने चार विनिर्माताओं का चयन किया है जो अन्वेषित मूल्य पर अति दक्ष पंखे मुहैया कराने के लिए सहमत हो गए हैं। भारतीय रेलवे द्वारा एक मिलियन ऐसे दक्ष पंखों के उत्पादन के लिए मांग रखी जा चुकी है।

(iii) Åtkl n{krk fu/kh;u eap ¼bZbZ,Qih½

एनएमईईई के अंतर्गत ईईएफपी एक महत्वपूर्ण शुरूआत है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संस्थाओं और परियोजना विकासकर्ताओं के साथ पारस्परिक बातचीत के लिए एक मंच मुहैया कराना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ऊर्जा दक्षता बाजार के विकास के लिए तथा इस बाजार के विकास से संबंधित मुद्दों की पहचान करने के लिए साथ मिलकर कार्य करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। बीईई द्वारा ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए निधीयन को बढ़ाने हेतु मेसर्स पीटीसी इंडिया लि. मेसर्स सिडबी, टाटा कैपिटल तथा आईएफसीआई लिमिटेड के साथ पहले से समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

वर्ष 2015 में, बीईई ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऊर्जा दक्षता निधीयन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारतीय बैंक संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह जून 2015 में आरम्भ किया गया और प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण की दो कार्यशालाएं जून 2015 में आयोजित की गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, बीईई ने अपने प्रकाशन – "भारत में निधीयत ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं का सफलता वृतांत" तथा "भारत में ऊर्जा दक्षता निधीयन की प्रशिक्षण नियमावली" का विमोचन किया। सिडबी द्वारा निधीयत ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के 50

सफलता वृतांतों की इस पुस्तिका में पूरे देश के 20 औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं ताकि वे ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को अपनाया जा सके। प्रशिक्षण नियमावली में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं और उनकी विशेषताओ को समझने के लिए अपेक्षित सभी प्रशिक्षण मॉड्युल्सध्प्रस्तुतियां शामिल हैं और इसका उद्देश्य ईई परियोजनाओं के तकनीकीधवित्तीय मूल्यांकन में सहायता देना है।

एनईसीए 2015 में, ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में निधीयन को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय संस्थाओं और सर्वश्रेष्ठ बिजनैस मॉडलों की दो नई श्रेणियां लागू की गई

- Åtk&n{k vkfFkd fodkl <kpk ¼,QbbbMh½

ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास ढांचा (एफईईईडी), ऊर्जा दक्षता का संवर्धन, जिसमें ऊर्जा दक्षता आंशिक जोखिम गारंटी निधि (पीआरजीएफईई) तथा ऊर्जा दक्षता उत्क्रम पूंजी निधि (वीसीएफईई) जैसे नूतन वित्तीय साधन और नीतिगत उपाय शामिल हैं, के लिए विकसित वित्तीय साधनों का विकास करना चाहता है।

- Åtk n{krk vkf'kd tkf[ke xkjVh fuf/k ¼ihvkj th,Qbb½

पीआरजीएफईई एक जोखिम भागीदारी वाली क्रिया विधि है जो ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं (बैंक और एनबीएफसी) को ऋण देती है जिसमें ऋण देने में होने वाले जोखिम की आंशिक कवरेज शामिल है। यह गारंटी, प्रति परियोजना ₹ 10 करोड़ अथवा ऋण राशि का 50 प्रतिशत, इसमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। भारत सरकार ने पीआरजीएफईई के लिए ₹ 312 करोड़ के मूल्य की धनराशि का अनुमोदन किया है। सरकारी भवन, निजी भवन जिनमें वाणिज्यिक अथवा बहुमंजिला आवासीय भवन, नगरपालिकाएं, एसएमई और उद्योग आदि को शामिल किया गया है।

पीआरजीएफईई के कार्यान्वयन/गतिविधियों की स्थिति %

i. पीआरजीएफईई के अंतर्गत, विद्युत मंत्रालय ने पीआरजीएफईई के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

ii. बीईई ने, जुलाई, 2015 में पीआरजीएफईई के प्रचालन के लिए आरईसीपीडीसीएल.आरईसी.ईईएसएल संकाय को कार्यान्वयनकर्ता अभिकरण के रूप में नियुक्त किया है।

iii. अक्तूबर, 2015 में पीआरजीएफईई में अपने योगदान के लिए 'येस बैंक' ने बीईई के साथ चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं तथा अन्य कई सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों ने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए अपनी रूचि दिखाई है।

iv. बीईई और कार्यान्वयनकर्ता अभिकरण ने पीआरजीएफईई के प्रचालन के लिए प्रचालन नियमावली तैयार कर ली है तथा कुछ परियोजनाएं तैयार की हैं, जो प्रक्रियाधीन हैं, जिन्हें इस गारंटी क्रियाविधि के अंतर्गत शामिल किया जाना है।

v. पीआरजीएफईई नियम, मई 2016 में अधिसूचित किए जा चुके हैं।

- Åtk n{krk tkf[ke iwath fuf/k ¼oh lh,Qbb½

ऊर्जा दक्षता जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफईई) एक निधि है, जो ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए साम्यता पूंजी प्रदान करती हैं। निधि द्वारा एकल निवेश 2 करोड़ रूपये से अधिक नहीं होगा। यह निधि विशेष प्रयोजन माध्यम द्वारा अधिकतम अपेक्षित कुल साम्यता के 15% अथवा 2 करोड़ रूपये, जो भी कम हो, तक सीमित विशिष्ट ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को अन्तिम सीमा तक साम्यता सहायता प्रदान करती है। वीसीएफईई के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों में सरकारी भवन, निजी भवन और नगरपालिकाएं आते हैं। भारत सरकार ने वीसीएफईई के लिए 210 करोड़ रूपये का अनुमोदन किया है।

वीसीएफईई के कार्यान्वयन की स्थिति :

(i) वीसीएफईई का गठन भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के अनुसार किया गया और न्यास के दस्तावेज न्यायाधिकार उप.रजिस्ट्रार, दिल्ली सरकार के पास पंजीकृत है।

(ii) वीसीएफईई के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन किया गया।

(iii) वीसीएफईई के संचालन के लिए कोष प्रबंधक नियत कर लिया गया।

(iv) विद्युत मंत्रालय द्वारा वीसीएफईई की अधिसूचना।

- foÙkh; ÁkR lkgu

  बीईई संघीय बजट के लिए ऊर्जा दक्षता के संवर्धन के लिए कर छूट (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर) के प्रस्ताव तैयार कर रहा है। संघीय बजट 2012–13 में, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में निम्नलिखित लाभ दिए गए हैं :

  - कॉम्पैक्ट फ्लुओरेसैंट लैम्प (सीएफएल) के निर्माण में प्रयुक्त ट्राईबैंड फॉस्फोर को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट भी दी जा रही है।
  - एलईडी लैम्प के निर्माण के लिए अपेक्षित एलईडी को भी विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट दी जा रही है।
  - एलईडी पर उत्पाद शुल्क को 10% से घटाकर 6% कर दिया गया है।

  केन्द्रीय बजट 2013–14 में, प्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत् सरकार ने जोखिम पूंजी निधि के रूप में स्थापित वर्ग I वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के लिए "द्वारा पारित" स्थिति की घोषणा की है जिसमें ऊर्जा दक्षता जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफईई) की आय को भी आय कर से छूट दी जाएगी।

  वर्ष 2015–16 में, एलईडी चालकों और एलईडी लाइटों, जुड़नारों और एलईडी लैम्पों के एमसीपीसीबी के निर्माण में उपयोग के निवेशों पर उत्पाद शुल्क को 12% से घटाकर 6% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एलईडी चालकों और एलईडी लाइटों, जुड़नारों और एलईडी लैम्पों के एमसीपीसी के निर्माण में प्रयुक्त निवेशों पर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क भी 4% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

1-6-2 Åtkl lj{k.k Hkou dkM ¼bZlhchlh½ ,oa ekatnk Hkouksa esa Åtkl n{krk

Åtkl lj{k.k Hkou dkM ¼bZlhchlh½

भारत सरकार द्वारा 27 मई 2007 को नए वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) विकसित किया गया था। ईसीबीसी 100 किलोवाट के संयोजित भार या 120 केवीए और अधिक की अनुबंध मांग वाले नए वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करता है। जहां केंद्र सरकार को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त हैं, राज्य सरकारों को स्थानीय या क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार कोड को संशोधित करने और उसे अधिसूचित करने की छूट प्राप्त है। वर्तमान में, कोड कार्यान्वयन के स्वैच्छिक चरण में है।

ईसीबीसी ऊर्जा निष्पादन के मानदंडों को परिभाषित करता है और देश, जहां भवन स्थित है, के जलवायु क्षेत्रों पर विचार करता है। भवन के वे प्रमुख घटक, जिनका कोड में उल्लेख किया गया है, वे हैं:

- आवरण (दीवारें, छतें, खिड़कियां)
- प्रकाश व्यवस्था
- एचवीएसी प्रणाली
- वाटर हीटिंग और पंपिंग प्रणाली
- इलैक्ट्रीकल विद्युत प्रणाली

यद्यपि ईसीबीसी ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है, इसके कार्यान्वयन का कार्य राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के पास उनके राज्यों में अधिसूचना के माध्यम से निहित है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना राज्यों और पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र ने कोड को अधिसूचित किया है जबकि कई अन्य राज्य अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार ईसीबीसी को संशोधित करने की प्रक्रिया में हैं।

b.lhch.lh ij v|ru fLFkfr

12वीं योजना के दौरान गतिविधियों के माध्यम से मौजूदा वाणिज्यिक भवनों निर्मित वातावरण तथा ऊर्जा दक्षता सुधार में ईसीबीसी के कार्यान्वयन पर व्यापक स्तर पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और वर्ष 2015–16 के दौरान चलाई गई गतिविधियां निम्न प्रकार से हैं:

- प्रौद्योगिक उन्नति, ऊर्जा मांग, आपूर्ति परिदृश्य के में बाजार परिवर्तन की दृष्टि से ईसीबीसी को अद्यतित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इस प्रयोजन के लिए तकनीकी समितियां तथा कार्य समूह गठित किए गए। देश भर में क्षेत्रीय पणधारियों के लिए तीन कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- उत्तर प्रदेश, छतीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों में ईसीबीसी सैल स्थापित किए गए हैं तथा महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों में ईसीबीसी सैल स्थापित किए जा रहे हैं।
- विभिन्न जलवायु जोनों में भवनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न ईसीबीसी निदर्शन परियोजनाओं को तकनीकी सहायता प्रदान की गई।
- आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, अरूणाचल प्रदेश, बिहार और छतीसगढ़ राज्यों में 13 ईसीबीसी गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम और आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा राज्यों में क्षमता निर्माण के लिए 18 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय सतत हैबीटाट पैरामीटरों के अनुसार वाणिज्यिक भवनोंध्परिसरों के लिए ईसीबीसी के अनुसार न्यूनतम ऊर्जा मानकों को अनिवार्य बनाने के लिए मॉडल बिल्डिंग उपविधियां तैयार की गई हैं और इन्हें मौजूदा सरकारी आदेशों में शामिल करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा परिचालित किया गया।
- राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड (एनबीसी), 2005, जो एक व्यापक भवन निर्माण कोड है, और देश भर में भवन निर्माण की गतिविधियों का विनियमन करने के लिए दिशा निर्देश देने वाला एक राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड (एनबीसी) 2005 में, "सततता की ओर पहुँच" नामक एक नया अध्याय जोड़ ईसीबीसी को शामिल करके संशोधन को अन्तिम रूप दिया गया है, जिससे ईसीबीसी को और अधिक व्यापक कवरेज दी गई है।
- वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्षता उन्नत ग्रेडों को कार्यान्वित करने के लिए दिशा निर्देशों का विकास किया गया है।
- बीईई और जीबीसीआई (हरित भवन निर्माण प्रमाणन इंक) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, भवन निर्माण ऊर्जा आंकड़ों को शेयर करना, प्रत्येयित एलईईडी व्यवसायियों और ईसीबीसी विशेषज्ञों का, ईसीबीसी के समकक्ष होने के लिए ईडीजीई जैसे उपायों का इस्तेमाल करते हुए वृहत्तर भवन निर्माण ऊर्जा दक्षता का वैधीकरण करने के लिए कौशल उन्नयन करना, जैसी गतिविधियों पर दोनों पक्षों की संयुक्त रूप से सहमति हुई।
- विभिन्न श्रेणियों के भवनों के लिए ऊर्जा निष्पादन बैंचमार्क स्थापित करने के लिए 22 जनवरी 2016 का "वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा बैंचमार्क" का विमोचन किया गया।
- ईसीबीसी व्यवसायियों को प्रशिक्षण देने तथा क्षमता निर्माण की स्कीम के अंतर्गत एमएनआईटी जयपुर सीईपीटी अहमदाबाद तथा आईआईआईटी हैदराबाद में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके अब तक 89 मास्टर प्रशिक्षुओं की पहचान की गई है। ये मास्टर प्रशिक्षु राज्यों की आवश्यकता के आधार पर राज्य सरकारध्यूएलबी के कोड अनुपालन अधिकारियों, वास्तुशिल्पध्अभिकल्पन व्यवसायियों को प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार होंगे।

vkoklh; Hkouksa dh v|fr r fLFkfr

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने, निष्क्रिय अभिकल्पन लक्षणों को शामिल करने के लिए "सम्मिश्र और ऊष्ण–शुष्क जलवायु के लिए ऊर्जा–दक्ष बहुमंजिला आवासीय भवनों के डिजाइन के दिशा निर्देश" तैयार किए गए। पहले, घरों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और उपस्करों की लेबलिंग द्वारा ऊर्जादक्ष आवासीय क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया था परन्तु निष्क्रिय अभिकल्पन लक्षणों पर विचार नहीं किया गया था।

ekt tnk Hkouk dh v|frr fLFkfr

भवनों में ऊर्जा दक्ष सुधारों की भारी गुंजाइश है। तथापि, भवन मालिकों और प्रबन्धकों के बीच विशिष्ट हस्तक्षेपों के बारे में जागरूकता की कमी है, जिससे अधिकाधिक ऊर्जा दक्षता प्राप्त हो सके और इन हस्तक्षेपों नें परिणामस्वरूप भविष्य में ऊर्जा बचत प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त सुपुर्दगी क्रियाविधि की अनुपलब्धता, भवनों मे ऊर्जा दक्षता का व्यापक पैमाने पर संवर्धन निरूत्साहित किया है। ऊर्जा बचतों का निर्धारण, ऊर्जा दक्षता उपायों के कार्यान्वयन के पश्चात् खपत की गई ऊर्जा के साथ ऊर्जा आधार रेखा की तुलना करके किया जाता है। ऊर्जा लेखा परीक्षा अध्ययनों से पता चलता है कि अन्तिम उपयोग जैसे प्रकाश शीतलन, संवातन, प्रशीतन आदि में 40% तक की बचत की सम्भावनाएं हैं। ऊर्जा दक्षता उपायों के परिणाम स्वरूप हुई ऊर्जा लागत में बचतों से भवनों के मालिकों और भवनों की समय सीमा तक दख़लकारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचेगा।

बार–बार यह देखा गया है कि ऐसे भवनों में सुपरिचित हस्तक्षेपों के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है। तथापि, इन हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन में सांस्थनिक, प्रक्रियात्मक तथा प्रक्रिया संबंधी रूकावटों, विशेषकर इन हस्तक्षेपों के कारण ऊर्जा बचतों के आकलन करने और गारंटी देने के लिए भवन प्रबन्धक की असमर्थता के कारण बाधा आती है। सांस्थानिक अवरोधों को दूर करने के लिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा सेवा कम्पनियों (एस्को) के लिए एक बाजार का विकास करने जैसे ऊर्जा दक्षता डिलीवरी क्रियाविधि के संवर्धन तथा ऊर्जा दक्षता सेवाओं का सांस्थानीकरण करने का कार्य किया है, जिससे भवन मालिकों के सामने आ रहे जोखिमों को दूर किया गया है। एस्को एक बिजनेस मॉडल प्रदान करती हैं जिसके माध्यम से मौजूदा भवनों में ऊर्जा बचत की सम्भावनाओं का पता लगाया जा सकता है और भवन मालिकों के सामने आ रहे जोखिमों को भी दूर किया जा सकता है। एस्को द्वारा किए गए हस्तक्षेपों के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा बचत के लिए निष्पादन अनुबंध आधारित भुगतान और प्राप्त होने से संबंधित हैं। प्रत्याशी अभिकरणों जिनके एस्को की सेवाएं लिए जाने की सम्भावना है, तथा वित्तीय संस्थानों के बीच विश्वसनीयता की भावना का सृजन करने के लिए बीईई, निष्पादन अनुबंध, तकनीकी जनशक्ति, वित्तीय शक्ति आदि पर आधारित ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सफलता के रूप में इन आवेदकों की रेंटिंग की प्रक्रिया के द्वारा एस्को के लिए प्रत्यायन का कार्य करता है। रेटिंग का कार्य सेबी द्वारा प्रत्यायित अभिकरणों जैसे क्राइसिल, केअर और इकरा के माध्यम से किया जाता है। इस कार्य के परिणाम सार्वजनिक डोमेन में और विभिन्न राज्य सरकारों/एसडीए को उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे संबंधित राज्यों में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सरल बना सकें। बीईई के पास 127 एस्को पैनलबद्ध हैं। निष्पादन अनुबंध आधार पर मौजूदा सुविधाओं में ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने में अवरोधों को दूर करने के उद्देश्य से, बीईई ने एस्को मोड के माध्यम से केन्द्र सरकार के मौजूदा भवनों में ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन के लिए एक स्कीम लागू की है। अनुमोदित स्कीम निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षाओं (आईजीईए) के लिए धनराशि प्रदान करती है, जिसकी व्यवस्था केन्द्र सरकार अभिकरणों/राज्य अभिहित अभिकरणों द्वारा की जाती है।

ऊर्जा दक्ष भवनों के लिए एक बाजार पूल को बढ़ावा देने हेतु ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने भवनों के लिए एक स्वैच्छिक स्टार रेटिंग कार्यक्रम तैयार किया है जो भवनों के किलोवाट प्रतिघंटा/वर्गमीटर/प्रतिवर्ष में अभिव्यक्त क्षेत्रफल पर भवन में प्रयुक्त ऊर्जा के रूप में भवन के वास्तविक निष्पादन पर आधारित है। यह कार्यक्रम 1-5 स्टार पैमाने पर भवनों की रेटिंग करता है, भवन के सर्वाधिक ऊर्जा दक्ष होने पर 5 स्टार लेबल दिया जाता है। दिन में इस्तेमाल होने वाले कार्यालय भवनों, बीपीओ, अस्पतालों और शॉपिंग मॉलों के लिए स्टार लेबल तैयार किए गए हैं। आज की तारीख तक विभिन्न श्रेणियों में कुल 179 वाणिज्यिक भवनों की स्टार रेटिंग की गई है।

1-6-3 ekud vkj ylfyx Ldhe

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ की गई अद्वितीय स्कीमों में से एक है मानक और लेबलिंग स्कीम। इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ता को ऊर्जा बचत के बारे में ऊर्जा बचत और इसके द्वारा विभिन्न ऊर्जा खपत वाले उपस्कर/उपकरण के विकल्प से अवगत कराना है। इन उद्देश्यों के साथ, एस एण्ड एल स्कीम में 21 उपकरण स्टार लेबलिंग हेतु शामिल हैं जिसमें 8 उत्पादों को अनिवार्य बनाया है और शेष 13 उपकरण स्वैच्छिक स्कीम के अंतर्गत आते हैं।

एस एंड एल स्कीम के लाभ शामिल है :

- एक संरचित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से ऊर्जा दक्ष उपकरण खरीदने से उपभोक्ताओं के बीच अच्छा प्रभाव पड़ा।
- अदक्ष ऊर्जा उपकरणों के बदले ऊर्जा दक्ष उपकरणों के लिए बाजार रूपांतरण का सृजन।

12वीं योजनाविधि के दौरान, डीजी सैटों, कार्यालय उपकरणों, सॉलिड स्टेट इंवर्टरों, डीजी पंपों, परिवर्तनीय क्षमता वाले एयर कंडीशनरों और एलईडी लैम्पों के लिए स्वैच्छिक स्टार लेबलिंग स्कीम सफलतापूर्वक चलाई गई। रूम एयर कंडीशनरों और फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजिरेटरों के लिए ऊर्जा खपत मानकों में संशोधन किया गया ताकि बाजार में अधिक ऊर्जा दक्ष उत्पाद लाए जा सकें।

14 दिसम्बर, 2015 को स्टार लेबलयुक्त उपकरणों के लिए मेबाइल एप्लीकेशन (बीईई स्टार लेबल) लांच किया गया ताकि ग्राहकों को उपकरण खरीदते समय सही निर्णय लेने में सुविधा हो सके। यह ऐप, एक विशिष्ट वर्ग के सभी उत्पादों में ऊर्जा की बचत की तत्काल तुलना करने का मंच प्रदान करता है और उपभोक्ताओं और अन्य पणधारियों को सही समय पर फीडबैक मिलती है ताकि वे सुविचारित खरीद निर्णय ले सकें। उपभोक्ताओं के लिए एक स्थान पर समाधान मिलने के अतिरिक्त यह नीति निर्माताओं को संचयी डाटा प्राप्त करने और एक निश्चित समय पर बाजार के फीडबैक का विश्लेषण करने के लिए भी बहुमूल्य उपकरण हैं।

1-6-4 uxj ikfydkvk e: ekx i{k ic/ku ¼,e;Mh,l,e½ dk;Øe

बढ़ती हुई जनसंख्या और लोगों के उन्नत जीवन स्तर के कारण सार्वजनिक सुविधाओं की बढ़ती मांग के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मुहैया कराई जा रही सेवाओं के लिए ऊर्जा की मांग में वृद्धि हुई है। नगरपालिका क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) विभिन्न उपयोगी सेवाओं जैसे स्ट्रीट लाइटों, जल पंपिंग, सीवेज ट्रीटमेंट और विभिन्न सार्वजनिक भवनों के लिए बिजली की खपत करते हैं। वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनसंख्या का लगभग 30% और ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार शहरों में हो रहे स्थानातंरण से शहरी स्थानीय निकायों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है।

नगरपालिका क्षेत्र की ऊर्जा खपत में अक्सर परिवर्तन होते रहते हैं और जल पंपिंग के कारण प्रातःकाल में और स्ट्रीट लाइटें जलने के कारण सांयकाल में पावर लोड का कर्व ऊपर उठता है। ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी के सीमित प्रसारण और मांग पक्ष प्रबन्धन (डीएसएम) की शुरूआतों के कारण बिजली के अदक्ष इस्तेमाल से नगरपालिकाओं द्वारा खर्च की गई ऊर्जा में भारी वृद्धि हुई है। नगरपालिका मांग पक्ष प्रबन्धन (एमयूडीएसएम) कार्यक्रम से स्थानीय शहरी निकायों (यूएलबी) की समग्र ऊर्जा दक्षता में सुधार किया जा सकता है, जिससे बिजली की खपत में काफी बचत हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप यूएलबी के लिए लागत में कटौती/बचत हो सकती है।

नगरपालिका क्षेत्र में ऊर्जा बचत की भारी सम्भावना की पहचान करते हुए, बीईई ने XIवीं योजना के दौरान नगरपालिका मांग पक्ष प्रबन्धन (एमयूडीएसएम) आरम्भ किया। इस परियोजना का मूल उद्देश्य यूएलबी की समूची ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है, जिससे बिजली का खपत में भारी बचत हो सकती है, और इसके परिणाम स्वरूप यूएलबी की लागत में कटौती/बचत होगी। XIवीं योजनावधि में प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं

- देश भर में 175 यूएलबी में स्थैतिक सर्वेक्षण किए गए।
- 134 यूएलबी में, निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखापारीक्षा (आईजीईए) कराने के पश्चात् बैंक स्वीकार्य डीपीआर तैयार किए गए। 120 मेगावाट की समग्र संभावित बचत को 134 यूएलबी में ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के माध्यम से परिहार्य सृजन क्षमता के भाग के रूप में अनुमानित किया गया है।
- अनुमोदित डीपीआर आगे कार्रवाई करने के लिए बीईई और यूएलबी के दिखाई गई। जमीनी स्तर पर सीमित कार्रवाई ही की जा सकी।

- 143 यूएलबी में, तैयार किए गए डीपीआर के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए ऊर्जा संरक्षण सैल बनाए गए।
- सभी 134 यूएलबी को डीपीआर के अनुसार उपभोक्ता अनुकूल पूर्ण निविदा प्रलेख दिखाया गया।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक एमयूडीएसएम वेब पोर्टल तैयार किया गया। इस पोर्टल में इस कार्यक्रम के अंतर्गत निष्कासित डीपीआर और जानकारी सामग्री शामिल है।
- 105 शहरों के जल निकायों, जिसमें 2430 पंपिंग स्टेशन शामिल हैं, का स्थैतिक सर्वेक्षण पूरा किया गया।

XII ;kstuk dh xfrfof/k;k

यूएलबी की खराब वित्तीय हालत के कारण परियोजनाओं को स्वयं कार्यान्वित करना कठिन हो गया है और एस्को भी भुगतान प्राप्त करने के लिए सशंकित हैं। जमीनी स्तर पर परियोजना का कार्यान्वयन अति आवश्यक है, जिससे प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, कार्यान्वनकर्ता भागीदारों, वित्तीय संस्थाओं आदि के बीच बाजार रूपांतरण किया जा सके। अतः XIIवीं योजना के दौरान प्रस्ताव है कि 15 यूएलबी में प्रदर्शन परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रायोगिक आधार पर किया जाए। इसके अतिरिक्त, चुनींदा यूएलबी में तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति करके यूएलबी को तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। कुल मिलाकर XII योजना के कार्यक्रम के मुख्य-मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

क. यूएलबी के ऊर्जा संरक्षण सैल की तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमता का निर्माण करना

ख. कुछेक यूएलबी में चुनींदा डीपीआर के कार्यान्वयन द्वारा ऊर्जा बचत को मान्यता देना।

ग. जानकारी के आदान–प्रदान द्वारा कार्यान्वयन को अन्य यूएलबी के लिए दोहराना।

घ. ऊर्जा दक्षता में बाजार रूपांतरण करने के लिए विभिन्न पणधारियों को शामिल करना।

ङ. सांस्थानिक व्यवस्थाओं का सृजन करने के लिए राज्य शहरी विकासों को सरल बनाना जिसके द्वारा परियोजनाएं कार्यान्वित की जा सकें।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, एमयूडीएसएम के लिए एक दिवसीय पारस्परिक बैठक-सह-कार्यशाला आयोजित करने के लिए 14 एसडीए को वित्तीय सहायता दी गई जो तेरह राज्यों (महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल) में आयोजित की गई। 6 एसडीए को प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा तकनीकी विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए धनराशि दी गई, ग्यारह राज्यों में राज्य स्तरीय संचालन समितियां बनाई गईं, निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखापरीक्षा के लिए 60 जल निकायों को पत्र भेजे गए। 6 राज्यों अर्थात् हरियाणा (फरीदाबाद और यमुनानगर) उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद), मध्य प्रदेश (उज्जैन), छत्तीसगढ़ (दुर्ग), बिहार (पटना) तथा महाराष्ट्र (नागपुर) में प्रायोगिक परियोजनाएं कार्यान्वित करने का कार्य प्रगति पर है और इस कार्य के जुलाई, 2016 तक पूरा हो जाने की आशा है। सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) में ऊर्जा दक्षता पर एक निदर्शन परियोजना कार्य प्रगति पर है।

1-6-5- df"k ekx i{k Ácz/ku ¼, thMh, l ,e½ ;kstuk

1½ C;jks }kjk vrhr esa ÅtkZ lj{k.k ,oa ÅtkZ n{krk lEca/kr dkjZokbZA

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कृषि मंत्रालय के अनुसार, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 14%, तथा निर्यातों में लगभग 11% है। लगभग आधी जनसंख्या के आय का प्रधान स्रोत कृषि पर निर्भर है और यह बहुत से उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत है। भारत की कुल जल खपत का लगभग 80% इस क्षेत्र में लगता है। पम्प सिंचाई प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, वर्तमान में, 19 मिलियन से अधिक पम्पों में भारत की कुल राष्ट्रीय विद्युत का लगभग 19% खपत होती है।

इस क्षेत्र में 25% - 30% की औसत दक्षता रेंज वाले अत्यधिक अदक्ष पंपसेटों की प्रधानता है, जबकि स्टार श्रेणी के ऊर्जा दक्ष पंपसेटों का दक्षता स्तर 40% - 45% है। कृषि क्षेत्रों के मांग पक्ष प्रबंधन में ऊर्जा दक्ष पंपसैटों को बढ़ावा देकर मांग–आपूर्ति के बीच अंतर को उल्लेखनीय रूप से कम करने की क्षमता है।

ऊर्जा बचत क्षमता का दोहन करने के लिए, 11वीं योजना में आठ राज्यों (महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश,

मध्य प्रदेश और कर्नाटक) के ग्यारह डिस्कॉम में ब्यूरो की एजीडीएसएम योजना आरंभ की गई जो कृषि की दृष्टि से गहन है और इस क्षेत्र में 70% से अधिक बिजली की खपत होती है। इस योजना में लगभग 20,750 पंपसेट शामिल थे और 11 बैंक स्वीकार्य विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की गईं। ये डीपीआर आधारभूत अनुमान, ऊर्जा बचत क्षमता आकलन, जोखिम न्यूनीकरण उपायों, लागत लाभ विश्लेषण इत्यादि को शामिल करने के लिए तैयार की गई हैं। महाराष्ट्र राज्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के माध्यम से 2209 ऊर्जा दक्ष सक्षम स्टार रेटेड पंपसैटों को सफलतापूर्वक बदला गया। शेष का प्रतिस्थापन किया जा रहा है। कृषि मांग प्रबंधन योजना का समूचा प्रभाव निम्न प्रकार से है:

2½ 11oh i po"kh; ;k tuk e d f"k ekx i{k ic/ku ;k tuk dh i e[k miyfC/k;k

- 8 राज्यों में 11 डीपीआर तैयार की गई हैं। डीपीआर 90 एमयू की बचत दर्शाती हैं।
- शोलापुर, महाराष्ट्र में एक प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वयनाधीन है और अब तक 2209 पंपों का बदला जा चुका है।
- 0.7 मेगावाट की सत्यापित बचत हासिल की गई (एनपीसी के अनुसार)
- वितरण कंपनियों तथा किसानों के लिए क्रमशः 7 राज्यों में कार्यशालाएं और 26 ओपन हाउस सत्र संचालित किए गए।

3½ 12oh i po"kh; ;k tuk dh miyfC/k;k

XIIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, निम्नलिखित हस्तक्षेपों द्वारा योजना में सतत ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने की प्रक्रिया का निर्माण करने का लक्ष्य है :

1. नए कनेक्शनों के लिए बीईई स्टार लेबलयुक्त पंप सैटों का उपयोग अनिवार्य करने के लिए विनियामक क्रियाविधि।
2. डीपीआर का कार्यान्वयन सरल बनाना और अनुवीक्षण तथा सत्यापन प्रोटोकोल स्थापित करना।
3. सभी पणधारियों को तकनीकी सहायता देना और उनकी क्षमता का विकास करना।
4. ग्रामीण जन स्वास्थ्य और पेयजल प्रणालियों में पंपिंग दक्षता।

xfrfof/k;k dh orZeku fLFkfr

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, नए कृषि कनेक्शनों के लिए ऊर्जा दक्ष पंप सैटों के प्रयोग के लिए पूरे राज्य में अनिवार्य अधिसूचना के कार्यान्वयन के लिए पाचं राज्यों ने रूचि दिखाई। मौजूदा पंपो की ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में एजीडीएसएम प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य आरम्भ किया गया है। कृषि मंत्रालय के समन्वय से पुणे, महाराष्ट्र में कृषक प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया, देश भर में बड़े पैमाने पर जागरूकता सत्र चलाने का भी प्रस्ताव है। सार्वजनिक ग्रामीण पेय जल पंपिंग प्रणलियों में ऊर्जा दक्षता उन्नयन के लिए निदर्शन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 11 राज्यों ने अपनी अभिरूचि से अवगत कराया है।

y{;%

ऊर्जा अदक्ष पंपों को बदलकर स्टार रेटिंग वाले पंपों से ऊर्जा उन्नत करके ऊर्जा गहन कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की खपत को कम करना। यह निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित हस्तक्षेपों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

सुपुर्दगी योग्य :

1) नए कनेक्शनों के लिए बीईई स्टार लेबल युक्त पंप सेटों के उपयोग को अनिवार्य बनाने के लिए विनियामक क्रियाविधि।

   - कृषि क्षेत्र मे सभी नए कनेक्शनों के लिए बीईई स्टार लेबल युक्त पंप सेटों का उपयोग अनिवार्य करने के लिए विनियामक क्रियाविधि तैयार करने और उसे अपनाने के लिए राज्य सरकार को सुविधा देना तथा मौजूदा स्कीमों को भी सहायता प्रदान करना।

- ऊर्जा दक्ष स्टार रेटिंगयुक्त पंप सेटों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र में मौजूदा राज्य/केन्द्र सरकार को सुविधा देना।
- ऊर्जा दक्ष पंपों को अपनाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता देना जिसमें सीमांत और छोटी श्रेणी के किसानों को राजसहायता प्रदान की जाएगी।

2) डीपीआर का कार्यान्वयन और अनुवीक्षण तथा सत्यापन प्रोटोकोल की सुविधा देना।

- XIवीं योजना के दौरान तैयार किए गए शेष डीपीआर का कार्यान्वयन करने के लिए डिस्काम को सुविधा देना।
- एजीडीएसएम परियोजनाओं में ऊर्जा बचत करने के लिए अनुवीक्षण और सत्यापन प्रोटोकोल बनाना।
- व्यापक स्तर पर स्टार रेटिंगयुक्त पंप सेटों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सेट दक्षता उन्नयन के परिणाम स्वरूप हुए लाभों / बचतों का निदर्शन।

3) सभी पणधारियों को तकनीकी सहायता तथा क्षमता विकास।

- राज्यों में एसडीए, एसईआरसी और डिस्काम का क्षमता निर्माण।
- किसानों की जागरूकता में वृद्धि और उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ओपन हाउस सत्र।
- एजीडीएसएम स्कीमों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कार्यशालाएं।

4) ग्रामीण जन स्वास्थ्य और पेय जल प्रणाली में पंपिंग दक्षता।

- ग्रामीण जन स्वास्थ्य और पेयजल प्रणालियों में पंपिंग दक्षता परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए व्यवहार्यता विश्लेषण।
- प्रत्येक राज्य में पहली प्रायोगिक परियोजना को, परियोजना लागत के 100% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा बाद की 3 परियोजनाओं को कुल परियोजना लागत के 50% की दर से निधीयत किया जाएगा।
- परियोजना कार्यन्वयन का मूल्यांकन और ऊर्जा बचत का अनुवीक्षण।

ÁR;sd dk;Øe esa y{;ksa dks iklr djus ds fy, dh xbZ dkjZokbZ %

1½ ,lMh, ds ek/;e ls u, dUkD'kuks ds fy, chbZbZ LVkj ycy ;qä iai lsVks ds mi;kx dks vfuok;Z djus ds fy, fofu;ked fØ;kfof/k gS :

- कृषि क्षेत्र मे सभी नए कनेक्शनों के लिए बीईई स्टार लेबल युक्त पंप सेटों का उपयोग अनिवार्य करने के लिए विनियामक क्रियाविधि तैयार करने और उसे अपनाने के लिए राज्य सरकार को सुविधा देना तथा मौजूदा स्कीमों को भी सहायता प्रदान करना।
- प्रभावी अनुवीक्षण क्रियाविधि स्थापित करने के लिए एसडीए/राज्य सरकारों को सुविधा देना और सहायता देना।
- किसानों को ऊर्जा दक्ष को अपनाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता देना।

2½ ,thMh,l,e Ldhe ds vrxZr Mhihvkj vkj vuqoh{k.k rFkk lR;kiu izksVksdky dh lqfo/kk nsuk vkSj dk;kZUo;u djukA

- वितरण कम्पनियों को तैयार की गई डीपीआर को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के लिए सुविधा देना।
- राज्यों में अनुवीक्षण और सत्यापन का आरम्भ करना जहां संबंधित वितरण कम्पनियों से कार्यान्वयन के लिए सहमति अभी प्राप्त होनी है।
- शोलापुर, महाराष्ट्र में एजीडीएसएम परियोजना में अनुवीक्षण और सत्यापन को जारी रखना।

3½ lHkh i.k/kkfj;ksa dks rduhdh lgk;rk nsuk vkSj mudh {kerk dk fodkl djukA

- राज्यों में एसडीए, एसईआरसी तथा डिस्काम युटिलिटीज का क्षमता निर्माण जहां एजीडीएसएम स्कीम सक्रिय है।
- दिल्ली और आंध्रप्रदेश में दो राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं।
- किसानों की जागरूकता बढ़ाने और एजीडीएसएम स्कीमों में उनकी प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए ओपन हाउस सत्र (5 सत्र/वर्ष)।

4½ xkeh.k tu LokLF; rFkk i;; ty i.kkyh e i fix n{krk

- निदर्शन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना।
- राज्यों/ग्रामीण इलाकों में प्रायोगिक परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए एसडीए/राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देकर सुविधा प्रदान करना।
- परियोजना कार्यान्वयन का निरीक्षण।

bu ck/kkvk dk nj dju d fy, vif{kr dkjokbl dh lhek,-

बाधाएं एवं सीमाएं :–

- इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य अधिसूचना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारें अनिच्छा दिखा रही हैं।
- नए कृषि कनेक्शन देने के लिए वितरण कम्पनियों द्वारा किसी उचित प्रक्रिया/दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।
- वित्तीय पहुँच की कमी के कारण कुछ वितरण कम्पनियां एजीडीएसएम प्रायोगिक परियोजना को कार्यान्वित करने में रूचि नहीं दिखा रही हैं।
- वितरण कम्पनियों द्वारा डीएसएम परियोजनाओं के लिए समर्पित निधीयन स्त्रोत के अभाव के कारण एस्को की निवेश के भुगतान की वापसी पर अनिश्चितता।
- सूविचारित गतिविधयों का कार्यान्वित करने में कमी के लिए एक प्रमुख कारण है राज्य सरकारों / डिस्काम्स / पीएचईडी की निष्क्रिय भागीदारी।

इन बाधाओं को दूर करने के लिए अपेक्षित कार्रवाइयां

- राज्य ऊर्जा विभाग और वितरण कम्पनियों के उच्च अधिकारियों के साथ सख्ती से अनुवर्ती कार्रवाई।
- वितरण कम्पनियों में विश्वास पैदा करने के लिए शोलापुर जैसी एक परियोजना आयोजित करने का प्रस्ताव है।
- डीपीआर के तकनीकी और वित्तीय मानदंडों में संशोधन करने के लिए मौजूदा डीपीआर का पुनर्वैधीकरण किया जाएगा।
- ईईएसएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएं जिसमें एजीडीएसएम स्कीम के अंतर्गत ईईएसएल द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली सम्भव गतिविधियों के बारे में बताया गया हो।
- एजीडीएसएम स्कीम को कृषि मंत्रालय की अन्य मौजूदा स्कीमों के साथ मिला दिया जाए।

1-6-6 y?k vkj e/;e m|fe;k e Åtk n{krk vkj ik|kfxdh mUu;u

भारत के विनिर्माणकारी क्षेत्र, जिसका एमएसएमई में 80 प्रतिशत योगदान है, सतत् वृद्धि की प्रवृति के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत में, एमएसएमई, एक आनुषंगिक इकाई के रूप में बड़े पैमाने पर उद्योगों के पूरक हैं और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में भारी योगदान करते हैं। इन इकाइयों की औद्योगिक पद्धतियों और इनमें नियोजित प्रौद्योगिकी में बड़ी विविधता है। इसके साथ ही, एमएसएमई की अपनी कई निजी समस्याएं हैं, जिनमें बाजार की अनिश्चितता,पुराने रूढ़िगत प्रचालन का अव–इष्टतम पैमाना, धनराशि की कमी आदि।

विनिर्माणकारी इकाइयों के लिए ऊर्जा की लागत एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है और ऊर्जा की घटती बढ़ती लागतें, ऊर्जा दक्षता, इस क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समझा गया है।अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अनुरूप, भारत भी एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा दक्ष पद्धतियों को प्रोत्साहित करके निरंतरता पाने के लक्ष्य पर कार्य कर रहा है।

बड़ी संख्या में पूरे भारत में फैले हुए एमएसएमई, ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को अपना कर ऊर्जा संरक्षण की दिशा में परिवर्तन के प्रचुर अवसरों की पेशकश करते हैं। एमएसएमई मंत्रालय के हाल ही के प्रकाशन के अनुसार, भारत में लगभग 36 मिलियन एमएसएमई इकाईयां कार्यशील हैं, जिनका भारत के जीडीपी अंकों में भारी योगदान है और ये इकाइयां लगभग 80 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। बड़ी संख्या में एमएसएमई ऊर्जा–गहन हैं, जिनमें उत्पादन लागत का एक प्रमुख भाग ऊर्जा लागत होती है।

Xiवीं योजना की गतिविधियों के दौरान, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने यह देखा है कि धन बचाने की अपार सम्भावना और गुंजाइश होने के बावजूद, एमएसएमई, जानकारी के अभाव और सूचना में विषमता के कारण इस अवसर का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। इसके साथ

ही, अदक्ष प्रौद्योगिकियों को दक्ष प्रौद्योगिकियों में शिफ्ट न कर पाने के लिए कुछ प्रमुख कारण भारी अग्रणी लागत और प्रेरक निधीयन क्रियाविधि का अभाव होना है। इन रूकावटों को दूर करने के लिए, XIIवीं योजना के दौरान बीईई ने अपनी गतिविधियों को ऊर्जा दक्ष प्रौद्योकियों, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण के निदर्शन पर केन्द्रित रखा। यह एसएमई क्षेत्र के अन्दर ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के उत्थान और अनुकृति के व्यापक प्रसार के लिए अनिवार्य है।

xIIoh ;ktuk e xfrfof/k;k

XIवीं योजनावधि से ली गई सीख और अनुभवों के आधार पर, ब्यूरो ने चयनित क्लस्टरों में श्रेष्ठतम ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के निदर्शन के लिए एक व्यापक स्कीम तैयार की है। XIIवीं योजना के दौरान इस क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के लिए कार्यरत विभिन्न कार्यकारी अभिकरणों की सहायता से देश भर की लगभग 1500 एसएमई इकाइयों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेपों पर विचार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 की अद्यतित गतिविधियां निम्नानुसार हैं :–

1. पांच एसएमई क्षेत्रों में 10 सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों की 100 निदर्शन परियोजनाओं का क्रियान्वयन। ये पहचान किए गए क्षेत्र हैं – पाली (वस्त्र), वाराणसी (ईंट), लुधियाना (गढ़ाई), इंदौर (खाद्य) और कोच्चि (समुद्री खाद्य समूह)
2. राज्यों में एमएसएमई – डीआई के घनिष्ठ सहयोग से पैन इंडिया आधार पर ऊर्जा गहन समूहों का मानचित्रण करना।
3. ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के लाभ दर्शाने के लिए 5 क्षेत्रों में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों का निदर्शन करने के लिए और इनके क्रियान्वयन करने के लिए अन्य इकाइयों को प्रोत्साहित करने हेतु राजसहायता मुहैया कराना। यह प्रस्ताव है कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात् इकाई मालिकों को सीधे तौर पर ₹10 लाख प्रति निदर्शनतक की राजसहायता प्रदान की जाए।

xfrfof/k;k dh fLFkfr %

1. पांच क्लस्टरों के लिए एसएमई में बीईई – राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 12 अभिकरणों को पैनलबद्ध किया गया जा चुका है।
2. चयनित पांच क्लस्टरों में, क्लस्टर संघों, इकाइयों, एमएसएमई, क्षेत्रीय अनुसंधान और तकनीकी संस्थाओं और स्थानीय सेवा प्रदाताओं के पणधारियों को शामिल करते हुए कार्यशालाएं आरम्भ करना।
3. लुधियाना, वाराणसी, इंदौर और पाली की चुनींदा इकाइयों में आधार रेखा ऊर्जा लेखा परीक्षा (बीईए) पूरी कर ली गई है और कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों की पहचान कर ली गई है।
4. कोच्चि की चयनित इकाइयों में आधार रेखा ऊर्जा लेखा परीक्षा की जा रही है और आशा है कि मई 2016 के अंत तक इसे पूरा कर लिया जाएगा।
5. वाराणसी और लुधियाना में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी की पहचान करने का कार्य किया जा रहा है।

1-6-7 forj.k dEifu;k dk {kerk fuek.k

i"BHkfe %

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने वितरण कम्पनियों (डिस्काम्स) की क्षमता का निर्माण करने के लिए एक कार्यक्रम आरम्भ किया है। यह बीईई के अन्य कार्यक्रम, जैसे कृषि मांग पक्ष प्रबन्धन, नगर पालिका मांग पक्ष प्रबन्धन, एसएमई (लघु और मध्यम उद्यमी) उद्योग और मानक तथा लेबलिंग कार्यक्रम के साथ निकटता से जुड़ा है। यह कार्यक्रम इन गतिविधियों को मांग पक्ष प्रबन्धन के लिए डिस्काम द्वारा संचालित गतिविधियों के साथ जोड़ने में सहायता देगा। यह कार्यक्रम डिस्काम के क्षमता निर्माण तथा उनके संबंधित राज्यों में बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्रियाविधियों के विकास में सहायक होगा।

ifj;ktuk dh leph fØ;kfof/k

इस कार्यक्रम का उद्देश्य भार प्रबन्धन कार्यक्रम चलाना, डीएसएम कार्य योजना का विकास और उनसे संबंधित क्षेत्रों में डीएसएम गतिविधियों का कार्यान्वयन करना है। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां आरम्भ की जा चुकी हैं :

1. इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी डिस्कॉम के रूप में प्रतिभागिता के लिए 34 डिस्काम चुने गए हैं।

2. बीईई और चुनींदा डिस्कॉम के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें डिस्कॉम के लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया है।

3. 32 डिस्कॉम द्वारा डीएसएम सैल स्थापित किए गए हैं।

4. 15 राज्यों में 22 डिस्कॉम के लिए डीएसएम विनियम अधिसूचित किए गए हैं।

5. डीएसएम से संबंधित गतिविधियों के सरलीकरण और डिस्कॉम को सहायता देने के लिए प्रत्येक डिस्कॉम को जनशक्ति सहायता प्रदान की गई है।

6. 32 डिस्कॉम के लिए भार सर्वेक्षण और डीएसएम कार्य योजना का विकास कार्य आरम्भ किया गया है। 18 डिस्कॉम के लिए गतिविधि पूरी कर ली गई है। 29 डिस्काम्स द्वारा भार–सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और 6 डिस्काम्स के लिए डीएसएम योजना का अनुमोदन हो गया है।

7. बीईई ने, इस कार्यक्रम के अंतर्गत डीएसएम और ऊर्जा दक्षता पर मास्टर प्रशिक्षु तैयार करने के लिए डिस्कॉम के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान को नियुक्त किया है। 32 डिस्काम के 504 अधिकारियों को प्रशिक्षु गतिविधियों का प्रशिक्षण" के अंतर्गत मास्टर प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।

8. सर्किल स्तर के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु अभिकरणों का चयन किये जाने की प्रक्रिया चल रही है।

1-6-8 jkT; vfHkfgr vfHkdj.kksa ¼,lMh,½ dk lqn`<+hdj.k

XIIवीं योजना के दौरान, विद्युत मंत्रालय ने "ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण पर राज्य अभिहित अभिकरणों (एसडीए) का सुदृढ़ीकरण" हेतु एक स्कीम का अनुमोदन किया है। XIIवीं योजना के दौरान, इस स्कीम का कुल अनुमोदित परिव्यय 205.31 करोड़ रूपये है और इसमें निम्नलिखित घटक हैं :

1. राज्य अभिहित अभिकरणों को अपनी संस्थागत क्षमताओं और सक्षमताओं के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराना।

2. राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ) में अंशदान।

3. ऊर्जा दक्षता के संवर्धन के लिए मानव संसाधन विकास।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान, 21 एसडीए को 25.23 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई ताकि वे अति ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी, जिसमें एलईडी ग्रामीण अभियान, राज्य स्तर के कार्यक्रमों में प्रवर्तन मशीनरी का संस्थानीकरण, सहज समन्वय के लिए जनशक्ति सहायता, राज्यों में ऊर्जा दक्षता का विनियमन और प्रवर्तन तथा कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न पणधारियों के बीच जानकारी का प्रसार, प्रभाव विश्लेषण प्रचार/जागरूकता, इंटरनेट प्लैटफार्म का अनुरक्षण आदि शमिल हैं, की प्रभावकारिता का प्रदर्शन करने के लिए निदर्शन परियोजनाओं जैसे घटकों का कार्यान्वयन कर सकें। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए क्रमशः 27.493 करोड़ रूपये और 4.5 करोड़ रूपये की राशि एसडीए को वितरित की गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, राज्य स्तर पर ऊर्जा दक्षता गतिविधियां कार्यान्वित करने के लिए एसडीए को 10.23 करोड़ रूपये की और वित्तीय सहायता दी गई।

1-6-9 jkT; ÅtkZ laj{k.k fuf/k ¼,lbZlh,Q½ esa va'knku

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 16(1) के अनुसार राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को राज्य के अंदर ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के प्रयोजन हेतु एक कोष का गठन करना अपेक्षित होगा जिसे एसईसीएफ कहा जाएगा। इस संदर्भ में,एक स्कीम जिसका नाम "राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ) में अंशदान" है, को भारत सरकार द्वारा 11वीं योजना के दौरान अनुमोदित किया गया। इस स्कीम का परिव्यय 66 करोड़ रूपये है और इसे 50 करोड़ रूपये के बजटीय परिव्यय के साथ 12वीं योजना में भी जारी रखा गया है। इस राशि को, बाजार रूपांतरण द्वारा ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए, एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। एसईसीएफ के अंतर्गत वितरित की गई धनराशि के प्रमुख भाग को ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं चलाने के लिए अलग से निर्दिष्ट किया गया है जो गतिशील निवेश निधि (आरआईएफ) है। XIIवीं योजना के दौरान इस उप–स्कीम के लिए प्रस्तावित कुल परिव्यय 50.00 करोड़ रूपये है। अब तक, 26 राज्यों ने एसईसीएफ का गठन किया है, जिसमें से लगभग 19 राज्यों ने भी समान अंशदान का प्रावधान किया है।

1-6-10 fofo/k

(i) Åtk lj{k.k lpuk dUnz ¼bZlhvkbZlh½

ऊर्जा संरक्षण सूचना केन्द्र (ईसीआईसी) की स्थापना की गई जिसे बीनेट के रूप में जाना जाता है, और यह एक वैब समर्थित ऑन लाइन आंकड़ा संग्रहण और मिलान प्रणाली है। यह वैब आधारित ऑनलाइन प्रणाली अभिहित उपभोक्ताओं को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14(के) और 14(एल) के अंतर्गत यथापेक्षित त्रुटिरहित विवरणियां फाइल करने की सुविधा देती है।

(ii) Åtk icU/kdk vkj Åtk y[kkijh{kdk dfy, jk"Vh; iek.ku ijh{kk

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार ने यह निर्दिष्ट किया है कि अभिहित उपभोक्ताओं को नियुक्त करने अथवा अभिहित करने के लिए प्रमाणित ऊर्जा प्रबन्धक और लेखापरीक्षक के रूप में राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

बीईई ने ऊर्जा प्रबन्धन, परियोजना प्रबन्धन, ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के निधीयन और कार्यान्वयन तथा नीति विश्लेषण में विशेषज्ञता वाले व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त ऊर्जा प्रबन्धकों का संवर्ग बनाने के चुनौती पूर्ण कार्य को स्वीकार किया है। बीईई, मई 2004 से, नियमित रूप से ऊर्जा प्रबन्धकों और ऊर्जा लेखापरीक्षकों के लिए राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा आयोजित कर रहा है। प्रमाणन परीक्षा को उम्मीदवारों द्वारा 'अति उत्तम' तथा 'उत्कृष्ट' रेंटिंग दी गई है।

वर्ष 2004-2015 के दौरान आयोजित पिछली 16 परीक्षाओं से देश में 13739 प्रमाणित ऊर्जा प्रबन्धक प्राप्त हुए हैं, जिसमें 8591 प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षकों के रूप में अर्हता प्राप्त है। राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा के माध्यम से नियुक्त ऊर्जा प्रबंधकों और लेखा परीक्षकों की क्षमता निर्माण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा, जिससे ऊर्जा गहनता में कमी आएगी।

(iii) tkx:drk vkj igp

बीईई और विद्युत मंत्रालय के सामान्य जागरूकता अभियान और मानक तथा लेबलिंग कार्यक्रमों का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण की आदत डालने की प्रभावकारिता और विशिष्टता के बारे में जनसाधारण के बीच जागरूकता का सृजन करना है।

देश के कोने–कोने में ऊर्जा संरक्षण और दक्षता के प्रचार को बढ़ाने के लिए मीडिया की सेवाएं ली गई और उनके चैनलों में बीईई के विज्ञापन दिखाई देना और राष्ट्रीय समाचार पत्रों से सूचना और प्रेरक संदेश मिलना, विभिन्न भौगोलिक स्थलों पर इलैक्ट्रानिक प्रदर्शन बोर्ड पर ऊर्जा बचत संबंधी नारों के माध्यम से ऊर्जा के बारे में चेतना जागृत कराने का सफल प्रभाव प्रतीत हो रहा है।

izn'kfu;k % बीईई ने 14 से 27 नवम्बर, 2015 के दौरान, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में, भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और अन्य प्रदर्शनियों में भाग लिया, जिसमें बीईई की उपलब्धियां दर्शाते हुए ऊर्जा क्षेत्र में स्टाल लगाए गए।

आगन्तुकों को, संवर्धनात्मक सामग्री, जैसे इश्तहार/ब्रोशर वितरित किए गए। आगन्तुकों के बीच ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता लाने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान में प्रदर्शनी के दौरान नुक्कड़ नाटक भी किए गए।

1-7 jk"Vh; Åtk lj{k.k ijLdkj ,o fp=dyk ifr;kfxrk

अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण का संवर्धन करने के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष उद्योग और अन्य प्रतिष्ठानों को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और स्कूली बच्चों के लिए ऊर्जा संरक्षण पर वार्षिक चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

ये वार्षिक ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार उद्योगों, कार्यालयों और बीपीओ भवनों, अस्पतालों, होटलों, शॉपिंग मॉलों, जोनल रेलवे, रेलवे स्टेशनों, रेलवे कर्मशालाओं, साबुन और डिटर्जेंट उद्योग, राज्य अभिहित अभिकरणों, नगरपालिकाओं, बीईई स्टार

लेबलयुक्त उपस्करों/उपकरणों, थर्मल पावर स्टेशनों, विश्वविद्यालयों और इंजीनियरी संस्था भवनों, विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्काम्स) राज्य सड़क परिवहन निगम और उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थओं द्वारा ऊर्जा संरक्षण में नवोन्मेषों और उपलब्धियों तथा जागरूकता उत्पन्न करने को मान्यता देने के लिए होते हैं। ऊर्जा बचतों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए भारत की प्रतिक्रिया में ऊर्जा संरक्षण एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये पुरस्कार ऊर्जा संरक्षण और दक्षता के प्रति प्रदर्शित अपनी प्रतिबद्धता को मान्यता देने के लिए भी होते हैं।

इस वर्ष, nk bdkb;k dk lokÙke jd dk ijLdkj fn;k x;k] 41 bdkb;k dk iFke ijLdkj] 42 bdkb;k dk f}rh; ijLdkj vkj 63 bdkb;k dk ;kX;rk iek.ki= inku fd, x,। प्रतिभागी इकाइयों में मिलकर ऊर्जा संरक्षण उपायों के लिए 2384.32 करोड़ का निवेश किया और 2928.42 करोड़ की आर्थिक बचत प्राप्त की। प्रतिभागी इकाइयों ने 2598 मिलियन kWh की बिजली की बचत की जो 0.70 के PLF पर 486 मेगावाट तापीय विद्युत केन्द्र से उत्पादित ऊर्जा के समतुल्य है। माननीय विद्युत, कोयला और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने विज्ञान भवन में 14 दिसम्बर, 2015 को विजेताओं को पुरस्कृत किया।

ekuuh; dUnh; fo|r] dk;yk vkj uohu rFkk uohdj.kh; Åtk jkT; e=h] jk"Vh; Åtk lj{k.k ijLdkj lekjkg e 14 fnlEcj] 2015 dk ub fnYyh e jk"Vh; fp=dyk ifr;kfxrk ijLdkj inku djr g,A

jk"Vªh; ÅtkZ laj{k.k iqjLdkj fotsrk & 2015

vY;qehfu;e

प्रथम पुरस्कार	:	भारत अल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड (बाल्को), कोरबा, (छत्तीसगढ़)
द्वितीय पुरस्कार	:	वेदांता लिमिटेड, झारसुगुडा (ओडिशा)
योग्यता प्रमाण-पत्र	:	1. खनन और रिफाइनरी काम्प्लैक्स (नाल्को), कोरापुट (ओडिशा)
		2. हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लि. मुरी वर्क्स रांची (झारखंड)

vkWVkseksckby fofuekZ.k

प्रथम पुरस्कार	:	टाटा मोटर्स लि., धारवाड (कर्नाटक)
द्वितीय पुरस्कार	:	महिन्द्र टू व्हीलर्स लि., पीतमपुर (मध्य प्रदेश)
योग्यता प्रमाण-पत्र	:	1. टाटा मोटर्स लि. सीवीबीयू - लखनऊ (उ.प्र.)
		2. अशोक लैलैंड लि., अलवर (राजस्थान)

lhesaV ¼fDyadj vkSj xzkbfUMax ;wfuV½

द्वितीय पुरस्कार	:	प्रिजम सीमेंट लि., (यूनिट-II) सतना, (मध्य प्रदेश)
योग्यता प्रमाण-पत्र	:	मंगलम सीमेंट लि., कोटा (राजस्थान)

lhesaV ¼xzkbfUMax ;wfuV½

योग्यता प्रमाण-पत्र	:	1. दि रैम्को सीमेंट्स लि., मद्रास ग्राइंडिंग प्लांट कांचीपुरम (तमिलनाडु)
		2. चुनार सीमेंट फैक्ट्री, (जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की एक इकाई) मिर्जापुर, (उ.प्र)

efÙkdk

प्रथम पुरस्कार	:	एचएंडआर जॉनसन (भारत), (प्रिजम सीमेंट लि. का एक प्रभाग), कुनिगल, तुमकुर, (कर्नाटक)

jlk;u

योग्यता प्रमाण-पत्र	:	अतुल लिमिटेड, अतुल (गुजरात)

Dyksj-vYdyh

प्रथम पुरस्कार	:	श्रीराम विनाइल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, कोटा (राजस्थान)
द्वितीय पुरस्कार	:	डीसीएम श्रीराम लि. (इकाई : श्रीराम अल्कली एवं केमिकल्स), भड़ूच, (गुजरात)
योग्यता प्रमाण-पत्र	:	1. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इंडिया) लि., (रेनूकूट केमिकल प्रभाग), सोनभद्र (उप्र.)
		2. सिएल केमिकल कॉम्प्लैक्स, पटियाला (पंजाब)

miHkksDrk oLrq fofuekZ.k

प्रथम पुरस्कार	:	गोदरेज एंड बायस मैन्युफैक्चरिंग क. लि., उपकरण प्रभाग, सतारा (महाराष्ट्र)

द्वितीय पुरस्कार	:	गोदरेज एंड बायस मैन्युफैक्चरिंग क. लि., मोहाली (पंजाब)
योग्यता प्रमाण-पत्र	:	एल जी इलैक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रा. लि. ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)

M;jh

प्रथम पुरस्कार	:	हेरिटेज फूड्स लि., चित्तूर (आंध्र प्रदेश)
द्वितीय पुरस्कार	:	1. मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजीटेबल प्राइवेट लिमिटेड, पटपड़गंज, (नई दिल्ली) 2. हेरिटेज फूड्स लिमिटेड, उप्पल, हैदराबाद, (तेलंगाना)

vkS"kf/k vkSj HkS"kt

द्वितीय पुरस्कार	:	नेक्टर लाइफ सांइस लिमिटेड यूनिट-II, मोहाली, पंजाब
योग्यता प्रमाण-पत्र	:	यूएसवी लि.,यूनिट-1, बद्दी (हिमाचल प्रदेश)

byfDVªflVh fMLVªhC;w'ku dEiuht ¼fMLdke½

प्रथम पुरस्कार	:	दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, चित्तूर, (आंध्र प्रदेश)
द्वितीय पुरस्कार	:	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, माटुंगा, मुंबई
योग्यता प्रमाण-पत्र	:	केरल राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड, विद्युती भवनम्, पैट्टम, थिरुवनंथपुरम (केरल)

[kk| rsy/ouLifr

प्रथम पुरस्कार	:	रूचि सोया इंडीस्ट्रीज लि., हल्दिया (पश्चिमी बंगाल)
द्वितीय पुरस्कार	:	रूचि सोया इंडीस्ट्रीज लि., चैन्नई (तमिलनाडु)
योग्यता प्रमाण-पत्र	:	3. एफ इंडीस्ट्रीज लि., तडपल्लीगुडम (आंध्र प्रदेश)

moZjd ¼;wfj;k½

प्रथम पुरस्कार	:	इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स, (आदित्य बिड़ला लिमिटेड की एक यूनिट) अमेठी, (उत्तर प्रदेश)
द्वितीय पुरस्कार	:	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, थाल यूनिट, रायगढ़ महाराष्ट्र)
योग्यता प्रमाण-पत्र	:	1. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि., ट्रॉम्बे यूनिट, चेम्बूर, मुंबई (महाराष्ट्र)
	:	2. भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, आंवला यूनिट-II, बरेली (उत्तर प्रदेश)

moZjd ¼QkLQsV½

योग्यता प्रमाण पत्र	:	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, काकीनाडा यूनिट, पूर्वीगोदावरी (आंध्र प्रदेश)

[kk| çlLdj.k

प्रथम पुरस्कार	:	यूनिलीवर इंडिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड–पुणे चाय निर्यात, पुणे (महाराष्ट्र)

द्वितीय पुरस्कार	:	टाटा कॉफी लिमिटेड, इंस्टेंट कॉफी प्रभाग, तुपरन यूनिट, मेडक (तेलंगाना)

ykg HkVBh

द्वितीय पुरस्कार	:	श्री निवास इंजीनियरिंग ऑटो कंपोनेंट्स प्रा. लिमिटेड, पुणे, (महाराष्ट्र)
योग्यता प्रमाण पत्र	:	घटगे पाटिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोल्हापुर, (महाराष्ट्र)

I kekU; J.kh

प्रथम पुरस्कार	:	चामुंडेश्वरी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड, (सीईएससी) मैसूर (कर्नाटक)
द्वितीय पुरस्कार	:	दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद डिवीजन, काजीपेट पम्पिंग सेक्टर, सिकंदराबाद (तेलंगाना)
योग्यता प्रमाण पत्र	:	1. किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड सासवाड, पुणे (महाराष्ट्र) 2. दक्षिण मध्य रेलवे, हैदराबाद डिवीजन, शीपमंडी पम्पहाउस, सिकंदराबाद, (तेलंगाना)

I kekU; J.kh ¼ijLdkj d mi{k=½

प्रथम पुरस्कार	:	ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम, विशाखापट्टनम, (आंध्र प्रदेश)
द्वितीय पुरस्कार	:	एल एंड टी स्पेशल स्टील्स और हैवी फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड सूरत, (गुजरात)
योग्यता प्रमाण पत्र	:	जाम श्री रंजीत सिंह जी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड सोलापुर (महाराष्ट्र)

, dh—r bLikr lykV l

प्रथम पुरस्कार	:	सेल, राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला (ओडिशा) खनन
प्रथम पुरस्कार	:	मोइल लिमिटेड, उकवा माइन, नागपुर (महाराष्ट्र)
द्वितीय पुरस्कार	:	मोइल लिमिटेड, खानद्री माइन, नागपुर (महाराष्ट्र)
योग्यता प्रमाण पत्र	:	सिंदेश्वर खुर्द खदान, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (वेदांता लिमिटेड) राजसमंद (राजस्थान)

dkxt vkj yxnh

प्रथम पुरस्कार	:	जेके पेपर लिमिटेड, यूनिट जेकेपीएम जायकापुर, रायगडा (ओडिशा)
द्वितीय प्रमाण पत्र	:	बीआईएलटी ग्राफिक पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, (इकाई बल्लारपुर) चंद्रपुर (महाराष्ट्र)

iVkj lk;u

द्वितीय पुरस्कार	:	1. थिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड रानीपेट (तमिलनाडु) 2. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड - दाहेज निर्माण विभाग, भडुच, (गुजरात)

योग्यता प्रमाण-पत्र	:	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, हजीरा संयंत्र, सूरत (गुजरात)

lykfLVd

प्रथम पुरस्कार	:	नीलकमल लिमिटेड, कृष्णागिरि, होसुर (तमिलनाडु)
द्वितीय पुरस्कार	:	डीएसएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इंजीनियरिंग प्लास्टिक के डिवीजन), पुणे (महाराष्ट्र)
योग्यता प्रमाण-पत्र	:	सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दुर्गापुर यूनिट, बर्दवान, (पश्चिम बंगाल)

fjQkbujh

प्रथम पुरस्कार	:	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुजरात रिफाइनरी, वडोदरा (गुजरात)
द्वितीय पुरस्कार	:	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मथुरा रिफाइनरी, मथुरा (उत्तर प्रदेश)
योग्यता प्रमाण-पत्र	:	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हल्दिया रिफाइनरी, पूर्व मेदीनीपुर (पश्चिम बंगाल)

{k=h; jyo

प्रथम पुरस्कार	:	दक्षिण रेलवे, चेन्नई (तमिलनाडु)
द्वितीय पुरस्कार	:	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
योग्यता प्रमाण-पत्र	:	1. पूर्व तट रेलवे, चंद्रशेखरपुर भुवनेश्वर (ओडिशा) 2. पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई (महाराष्ट्र)

jyo de'kkyk

प्रथम पुरस्कार	:	रेलवे कैरिज कर्मशाला, जोधपुर, जयपुर (राजस्थान)
द्वितीय पुरस्कार		1. अजमेर कर्मशाला समूह, अजमेर, जयपुर (राजस्थान) 2. इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई (तमिलनाडु)
योग्यता प्रमाण-पत्र		डीजल लोको आधुनिकीकरण कार्य, पटियाला (पंजाब)

jyo LV'ku

प्रथम पुरस्कार	:	अहमदाबाद डिवीजन, पश्चिम रेलवे, पालनपुर (गुजरात)
द्वितीय पुरस्कार		1. उत्तर रेलवे, अमृतसर, फिरोजपुर डिवीजन, फिरोजपुर(पंजाब) 2. उत्तर रेलवे, फिरोजपुर डिवीजन, जालंधर कैन्ट फिरोजपुर (पंजाब)
योग्यता प्रमाण-पत्र		1. दक्षिण मध्य रेलवे, हैदराबाद डिवीजन कचेगुडा रेलवे स्टेशन, सिकंदराबाद, (तेलंगाना) 2. विद्युत विभाग, उत्तर पूर्व रेलवे, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 3. राजकोट स्टेशन, राजकोट (गुजरात)

'kkfi x ekly

प्रथम पुरस्कार :	शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड - (मलाड शाखा), मुंबई (महाराष्ट्र)
द्वितीय पुरस्कार :	शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड - (पेसिफिक पुणे शाखा), पुणे(महाराष्ट्र)
योग्यता प्रमाण-पत्र :	शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड (बेनरगट्टा शाखा), बेंगलौर (कर्नाटक)

lkcu vkj fMVtsV

योग्यता प्रमाण-पत्र :	ओरई डिटर्जेंट फैक्टरी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जालौन ओरई (उत्तर प्रदेश)

'kdjk

प्रथम पुरस्कार :	बन्नारी अम्मान शुगर्स लिमिटेड, यूनिट-4 तिरुवन्नामलाई, (तमिलनाडु)
योग्यता प्रमाण-पत्र :	केसीपी शुगर एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वुय्युरु, कृष्णा (आंध्र प्रदेश)

bLikr vkjbl jkfyx

योग्यता प्रमाण-पत्र :	जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड, हिसार (हरियाणा)

oL=

प्रथम पुरस्कार :	अरविंद लिमिटेड, खतराज, गांधीनगर, (गुजरात)
द्वितीय पुरस्कार :	रेमंड लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र)

Vk;j

द्वितीय पुरस्कार :	जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लि. - चेन्नई टायर प्लांट, कांचीपुरम (तमिलनाडु)
योग्यता प्रमाण-पत्र	1. टीवीएस श्रीचक्र लिमिटेड, मदुरै (तमिलनाडु) 2. बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, औरंगाबाद, (महाराष्ट्र)

dk;kZy; Hkou ¼10 yk[k fdyksokV ifr ?kVk@ifro"kZ ls vf/kd dh [kir½

प्रथम पुरस्कार :	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, चांदीवली टॉवर, मुंबई (महाराष्ट्र)
द्वितीय पुरस्कार :	नीति आयोग, संसद मार्ग (नई दिल्ली)
योग्यता प्रमाण-पत्र :	इन्फोसिस लिमिटेड, सॉफ्टवेयर विकास खण्ड - 3, चेंगलपेट, (तमिलनाडु)

dk;kZy; Hkou ¼10 yk[k fdyksokV ifr ?kVk/ifro"kZ ls de dh [kir½

प्रथम पुरस्कार :	दक्षिण मध्य रेलवे, हैदराबाद डिवीजन सी-तारा बिल्डिंग सिकंदराबाद (तेलंगाना)
द्वितीय पुरस्कार :	भावनगर पारा प्रभाग, पश्चिमी रेलवे, डीआरएम कार्यालय, भावनगर पारा (गुजरात)

योग्यता प्रमाण-पत्र	:	दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद प्रभाग, संचालन भवन सिकंदराबाद (तेलंगाना)

chihvk fcfYMx

योग्यता प्रमाण-पत्र	:	इंफोसिस लिमिटेड, बी-6, पुणे (महाराष्ट्र)

gkVy ¼ikp vkj blls vf/kd flrkjk gkVy½

प्रथम पुरस्कार	:	इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, ताज ग्रीन कोव कोवलम, तिरुवनंतपुरम, (केरल) द्वारा विवांता
द्वितीय पुरस्कार	:	ताज ब्लू डायमंड, पुणे (महाराष्ट्र) द्वारा विवांता
योग्यता प्रमाण-पत्र	:	आईटीसी होटल्स ताज गंज, आगरा (उत्तर प्रदेश)

gkVy ¼pkj vkj blls de flrkjk gkVy½

योग्यता प्रमाण-पत्र	:	मंजीरा होटल एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड, आदित्य पार्क होटल, हैदराबाद (तेलंगाना)

vLirky ¼10 yk[k fdykokV ifr ?kVk@ifro"k ls vf/kd dh [kir½

प्रथम पुरस्कार	:	फोर्टिस अस्पताल लिमिटेड, नोएडा (उत्तर प्रदेश)
द्वितीय पुरस्कार	:	फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड, मोहाली (पंजाब)

vLirky ¼10 yk[k fdykokV ifr ?kVk@ifro"k ls de dh [kir½

प्रथम पुरस्कार	:	उत्तर रेलवे, फिरोजपुर डिवीजन, डिवीजनल अस्पताल फिरोजपुर (पंजाब)
द्वितीय पुरस्कार	:	भावनगर प्रभाग, पश्चिम रेलवे, मंडल रेलवे भावनगर (गुजरात)
योग्यता प्रमाण-पत्र	:	1. हैदराबाद डिवीजन, दक्षिण मध्य रेलवे, केन्द्रीय अस्पताल, मध्य लल्लागुडा, सिकंदराबाद, (तेलंगाना) 2. उत्तर रेलवे, दिल्ली डिवीजन, डिवीजनल अस्पताल (नई दिल्ली)

jkT; vfHkfgr vfHkdj.k

प्रथम पुरस्कार	:	राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन (एसईसीएम), ऊर्जा विभाग, आई एंड आई, आंध्र प्रदेश सरकार, (आंध्र प्रदेश)
द्वितीय पुरस्कार	:	ऊर्जा प्रबंधन केंद्र - केरल, तिरुवनंतपुरम (केरल)
योग्यता प्रमाण–पत्र	:	1. छत्तीसगढ़ राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, रायपुर 2. पंजाब ऊर्जा विकास अभिकरण चंडीगढ़ (पंजाब)

rkih; fo|r dsUnz ¼dks;yk iTtofyr l;a= >100 exkokV {kerk½

प्रथम पुरस्कार	:	स्वतंत्र पावर प्लांट, 4X600 मेगावाट, वेदांता लिमिटेड, झरसुगुडा (ओडिशा)
योग्यता प्रमाण-पत्र	:	मैतूर थर्मल पावर स्टेशन-1 टांगेडको, मैतूर बांध (तमिलनाडु)

rkih; fo|r dUn ¼x l iTtofyr l;= >100 exkokV {kerk½

प्रथम पुरस्कार : एनटीपीसी लिमिटेड, कवास गैस पावर, सूरत, (गुजरात)

rkih; fo|r dUn ¼x l ÁTtofyr l;= <100 exkokV {kerk½

प्रथम पुरस्कार : मेघालय पावर लिमिटेड (सीपीपी –2), जिला–पूर्व जयंतिया हिल्स, (मेघालय)

द्वितीय पुरस्कार : कैप्टिव पावर प्लांट, जावर माइन्स, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर (राजस्थान)

fo'ofo|ky; vkj bthfu;jh lLFkku Hkou

योग्यता प्रमाण-पत्र : हैदराबाद डिवीजन, दक्षिण-मध्य रेलवे, जोनल रेलवे प्रशिक्षण संस्थान (जेडआरटीआई), सिकंदराबाद (तेलंगाना)

vk;/k fuek.kh

प्रथम पुरस्कार : आयुध निर्माणी, वारंगांव, जलगांव (महाराष्ट्र)

द्वितीय पुरस्कार : आयुध निर्माणी, भंडारा (महाराष्ट्र)

योग्यता प्रमाण-पत्र : 1. अति विस्फोटक फैक्टरी, खडकी, पुणे (महाराष्ट्र)

: 2. ग्रे आयरन फाउंड्री, जबलपुर (मध्य प्रदेश)

chbbl LVkj ycy;ä midj.kk d fuekrk ¼,;jdMh'kuj½

प्रथम पुरस्कार : वोल्टास लिमिटेड, (नई दिल्ली)

द्वितीय पुरस्कार : गोदरेज एंड बोयस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि., सतारा (महाराष्ट्र)

योग्यता प्रमाण-पत्र : सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, कांचीपुरम (तमिलनाडु)

chbbl LVkj ycy;ä midj.kk d fuekrk ¼jfÝftjVj½

प्रथम पुरस्कार : वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड गुड़गांव (हरियाणा)

द्वितीय पुरस्कार : गोदरेज एंड बॉयस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लि., सतारा (महाराष्ट्र)

योग्यता प्रमाण-पत्र : एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश)

chbbl LVkj ycy;ä midj.kk d fuekrk ¼df"k ii lV½

प्रथम पुरस्कार : एक्वासब इंजीनियरिंग, कोयम्बटूर, (तमिलनाडु)

द्वितीय पुरस्कार : टेक्समो इंडस्ट्रीज, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)

chbbl LVkj ycy;ä midj.kk d fuekrk ¼Nr d i[k½

प्रथम पुरस्कार : 1. उषा इंटरनेशनल लिमिटेड, गुड़गांव (हरियाणा)

: 2. क्रॉम्प्टन ग्रीव्स कंज्युमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, पोंडा (गोवा)

chbbl LVkj ycy;ä midj.kk d fuekrk ¼Vyhfotu½

प्रथम पुरस्कार : एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, शिरूर, पुणे (महाराष्ट्र)

chbbl LVkj ycy;ä midj.kk d fuekrk ¼LVkjt okVj ghVj½

प्रथम पुरस्कार : राकोल्ड थर्मो लिमिटेड, चाकन, पुणे (महाराष्ट्र)

द्वितीय पुरस्कार : बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मुंबई (महाराष्ट्र)

योग्यता प्रमाण-पत्र : क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्युमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कुर्ला–पश्चिम, मुंबई (महाराष्ट्र)

chbbl LVkj ycy;ä midj.kk d fuekrk ¼fMLVhC;Vj VkIQkej ½

प्रथम पुरस्कार : तोशिबा ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मेडक जिला, (तेलंगाना)

Åtk y[kk ijh{kd

योग्यता प्रमाण-पत्र : 1. डॉ पी.पी.मित्तल, फरीदाबाद (हरियाणा)

: 2. श्री राजेश मोहन, चेन्नई (तमिलनाडु)

Åtk y[kk ijh{kk vfHkdj.k

योग्यता प्रमाण-पत्र : भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), सोहराबजी गोदरेज, ग्रीन ग्रीन बिजनेस सेंटर, आरआर जिला, हैदराबाद

foÙkh; lLFkku

प्रथम पुरस्कार : भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) (नई दिल्ली)

jk"Vh; Åtk n{krk 0;kikj e,My J.kh

प्रथम पुरस्कार : आंध्र प्रदेश दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, तिरुपति (आंध्र प्रदेश) - डीएसएम – डीईएलपी

द्वितीय पुरस्कार : ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर पालिका निगम विशाखापत्तनम, (आंध्र प्रदेश) - डीएसएम स्ट्रीट लाइट

योग्यता प्रमाण-पत्र :

1. पुडुचेरी विद्युत विभाग (पुडुचेरी) डीएसएम– डीईएलपी
2. यंत्र हार्वेस्ट एनर्जी ऊर्जा फसल प्रा. लिमिटेड पुणे (महाराष्ट्र) - उद्योग
3. एसईई– टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर (महाराष्ट्र) - भवन
4. प्रणत इंजीनियर्स प्रा. लि., गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) - उद्योग
5. प्रणत इंजीनियर्स प्रा. लि., गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) - भवन
6. प्रणत इंजीनियर्स प्रा. लि., गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश)-डीएसएम-स्ट्रीट लाइट
7. चामुंडेश्वरी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड, मैसूर (कर्नाटक)-कृषि डीएसएम

Ldyh cPpk dfy, Åtk lj{k.k ij fp=dyk ifr;kfxrk

मासूम बच्चों ने स्वच्छ, हरित और ऊर्जा सक्षम भविष्य के लिए कल्पना के संसार का चित्रण किया। बच्चों ने ऊर्जा संरक्षण पर उपयोगी विचार भी दिए। स्कूल जाने वाले बच्चों ने न केवल अपने अभिभावकों, भाइयों और बहनों अपितु अन्य जैसे शिक्षकों, पड़ोसियों इत्यादि को भी शामिल करते हुए समाज में अपेक्षित बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस दृष्टिकोण से, स्कूली बच्चों को घरेलू क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के साथ ऊर्जा दक्षता के प्रति संवेदनशील बनाते हुए,विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) श्रेणी 'ए' के अंतर्गत चौथी, पांचवी व छठी कक्षा के लिए तथा श्रेणी'बी' के अंतर्गत सातवीं, आठवीं और नौवीं कक्षा के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करके पैन इंडिया राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाता है।

राज्य और राष्ट्रीय स्तर 14 दिसम्बर, 2015 को 70,000 मूल्य के नकद पुरस्कार प्रतिराज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रति श्रेणी (36 राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के लिए 25.20 लाख रूपये प्रति श्रेणी अथवा दोनों श्रेणियों के लिए 50.40 लाख रूपये) राज्य स्तर के विजेताओं को वितरित किए गए। राष्ट्रीय प्रतियोगिता की दोनों श्रेणियों के विजेताओं के लिए 10.35 लाख रूपये के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष 2015 के दौरान एक करोड़ से अधिक छात्रों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया।

Ok"k 2015 e Ldhe dh mi yfC/k;k fuEuku lkj g%

- ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता एक शानदार सफलता रही।
- देशभर से 1,00,000 से कुछ अधिक स्कूलों के 105.25 लाख छात्रों ने भागलिया। यह प्रतिभागिता गतवर्ष की तुलना में 75 प्रतिशत अधिक रही।

- माननीय विद्युत, कोयला और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री पीयूष गोयल ने विज्ञान भवन में आयोजित हुए समारोह में राष्ट्रीय स्तर के 19 विजेताओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किए।

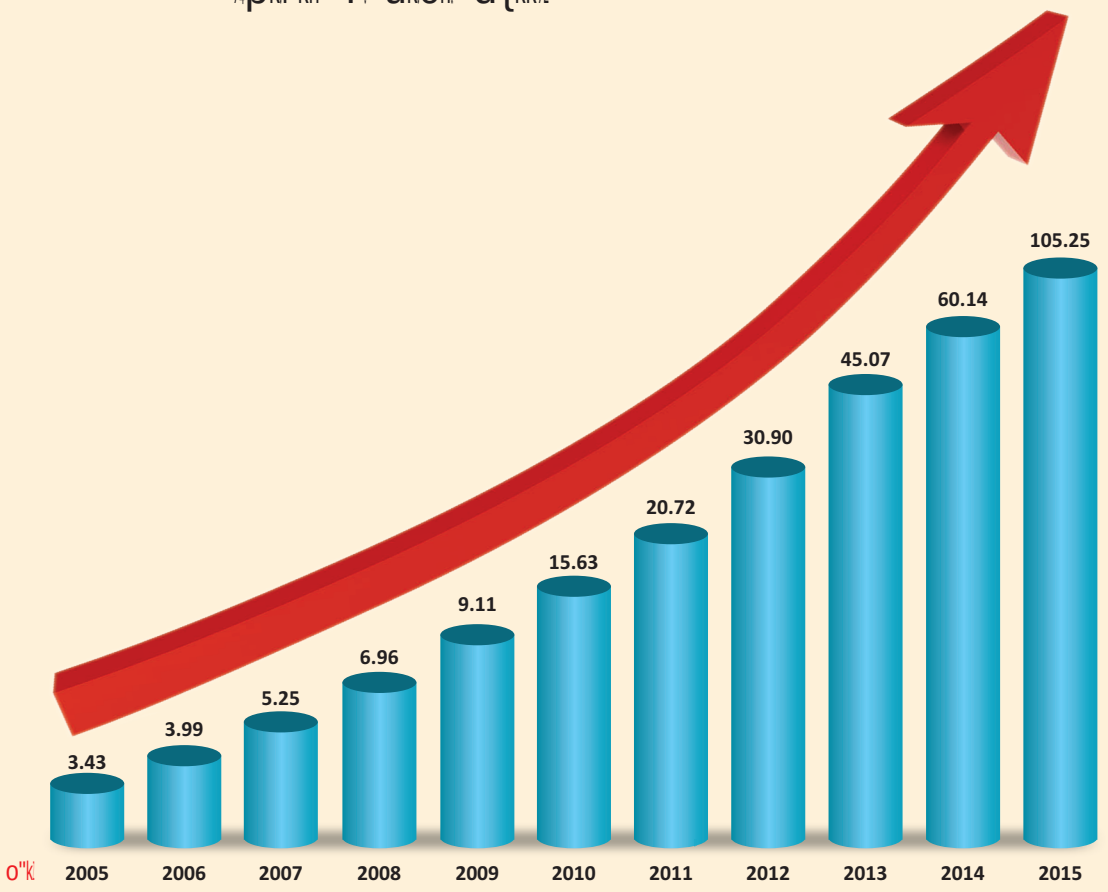

1-7-1 'kklh ifj"kn dh lajpuk

1.	माननीय विद्युत कोयला एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली	पदेन अध्यक्ष
2.	सचिव विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली	पदेन सदस्य
3.	सचिव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
4.	सचिव कोयला विभाग कोयला एवं खनन मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
5.	सचिव नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सीजीओ कॉम्प्लैक्स लोधी रोड, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
6.	सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग कमरा सं. 145-बी, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
7.	सचिव उपभोक्ता मामले विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
8.	अध्यक्ष केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण सेवा भवन, आर.के. पुरम नई दिल्ली	पदेन सदस्य
9.	महानिदेशक केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान प्रो. सर सी.वी. रमन रोड, पी.बी. सं. 8066, बेंगलौर - 560080	पदेन सदस्य
10.	कार्यकारी निदेशक पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, संरक्षण भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110 066	पदेन सदस्य
11.	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक केन्द्रीय खनन योजना एवं अभिकल्पन संस्थान लि. कणके रोड, रांची 834 008	पदेन सदस्य
12.	महा निदेशक भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन बी.एस. ज़फर मार्ग, नई दिल्ली – 110 002	पदेन सदस्य

13.	महा निदेशक राष्ट्रीय परीक्षण शाला उपभोक्ता मामले विभाग 11/1, जज़िस कोर्ट रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700 027	पदेन सदस्य
14.	प्रबंध निदेशक भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड इंडिया हैबीटेट सेंटर लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003	पदेन सदस्य
15.	सदस्य सचिव पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति लिमिटेड एमएसएचएफसी सोसाइटी लि. नानग्रिम हिल्स, शिलाँग - 793003	सदस्य
16.	सदस्य सचिव पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति 14, गोल्फ क्लब रोड, टॉली गंज, कोलकाता - 700033	सदस्य
17.	सदस्य सचिव उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति 18-ए, शहीद सिंध सनसनवाल मार्ग कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016	सदस्य
18.	सदस्य सचिव पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत समिति एफ-3, एमआईटीसी क्षेत्र अंधेरी ईस्ट, मुम्बई - 400 093	सदस्य
19.	सदस्य सचिव दक्षिणी क्षेत्रीय विद्युत समिति 29-रेज़ होर्स, क्रॉस रोड बेंगलौर-09	सदस्य
20.	सचिव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड नई दिल्ली - 110003	सदस्य
21.	सचिव शहरी विकास मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली	सदस्य
22.	महा निदेशक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो चौथा तल, सेवा भवन, आर. के. पुरम-I, नई दिल्ली - 110 066	पदेन सदस्य सचिव

2

varjkZ"Vªh; lg;ksx

2-1 varjkZ"Vªh; f}i{kh; dk;ZØe

2-2 cgqi{kh; dk;ZØe & tkjh dk;ZØe

2-1 vırjk"Vªh; f}i{kh; dk;Øe

2.1.1 इंडो-जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम

1- bMk teu Åtk Qkje (vkÃthÃ,Q)

दोनों देशों के बीच, सतत ऊर्जा आपूर्ति और उपयोग के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने वर्ष 2006 में हनोवर मेला के दौरान इंडो–जर्मन एनर्जी फोरम (आईजीईएफ) की स्थापना की।

जर्मनी के साथ यह द्विपक्षीय कार्यक्रम भारत के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभप्रद संबंधों में से है। इसमें विषयों की एक व्यापक रेंज शामिल है, जैसे उद्योग, भवनों, केएफडब्ल्यू से लाइन ऑफ क्रेडिट, त्रिगुणा उत्पादन, तापीय ऊर्जा संयंत्रों की दक्षता में सुधार, नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा दक्षता आदि। इंडो-जर्मन इनर्जी फोरम के अंतर्गत, 3 उप-समूह हैं। उप-समूह 1 में, जीवाश्म ईधन आधारित विद्युत संयंत्रों में दक्षता उन्नयन, उप समूह 2 में नवीकरणीय ऊर्जा है और उप समूह 3 में मांगपक्ष ऊर्जा दक्षता तथा निम्न कार्बन वृद्धि रणनीतियां हैं। उप समूह 3 में, भारतीय विद्युत मंत्रालय (एमओपी) और जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड इनर्जी (बीएमडब्ल्यूआई) और फेडरल मिनिस्ट्री फॉर दि इनवायरनमेंट, नेचर कंजर्वेशन, भवन और न्यूकलीय सुरक्षा (बीएमयूबी) मिलकर कार्य कर रहे हैं, ताकि अपने अपने देशों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक वातावरण बना सकें। यह उद्देश्य दोनों देशों के सरकारी और निजी क्षेत्र के निर्णायकों के बीच एक रचनात्मक वार्ता को सहज बनाकर प्राप्त किया जा सकता है।

संयुक्त ऊष्मा और विद्युत उत्पादन के अवसरों पर काफी समय से चर्चा की जा रही है और अब जीआईजेड़ के सहयोग से, जय प्रकाश नारायण शीर्ष ट्रॉमा सेंटर, नई दिल्ली में एक निदर्शन त्रि-उत्पादन संयंत्र की स्थापना की गई। जीआईजेड़ देश में त्रि-उत्पादन की संकल्पना को बढ़ावा देने के लिए ईईएसएल के साथ संगठनात्मक स्तर पर जुड़ने का इच्छुक है जो जय प्रकाश नारायण शीर्श ट्रॉमा सेंटर, नई दिल्ली में जर्मन पर्यावरण मंत्रालय, प्रकृति संरक्षण और न्यूकलीय सुरक्षा (बीएमयू) का अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शुरूआत के तहत् निधीयत एक परियोजना के माध्यम से सफलतापूर्वक दर्शाया गया है।

आवासीय भवनों के क्षेत्र में, फ्रॉनहाफर इंस्टीट्यूट और टेरी ने संयुक्त रूप से एक ऊर्जा निश्पादन आकलन उपकरण का विकास किया है जो भारत में आवासीय भवनों में विभिन्न ऊर्जा दक्षता उपायों के लिए ऊर्जा बचत की सम्भावनाओं की गणना करता है। यह उपकरण सितम्बर, 2012 में लॉंच किया गया। यह भारत में नेशनल हाउसिंग बैंक के सहयोग से आवासीय ढांचों की ऊर्जा दक्षता के लिए केएफडब्ल्यू का एक हिस्सा है जो भवन निर्माण क्षेत्र में एक राष्ट्रीय बीईई लेबलिंग स्कीम को कार्यान्वित करने की संभावना के लिए आवासीय भवनों में ऊर्जा बचत की संभावना का पता लगाएगा। इस समय ऊर्जा दक्ष घरों के लिए एक एनएचबी लेबल विकसित किया जा रहा है, जिसका पूर्व अध्ययन किया जाएगा। बीईई ने हाल ही में "ऊर्जा दक्ष बहुमंजिला आवासीय भवनों के डिजाइन दिशा निर्देश" का विमोचन किया है और एनएचबी ने बीईई और केएफडब्ल्यू को लेकर एक कार्यबल गठित किया है।

विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट आधारित ज्ञान मंच विकसित करने के लिए, जर्मन पक्ष ने बिग ईई नामक एक नई शुरूआत की है। इसका अभिप्राय है "ऊर्जा दक्षता पर सूचना अंतराल को पाटना"। बिग ईई मंच में भवनों से संबंधित एस्को मॉडलों के लिए एक स्थल के रूप में सहायता देने के लिए एस्को संबंधी आंकड़ो, को शामिल करके, अंतर्राष्ट्रीय उत्तम पद्धतियों और मामला अध्ययनों का पता लगाया जा रहा है।

ईईएसएल के प्रयासों के समर्थन में, नवम्बर, 2010 में आयोजित इन्डो-जर्मन अन्तर-शासकीय विचार विमर्श के दौरान, दोनों सरकारों ने "सरकारी भवनों और अवसंरचना में ऊर्जा दक्षता" कार्यक्रम के लिए ईईएसएल को रियायती शर्तों पर केएफडब्ल्यू (जर्मन विकास

बैंक) से 50 मिलियन यूरो की ऋण सीमा के प्रावधान पर सहमति जताई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, सार्वजनिक भवनों और अन्य अवसंरचना जैसे नगरपालिका अवसंरचना अथवा कृषि पंपिंग में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को निधीयत किया गया। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम के लिए अपेक्षित प्रांरभिक उपायों के लिए केएफडब्ल्यू ईईएसएल को वित्तीय संसाधन मुहैया कराने के लिए भी सहमत हो गया है। इस अनुदान (टीए) को ऊर्जा दक्षता निवेश परियोजनाएं तैयार करने के लिए निधीयन विशेषज्ञता सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाएगा।

आईजीईएफ समर्थन कार्यालयों ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ मिलकर मांग पक्ष ऊर्जा दक्षता-इंडो जर्मन अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए संवधर्नात्मक स्कीमों पर विचारार्थ विषय तैयार किए हैं और इस अध्ययन को करने के लिए एडैल्फी का चयन किया है। उपसमूह 3 की 6 दिसम्बर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित हुई बैठक के दौरान इस अध्ययन की कार्य पद्धति और कार्यक्षेत्र को अन्तिम रूप दिया गया। जर्मनी के विभिन्न क्षेत्रों (भवनों, घरेलु उपकरणों, उद्योग, परिवहन) के लिए इन उपायों पर अध्ययन के परिणामों (कमांड और नियंत्रण, आर्थिक प्रोत्साहन, केएफडब्ल्यू आसान ऋण) को तथा प्रौद्योगिकियों को राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर नई दिल्ली में 13 फरवरी, 2015 को आयोजित छठी आईजीईएफ के दौरान स्वीकार किया गया।

2- bMk-teZu ÅtkZ dk;Øe ¼vkbZthbZ,u½

ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में इंडो-जर्मन तकनीकी सहयोग कार्यक्रम वर्ष 1995 से चलाया जा रहा है, जब से इंडो-जर्मन ऊर्जा दक्षता परियोजना को, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के पूर्ववर्ती संगठन ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र द्वारा टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलौर के माध्यम से मई, 1995 में आरम्भ किया गया था। यह परियोजना सितम्बर, 2000 में पूरी कर ली गई थी। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के लागू होने और 1 मार्च 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना होने के साथ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की नीतियों और कार्यक्रमों को सहायता देने के उद्देश्य से "इंडो-जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम (आईजीईएन) की परियोजना के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग दिया जाता रहा है। आईजीईएन की "मांग पक्ष ऊर्जा दक्षता और निम्न कार्बन वृद्धि रणनीतियों" पर उपसमूह 3 की अन्तिम बैठक 12 फरवरी, 2015 को आयोजित की गई।

इस कार्यक्रम के चरण -I के सफल कार्यान्वयन के बाद इस कार्यक्रम का चरण -II चार वर्षों तक की अवधि के लिए, अक्तूबर, 2009 से आरम्भ किया गया जो सितम्बर, 2013 को समाप्त हो गया।

कार्यक्रम का चरण -III : पैट चक्र-II में, तीन नए क्षेत्रों को शामिल किया गया, जो हैं- रिफाइनरी, रेलवे और डिस्काम। पैट चक्र-II के लिए एक उसी प्रकार की प्रक्रिया, इन क्षेत्रों में भी अपनाई जानी आवश्यक है जैसी पैट चक्र -I में अपनाई गई थी।

thvkbZtsM+ us fuEufyf[kr xfrfof/k;ksa dh fy, Vh, lgk;rk eqgS;k djkus ij Hkh fopkj fd;k gS%

i) प्रस्तावित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रोफॉर्मा का विकास

ii) सामान्यीकरण कारकों का विकास जिन्हें आधाररेखा प्रोफॉर्मा में शामिल किया जा सकेगा;

iii) विचार विमर्श बैठकों में सहायता;

iv) क्षेत्र विशेष आधाररेखा निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए कार्य पद्धति का विकास;

v) लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्यों को अन्तिम रूप देने के लिए कार्य पद्धति का विकास।

इसके अतिरिक्त, जीआईजेड़ पैट चक्र के लिए इसके अगले चरण में टीए सहायता देना जारी रखेगा।

2-1-2 Hkkjr&tkiku Åtk okrk

दिसम्बर, 2006 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के जापान दौरे के परिणाम स्वरूप, इंडो-जापान एनर्जी डायलॉग, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरूआत की गई। इसकी सह-अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष और एमईटीआई के मंत्रियों द्वारा की गई। आठवीं भारत-जापान ऊर्जा वार्ता 12 जनवरी 2016 को आयोजित की गई।

भारत–जापान ऊर्जा वार्ता के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता कार्यकारी समूह की अन्तिम बैठक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में 27 अगस्त, 2015 को आयोजित की गई जिसमें जापान की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री (एमईटीआई), दि इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनोमिक्स, जापान (आईईईजे) तथा दि एनर्जी कंजर्वेशन सेंटर, जापान (ईसीसीजे) और भारत की ओर से बीईई, टेरी और पंडित दीनदयाल पैट्रोलियम विश्व विद्यालय (पीडीपीयू) ने भाग लिया। भारत-जापान ऊर्जा वार्ता के ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां की गईं :

1. एनईडीओ निदर्शन परियोजनाएं

   निम्नलिखित तीन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया गया;

   - आंध्र प्रदेश में सिंटर कूलर अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी के लिए मॉडल परियोजना
   - झारखंड में एक कोक शुष्क शमन प्रणाली (सीडीक्यू) द्वारा ऊर्जा के दक्ष उपयोग को बढ़ाने के लिए एक मॉडल परियोजना।
   - आंध्र प्रदेश में सीमेंट संयंत्र की अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी प्रणाली के लिए एक मॉडल परियोजना।

2. संयुक्त नीति अनुसंधान

   - इस्पात, सीमेंट, मशीनी उपकरण और इंवर्टर-एअर कंडीशनर्स (आईईजे-टेरी) पर बाजार सम्भावनाएं और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण
   - ईंधन सब्सिडी आदि के उन्मूलन पर बाजार विश्लेषण और अनुरूपण (आईईईजे-पीडीपीयू)

3. बहुपक्षीय सहयोग

   - अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता सहयोग भागीदारी (आईपीईईसी) ढांचे के अंतर्गत 25 फरवरी, 2015 को भारत में लघु और मध्यम आकार के उद्यमियों (एसएमईएस) में ऊर्जा दक्षता और अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी उपायों को बढ़ावा देने के लिए "छठी प्रबन्धन कार्य नेटवर्क कार्यशाला" आयोजित की गई।

4. क्षमता निर्माण

   - 4 फरवरी 2015 को ऊर्जा दक्षता हेतु ऊष्मा पंप प्रणालियों को बढ़ावा देने और सूझबूझ को गंभीरता से लेने के लिए "ऊष्मा पंप कार्यशाला" आयोजित की गई, जिसमें 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
   - जापान में जेआईसीए द्वारा भारतीय ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए ऊर्जा संरक्षण तकनीकों में देश-केन्द्रित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जो हाल ही में 25 मार्च 2014 से 2 मई 2015 तक चलाया गया।

यह फोरम निम्नलिखित गतिविधियों पर और भी कार्य करेगा :

- लौह और इस्पात, सीमेंट तथा लुगदी और कागज क्षेत्रों में अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी प्रौद्योगिकियों का आदान प्रदान।
- जापानी अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी प्रौद्योगिकियां अन्तर्राष्ट्रीय रूप से उपलब्ध प्रौद्योगिकियों से अधिक दक्ष हैं और अधिक

मंहगी हैं। प्रौद्योगिकी की आसानी से उपलब्धता को सुकर बनाने और ऊंची प्रथम लागत की बाधाओं को कम करने के लिए भारत ने यह सुझाव दिया कि जापानी अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी कम्पनियां भारतीय कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करें।

- भारत के परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा बचतों को बढ़ावा देने और भारत में ऊष्मा पम्प प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की दिशा में सूचना और विचारों का आदान-प्रदान।
- विद्युत उद्योगों, एसएमई और औद्योगिक उपकरण के क्षेत्र में ऊर्जा प्रबन्धकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम जारी रखे जाएं।

2-1-3 Hkkjr-l;qä jkT; vefjdk lg;kx

इंडो–यूएस ऊर्जा वार्ता के अंतर्गत, विद्युत मंत्रालय þfo|qr vkSj Åtkl n{krk" पर एक कार्यकारी समूह की अगुआई कर रहा है। विद्युत क्षेत्र में इंडो-यूएस सहयोग मुख्यतः uru LoPN Åtkl ik|kfxfd;kl dl fofu;kstu vkSj vrj.k के लिए कार्य कर रहा है। 19 अगस्त, 2015 को इंडो-यूएस ऊर्जा वार्ता के अंतर्गत कार्यकारी समूह की बैठक (वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से) आयोजित की गई।

भारत और यूएस के बीच सहयोग का प्रमुख साधन है -उन्नत स्वच्छ ऊर्जा-विनियोजन (पीएसीई-डी) कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए क्षेत्रों में औद्योगिक दक्षता, भवन ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा दक्षता निधीयन और संस्थागत सुदृढ़ीकरण है। कार्यकारी समूह की बैठक के दौरान, मानकों के लिए ढांचे का सृजन करने अथवा ऊर्जा दक्षता आंकड़ा केन्द्र के लिए स्वैच्छिक रेटिंग प्रणाली के वांछित लक्ष्य के साथ ऊर्जा दक्षता आंकड़ा केन्द्र पर सहयोग के साथ आगे बढ़ने के लिए दोनों पक्षों में सहमति बनी।

;w, l , vkbZMh dk vrxZr orZeku xfrfof/k;ka - ¼ih, lhbZ-Mh½

- ईसीबीसी तकनीकी अपडेट और कार्यान्वयन
- नेट ज़ीरो ऊर्जा भवन
- ऊष्मायन, संवातन और वातानुकूलन
- अपषिश्ट ऊष्मा उपयोग
- निधीयन संस्थानों के लिए ऊर्जा दक्षता निधीयन और क्षमता निर्माण
- राज्य स्तरीय संस्थागत, विनियामक और नीतिगत विकास
- स्थल प्रषीतन
- वातानुकूल प्रषीतन चुनौती - निष्कर्ष
- ऊर्जा दक्षता आंकड़ा केन्द्र
- निम्न ग्रेड की अपषिष्ट ऊष्मा रिकवरी

2-1-4 bMk&dukMk

ऊर्जा पर इंडो–कनाडा द्विपक्षीय के अंतर्गत गठित डब्ल्यूजी-2 द्वारा ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में विद्युत नवीकरणीय और ऊर्जा दक्षता के निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग का प्रस्ताव है :

- लघु और मध्यम उद्यमियों, भवन निर्माण और नगरपालिकाओं में ऊर्जा विश्लेषण, अनुरूपण।

- लघु और मध्यम उद्यमियों की ऊर्जा और पर्यावर्णिक निष्पादन सूचित करने के लिए रेटिंग, मानक और मॉनीटरिंग उपस्कर।
- लघु और मध्यम उद्यमियों तथा बड़े उद्योगों में कम्बस्टन और अन्य विभव की प्रैद्योगिकियां
- लागत प्रभावी ऊर्जा दक्ष भवन निर्माण प्रक्रियाएं, रिट्रोफिट उपाय।
- आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा दक्ष मानकों के विकास पर दिशा निर्देश।
- औद्योगिक बैंचमार्क विकसित करते हुए लघु और मध्यम उद्यमियों, भवनों, नगर पालिकाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- कनाडा में स्ट्रीट और सार्वजनिक प्रकाश क्षेत्र, प्रकाश अपशिष्ट और जल प्रबन्धन पर हरित ऊर्जा अधिनियम तथा हरित नगरपालिका निधि से तकनीकी विशेषज्ञता और सर्वोत्तम पद्धतियां का आदान-प्रदान किया जा रहा है।

2-1-5 bMk & : I

नवम्बर, 2013 में निम्नलिखित विषयों पर ज्ञान, सूचना और सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान-प्रदान के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और रूस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए :

- ऊर्जा प्रबन्धन, ऊर्जा लेखापरीक्षा और ऊर्जा सेवाओं के क्षेत्र में अनुभव का आदान प्रदान।
- सम्मेलन और संगोष्ठियों का आयोजन।
- ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को तकनीकी सहायता।
- शिष्टमंडलों का आपसी दौरा।

भारत-रूस अन्तर शासकीय आयोग के अंतर्गत 30-31 अक्तूबर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित, व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय तथा सांस्कृतिक सहयोग की ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता की कार्यकारी समूह की 19वीं बैठक के दौरान, भारत की ओर से पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया तथा रूस की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ऑफ दि रशियन फेडरेशन ने प्रतिनिधित्व किया। उपर्युक्त समझौता ज्ञापन के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में मौजूदा समझौता ज्ञापन के भीतर सहयोग का विकास करने के लिए रूसी ऊर्जा अभिकरण और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के विचारों का स्वागत किया गया :

- रिफाइनरी, पैट्रोरसायन, उर्वरक और अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के अवसरों की पहचान करना।
- संयुक्त संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के माध्यम से विशेषज्ञता का आदान प्रदान और ज्ञान की भागीदारी।
- तेल और गैस प्रतिश्ठानों के क्षेत्र में ऊर्जा लेखा परीक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण।
- नई दिल्ली में वर्ष 2015 के दौरान "तेल और गैस क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के अवसर" पर बीईई, पीसीआरए, आरईए, जीसीई के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक तकनीकी कार्यशाला।

भारत के पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए), ने जीसीई समूह, रूस के साथ मिलकर पैट्रोलियम क्षेत्र की एक रिफाइनरी का संयुक्त ऊर्जा लेखापरीक्षा करने का प्रस्ताव रखा है। इस समय, संयुक्त ऊर्जा लेखा परीक्षा आयोजित करने के कार्य को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। पीसीआरए और जीसीई समूह के बीच, रिफाइनरी क्षेत्र में ऊर्जा लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए किया गया संयुक्त प्रयोग रिफाइनरी क्षेत्र के लिए एक बैंचमार्क प्रक्रिया में काफी लाभप्रद होगा, जिसे पैट –II चक्र के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

2-1-6 bMk - phu

ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में भारत और चीन के बीच 26 नवम्बर, 2012 को निम्नलिखित क्षेत्रों में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

1. उद्योगों में ऊर्जा दक्षता के संवर्धन में सहयोग।
2. ऊर्जा सेवा कम्पनियों (ईएससीओ) के माध्यम से ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
3. ऊर्जा प्रबन्धन प्रणाली (आईएसओ 50001)
4. तापीय विद्युत संयंत्रों में ऊर्जा दक्षता संवर्धन।
5. एलईडी के लिए परीक्षण प्रोटोकोल और मानकों का संयुक्त रूप से विकास।

सचिव, बीईई ने सदस्य (ऊर्जा), योजना आयोग के साथ 25-27 सितम्बर, 2013 की अवधि में किए गए बीजिंग दौरे के दौरान नीतिगत आर्थिक वार्ता (एसईडी) में भाग लिया, जिसमें निम्नलिचिखत मुद्दों पर चर्चा की गई :

- तीसरे इंडो-चीन एसईडी के साथ मिलकर ऊर्जा दक्षता संगोष्ठी आयोजित करने का प्रस्ताव।
- चीन के सीमेन्ट, इस्पात और कागज उद्योगों का दौरा। विभिन्न उद्योग, अपनी सुविधानुसार भिन्न-भिन्न तारीखों को चीन का दौरा करेंगे।

संसाधन संरक्षण और पर्यावर्णिक संरक्षण पर भारत चीन कार्यकारी समूह स्तर की बैठक : अन्तिम एसईडी के दौरान महानिदेशक, बीईई की सह अध्यक्षता में 25-26 नवम्बर, 2015 को बीजिंग में एक बैठक आयोजित की गई।

2-1-7 bMk - fLoV t j yM

भारत में भवनों में देश की विद्युत खपत का 33 प्रतिशत प्रयुक्त होता है और इसमें निर्माण क्षेत्र में आने वाले वर्षों में भारी वृद्धि होने की आशा है। भवन निर्माण के क्षेत्र में, नए भवनों को अति ऊर्जा दक्ष बनाकर अभिकल्पन प्रक्रिया में बदलाव लाते हुए ऊर्जा खपत को कम करने की भारी सम्भावनाएं हैं। भवनों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ एक द्विपक्षीय समझौते में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किए गए हैं :-

- एकीकृत डिजाइन शैरेट्स का विकास
- भवन निर्माण सामग्री परीक्षण अवसंरचना के विकास में तकनीकी सहायता
- ऊर्जा दक्ष आवासीय और सार्वजनिक भवनों के डिजाइन के डिजाइन सम्बंधी दिशा निर्देश और उपकरण
- ज्ञान उत्पाद का उत्पादन और प्रसारण

2-1-8 bMk - LohMu

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और स्वीडिश एनर्जी एजेंसी (एसटीईएम) ने निम्नलिखित पर एक संयुक्त कार्य योजना का विकास करने के लिए 2010 में एक द्विपक्षीय सहयोग की शुरूआत की :

(I) उद्योग : सम्पर्क बढ़ाना और न केवल स्वच्छ-तकनीकी उत्पादकों और कम्पनियों से बल्कि प्रबन्धन उपकरणों के साथ भी परिचित होना।

(ii) भवन : भवन निर्माण क्षेत्र में विकासों का प्रबन्धन करना और डिजाइन पद्धतियों और कॉम्प्लैक्स भवन तथा पुनः सज्जाकरण की प्रक्रियाओं की हैंडलिग के लिए स्टाफ के प्रशिक्षण पर जोर देना।

(iii) क्षेत्रीय विकास : उपयोगकताओं के नजदीकी ऊर्जा पहलुओं से निपटने के लिए क्षमता का विकास एवं निर्माण करना।

ऊपर उल्लिखित सहयोग के क्षेत्र अत्यंत लाभप्रद थे और इनसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए:-

(i) अन्तिम उपयोग ऊर्जा बैंच मार्किंग को सरल बनाने के लिए तुरंत आकलन उपकरण का विकास - इस प्रक्रिया में स्वीडन में विकसित अन्तिम ऊर्जा बैंच मार्किंग के लिए भारत में विभिन्न स्थानों पर इस उपकरण की उपयुक्तता और प्रभावकारिता के लिए इसका प्रयोग किया गया। इस उपकरण को भारतीय भवनों, सम्मिश्र ग्रिड और बिजली की बैक-अप आपूर्ति तथा उच्च एअर कंडीशनिंग भार में उपलब्ध आंकड़ों की प्रतिक्रिया स्वरूप संशोधित किया गया। तदुपरांत, इस उपकरण के बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग के लिए ऊर्जा लेखापरीक्षकों को इसका प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया।

(ii) भारतीय उद्योग के लिए निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पैट) को लागू करने से मानकीकृत ऊर्जा मॉनीटरन और सत्यापन प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके फलस्वरूप, इंडा-स्वीडन सहयोगी कार्यक्रम में, आईएसओ 50001 ऊर्जा प्रबन्धन प्रणाली को शामिल करने के लिए स्वीडिश अनुभव का उपयोग, भारतीय उद्योग में भी आईसीओ 50001 को अपनाने में सुविधा में हेतु किया गया। स्वीडिश आईएसओ 50001 प्रमाणकों, का भारत के मानकों को अपनाने के लिए अति उपयुक्त तरीकों पर सुझाव तैयार करने के लिए भारतीय उद्योग के सामने खुलासा किया गया। यह परियोजना भारतीय उद्योग में आईएसओ 50001 के अनुप्रयोग पर सीआईआई द्वारा आयोजित एक कार्यशाला, जिसमें उद्योग के व्यवसायियों ने भाग लिया। ततपश्चात् यह परियोजना बंद कर दी गई। इससे भारत में इस मानक को और अधिक अपनाने में सहायता मिलेगी और पैट स्कीम के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा मापन और रिपोर्टिंग पद्धतियां में समानता लाई जा सकेगी।

- सहयोग के क्षेत्र : वर्ष 2010 में भारत और स्वीडन ने एक द्विपक्षीय सहयोग करार किया जिसका उद्देश्य आपसी हितों के क्षेत्रों में समान कार्य योजना विकसित करना था। इस सहयोग के लक्षित क्षेत्र हैं :

- भवन (डब्ल्यूपी 1)
- उद्योग (डब्ल्यूपी 2)
- उपकरण (डब्ल्यूपी 3) तथा
- नवोन्मेश नीति पैकेज (उपभोक्ता व्यवहार / पीआर / सूचना) (डब्ल्यूपी–4)

2-1-9 Hkkjr - bXyS.M

ऊर्जा दक्षता पर इंग्लैंड और भारत के बीच कोई औपचारिक सहयोग करार नहीं किया गया है। तथापि, डीएफआईडी अनेक नीति–संगत अध्ययनों के लिए सहायता दे रहा है, जो बीईई के लिए संगत हो सकते हैं।

1. निम्नलिखित गतिविधियों में निधियों के विकास की खोज करने के लिए अध्ययन शुरू किए गए हैं।

- एसएमई की कारोबारी लागतों, जैसे पैट क्षेत्र की संस्थापनाओं को लक्षित करने के लिए वर्तमान पैट में शामिल किया गया है। इससे ऐसी संस्थापनाओं की ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए अवसर (और प्रोत्साहन) प्रदान किया जा सकेगा। ऐसी निधि का एक घटक बड़े पैमाने पर "सॉफ्ट सपोर्ट" हो सकती है, कार्बन ट्रस्ट जैसे संगठनों से प्राप्त सीख को अपना सकते हैं, जिन्होंने इंग्लैंड में एसएमई को सलाह/तकनीकी सहायता प्रदान की है। यह दृष्टिकोण प्रौद्योगिकियों को चुनने में लगने के बजाय प्रौद्योगिकी निरपेक्ष होगा।
- "मूल्य गारंटी" का प्रमाण पत्र प्रदान करना। यह भारत सरकार के सीएफएल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम द्वारा कार्बन मूल्य की गारंटी प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित कर सकेगा। विकल्प के रूप में, यह पैट चक्र की गारंटी पर केन्द्रित हो सकता है। यदि बाजार पैट मूल्य उपर्युक्त गारंटी मूल्य से अधिक होता है तो निधि में भारी लाभ सृजन किया जा सकेगा। प्रौद्योगिकियों का चुनाव करने की अपेक्षा यह प्रौद्योगिकी निरपेक्ष दृष्टिकोण होगा।
- मंहगी ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी की लागतों को "क्रय लागत को कम लागत पर लाना"। यह दृष्टिकोण विशेष ऊर्जा दक्ष

प्रौद्योगिकी पर ध्यान केन्द्रित करेगा जिसमें वाणिज्यिक रूप से उपलब्धता पर केन्द्रित होगा। परन्तु एक सीमा तक बाजार की घुसपैठ होगी।

2. वर्तमान पैट क्षेत्र, पैट स्कीम के अंतर्गत विभिन्न अभिहित उपभोक्ताओं के लिए प्रचालनरत तथा उपयुक्त और अनुकूल प्रौद्योगिकी विकल्पों की पहचान करता है। उद्योग केन्द्रित पुस्तिकाओं / मैन्युअलों का विकास किया जाता है। यह योजना ऐसी पुस्तिकाओं के लिए है जिनमें अवसरों, अनुमेयता के विचारों का विवरण और लागत–लाभ मूल्यांकन का सारांश शामिल किया गया है।

3. सीआईआई एंड वर्को (एक इंग्लैंड की कम्पनी) प्रौद्योगिकी सारसंक्षेप और वित्तीय मॉडलों के विकास का संकलन कर रही है।

4. पैट दंड और प्रवर्तन, अन्य व्यापार स्कीमों से सीखे सबक को आपस में शेयर करने पर अध्ययन।

2-1-10 bMk-b;

- इंडो-ईयू ऊर्जा दक्षता कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक मेड्रिड में 7 सितम्बर, 2011 को आयोजित की गई। दोनो पक्षों के बीच आदान प्रदान किए गए हितों के सहयोग के चार क्षेत्रों की पहचान की गई, - भवनों में ऊर्जा दक्षता, एसएमई, उपस्कर (एलईडी) और स्मार्ट ग्रिड तथा मांग पक्ष प्रबन्धन। इसके परिणाम स्वरूप फरवरी 2012 में भारत और ईयू के बीच ऊर्जा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

- सहयोग के कार्यक्षेत्र के अनुसार, बीईई ने 7 मार्च 2013 को मुम्बई में एसीआरईएक्स-प्रदर्शनी में एक संगोष्ठी में भाग लिया, जिसमें विनिर्माता, प्रैक्टिशनर और अन्य प्रतिनिधि थे।

- संगोष्ठी में विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप, आरईएचवीए (यूरोपियन फेडरेशन ऑफ हीटिंग, वैंटीलेशन एंड एअर कंडीशनिंग एसोसिएशन) तथा आईएसएचआरएई (भारतीय ऊष्मायन, प्रशीतन और वातानुकूलन इंजीनियर्स सोसाइटी) ने यूरोपीय आयोग और बीईई के लिए संभावित सहयोग का भारतीय उद्योग परिदृश्य प्रस्तुत किया।

- भारत-ईयू ऊर्जा पैनल की 7वीं बैठक ब्रसैल्स में 27 मार्च, 2014 को आयोजित हुई जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय मदों, स्मार्ट एकीकरण और स्वच्छ कोयला पर नए संयुक्त कार्यकारी समूह के सृजन का प्रबल समर्थन किया गया।

- भारत-ईयू के बीच ऊर्जा सहयोग नामतः भवन निर्माण उत्पादों और उपकरणों में ऊर्जा दक्षता" पर एक संयुक्त घोषणा, सहयोग के एक बड़े क्षेत्र के रूप में उभर कर आई।

- बीईई ने जनवरी, 2015 में ऊर्जा पैनल के अंतर्गत कोयला और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों पर मौजूदा कार्यकारी समूहों को शामिल करके ऊर्जा सुरक्षा पर एक नया संयुक्त कार्यकारी समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन करने के बारे में ईयू के प्रस्ताव पर विद्युत मंत्रालय को अपनी अनापत्ति संसूचित की है।

- 30 जनवरी, 2015 को सचिव बीईई और ईयू के अधिकारियों के बीच एक बैठक आयोजित की गई जिसमें बीईई ने ऊर्जा संरक्षण भवन निर्माण कोड (ईसीबीसी) पर हुई गतिविधियों के बारे में सूचित किया। यह भी सूचित किया गया कि राज्यों इन कोडों को अपनाने के बारे में प्रगति को ध्यान में रखते हुए राज्यों में ईसीबीसी को लागू करने की स्थिति में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

- भारत और ईयू भवनों में ऊर्जा दक्षता पर कार्य करने के लिए सहमत हो गए हैं जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर नीति विकास

को आगे बढ़ाने के लिए सहायता तथा चार चुनींदा भारतीय राज्यों में भवन निर्माण कोडों के लिए ऊर्जा दक्षता का कार्यान्वयन भी शामिल है।

- राज्यों में, ऊर्जा संरक्षण भवन निर्माण कोड (ईसीबीसी)/मानकों को शीघ्र अपनाने के लिए सरलीकरण हेतु, 4 राज्यों नामतः ओडिशा, बिहार, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की पहचान की गई। इसका उद्देश्य इन राज्यों में ईसीबीसी कोडों/मानकों को अधिसूचित करना है, जहां इन्हें अभी किया जाना है और तदुपरांत राज्य नगर पालिका उपविधियों में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इसे अपनाना शामिल है। ये 4 राज्य सम्मिश्र में विविधता का अच्छा प्रदर्शन करते हैं जहां तक राज्यों द्वारा ईसीबीसी समावेशन किए जाने का संबंध है।

भागीदार राज्यों के साथ परामर्श करके इन प्रयासों को आरम्भ करने के लिए दिल्ली, पुणे, पटना और भोपाल में कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इंडो-ईयू सहयोग के अंतर्गत भवन ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम की इस शुरूआत को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति दे दी है। ईयू ने, क्षमता निर्माण और ईसीबीसी को लागू करने की सुविधा हेतु फरवरी, 2016 में मूल्य जल घर कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) और एसएसीओ परिसंघ की नियुक्ति की है। इस शुरूआत के अंतर्गत, ईयू-बीईई के परामर्श से ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ईसीबीसी सैल स्थापित करेगा, जो भवनों में ऊर्जा दक्षता से संबंधित सभी कार्यों को करने में संबंधित राज्य सरकार की विभागों की सहायता करेंगे।

2-2 vUrjk"Vªh; cgi{kh; dk;Øe - tkjh dk;Øe

2-2-1 vUrjk"Vªh; Åtk n{krk lg;ksx ifrHkkfxrk ¼vkbZihbZbZlh½

अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता सहयोग प्रतिभागिता (आईपीईईसी) एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें विकसित और विकासशील देश शामिल हैं। इसका प्रयोजन ऊर्जा दक्षता (ईई) के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना और ऐसी नीतियों का सरलीकरण करना है जो सभी क्षेत्रों में वैश्विक रूप से ऊर्जा दक्षता के लाभ सृजित करती हैं। मई, 2009 में इसकी स्थापना से ऊर्जा दक्षता के संवर्धन में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। आईपीईईसी, ऊर्जा दक्षता क्षेत्रों के बीच भागीदारी करके, ऊर्जा दक्षता से संबंधित सूचना का आदान प्रदान कर विश्व भर में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देता है और ऊर्जा दक्ष शुरूआतों को सहायता देता है। आईपीईईसी द्वारा समर्थित शुरूआतें सदस्य और गैर सदस्य देशों तथा निजी क्षेत्र के लिए खुली हुई हैं। ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, यूके और अमेरिका आईपीईईसी के संस्थापक सदस्य देश हैं। अब आस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, भारत और दक्षिणी अफ्रीका भी इसमे सदस्य बन गए हैं। तुर्की भी इसमें प्रतिभागिता की प्रक्रियाधीन है।

आईपीईईसी एक स्वायत्त, स्वतंत्र संगठन है जो आईपीईईसी सदस्यों और अन्य कम्पनियों के स्वैच्छिक योगदारन पर निर्भर करती है। जिनमें स्वैच्छिक योगदान वस्तुओं के योगदान के रूप में भी शामिल हैं। आईपीईईसी के तकनीकी किस्म के कार्यक्रम में अनेक क्षेत्र शामिल है। सदस्य देश समर्पित कार्य समूहों में अगुआई करके भीदारी करते है जो आइपीईईसी के तकनीकी किस्म के कार्यक्रम की अभिकल्पना और कार्यान्वयन का कार्य करते हैं।

आईपीईईसी, कार्यकारी समिति (ईएक्ससीओ), को एक नीति समिति (पीओसीओ) और एक सचिवालय द्वारा चलाया जाता है, कार्यकारी समिति (इसका वर्तमान अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका) और नीति समिति (वर्तमान अध्यक्ष मैक्सिको) दोनों प्रशासनिक, नीतिगत तथा तकनीकी मुद्दों पर समूचे दिशा निर्देश प्रदान करती हैं। इस समितियों के सदस्य आईपीईईसी सदस्यों के प्रतिनिधि होते हैं।

कार्यकारी समिति, सदस्य देशों के प्रस्तावों की और प्रतिवर्ष के बजट की जाँच करती है, और उन्हें स्वीकार करती है। सदस्यता के लिए अनुरोधों की जांच करती है, मार्गदर्शन करती है, सचिवालय का निरीक्षण करती है तथा कुछ कार्य समूहों के कार्य की समीक्षा करते समय कार्य समूहों के लिए प्रस्ताव तैयार करती है। अब तक कार्यकारी समितियों की 15 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। भारत कार्यकारी समिति का एक उपाध्यक्ष है।

नीति समिति, आईपीईईसी के समग्र ढांचे और नीतियों को संचालित करती है, कार्य समूहों और कार्यकारी समिति तथा सचिवालय के

कार्य की प्रगति को देखती है। अबतक नीतिसमिति की 12 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

2-2-2 , l ,ebZ eÅtk n{krk dh tbZ,Q&;fuMk&chbZbZ ifj;kstukA

ifj;kstuk 'kh"kd % भारत के चयनित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) समूहों में ऊर्जा दक्षता तथा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना।

ifj;kstuk dk mnn's; % इस परियोजना का उद्देश्य 5 क्षेत्रों में (मृत्तिका उत्पादन, हाथ के औजारों का उत्पादन, लौह भट्टियां, पीतल का उत्पादन और दुग्ध उत्पादन) ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियां लागू करना तथा उनकी प्रक्रिया में अनुप्रयोगों के लिए आर ई प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाना है। इसके साथ साथ परियोजना में प्रति इकाई उत्पाद के ऊर्जा उपयोग को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर तक क्रियाविधियों को उन्नत करने तथा उत्पादकता तथा इकाइयों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे समग्र कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा और स्थानीय पर्यावरण में सुधार लाया जा सकेगा।

ifj;kstuk dk fl gkoykdu % इस परियोजना का अभिकल्पन भारत के 12 एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने के लिए किया गया है। वर्तमान में यह परियोजना पांच क्षेत्रों में फैली हुई है तथा 9 समूहों का विवरण नीचे सारणी में दिया गया है :

Øe l-	{k=	LFkku	leg dk uke
1.	पीतल	जामनगर	जामनगर ब्रास समूह
2.	मृत्तिका	खुर्जा	खुर्जा सिरैमिक्स समूह
3.	मृत्तिका	थानगढ़	थांगध सिरामिक्स समूह
4.	डेयरी	गुजरात	गुजरात डेयरी समूह (जीसीएमएमएफसी)
5.	लौह भट्ठी	बेलगाम	बेलगाम फाउंडरी समूह
6.	लौह भट्ठी	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर फाउंडरी समूह
7.	लौह भट्ठी	इंदौर	इंदौर फाउंडरी समूह
8.	हाथ के औजार	जालंधर	जालंधर हैंड टूल्स समूह
9.	हाथ के औजार	नागौर	नागौर हैंड टूल्स समूह

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के सहयोग से वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) निधीयत परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई) तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) भी इस परियोजना के भागीदार हैं। यह परियोजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित घटकों के साथ समूह स्तर पर तथा नीति स्तर पर कार्य कर रही है :

- ऊर्जा दक्षता / नवीकरणीय ऊर्जा उत्पाद आपूर्तिकर्ताओं / सेवा प्रदाताओं / वित्त प्रदाताओं के आपूर्तिकर्ताओं की क्षमता में वृद्धि।
- अन्तिम–उपयोग मांग के स्तर में वृद्धि तथा एमएसएमई द्वारा ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा, प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों का कार्यान्वयन।
- परियोजना का राष्ट्रीय स्तर तक उन्नयन।
- नीति, संस्थागत और निर्णय लेने के ढांचे का सुदृढ़ीकरण।

ifj;kstuk xfrfof/k;k¡

ik|kfxdh; : dkoVk dk nj djus rFkk bZbZ@vkjbZ dk viukus ds fy, 31 ekp] 2016 rd bl ifj;kstuk ds vrxr fuEufyf[kr xfrfof/k;k dh xbA

- 9 समूहों की 250 इकाइयों का सर्वेक्षण किया गया।
- 54 ऊर्जा लेखा परीक्षा (ईए) पूरे किए गए।
- समूहों के प्रमुखों की सहायता से उद्योग द्वारा 6 बड़ी निवेश परियोजनाओं तथा 60 छोटे पैमाने के ऊर्जा दक्षता सुधारों को कार्यान्वित किया गया।
- श्रेष्ठतम प्रचालन पद्धतियों पर 27 कार्यशालाएं और समान अनुवीक्षणीय मापदंडों को पूरा किया गया।
- 42 डीपीआर तैयार किए गए तथा इनमें से 6 डीपीआर पहले से ही कार्यान्वित की जा रही हैं तथा शेष डीपीआर को कार्यान्वित किया जा रहा है।
- समूहों में से ÞQLV eo lß को आरंभिक वित्तीय सहायता देना, जिससे निदर्शन परियोजनाओं के माध्यम से ईई/आरई मापन क्रियान्वयन की कुछ लागतों को पूरा किया जा सके। इसके अंतर्गत 4 निदर्शन परियोजनाएं पूरी कर ली गईं और 1 परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति में है।
- समूह प्रमुखों ने 9 समूहों में एलएसपी की आरंभिक सूची तैयार कर ली है।
- लगभग 60 प्रकरण अध्ययन तैयार किए गए हैं।
- कोयम्बटूर और बेलगांव में 2 परियोजना प्रगति प्रसार कार्यशालाएं पूरी की गईं।
- समूह स्तर के ऊर्जा प्रबंधन केन्द्रों (ईएमसी) की स्थापना करने के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षा उपकरणों और ईए उपकरणों की अधिप्राप्ति की आरंभिक सूची तैयार की गई।
- एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरा और 2 अंतरसमूह दौरे किए गए।
- 9 समूहों में परियोजना गतिविधियों को चलाने के लिए पूर्णकालिक आधार पर 9 समूह लीडरों की नियुक्ति की गई।
- दो डेयरी समूहों तथा एक मृत्तिका समूह के साथ विचार विमर्श आरम्भ किया गया ताकि उन्हें परियोजना में शामिल किया जा सके;

ifj;kstuk ds okfNr ifj.kke ¼ifj;kstuk ds lQy fØ;kUo;u ds QyLo:i fuEufyf[kr fu"d"kZ fudysa½

- एमएसएमई द्वारा अन्तिम–उपयोग की मांग के स्तर को बढ़ाकर तथा ऊर्जा दक्षता तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों तथा पद्धतियों के कार्यान्व्यन द्वारा ऊर्जा बचत की गुंजाइश का सृजन।
- विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन।
- इकाइयों की उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार।
- समग्र कार्बन उत्सर्जन को कम करना तथा स्थानीय पर्यावरण में सुधार।
- ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पाद आपूर्तिकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं, वित्त प्रदाताओं की क्षमता का संवर्धन।
- नीति, संस्थागत और निर्णय लेने के ढांचे का सुदृढ़ीकरण।
- राष्ट्रीय स्तर तक परियोजना को उन्नत करना।

2-2-3 ,e,l,ebZ esa Åtkz n{krk fu/kh;u ij thbZ,Q&fo'o cSad & chbZbZ ifj;kstukA

भारत में ऊर्जा दक्षता के संवर्धन के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने विश्व बैंक – वैश्विक पर्यावर्णिक सुविधा (जीईएफ) कार्यक्रम

के अंतर्गत एक परियोजना प्रबंधन कार्यालय स्थापित किया है, जो चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगा। यह परियोजना संयुक्त रूप से बीईई और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा अपने संबंधित घटकों के लिए चलाई जा रही है।

भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) परियोजना में ऊर्जा दक्षता निधीयन का उद्देश्य, लक्षित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम समूहों में ऊर्जा दक्षता निवेशों के लिए मांग बढ़ाना तथा वाणिज्यिक निधीयन को प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता का निर्माण करना है।

इस परियोजना के चार घटक हैं, पहले घटक में ऊर्जा दक्षता (ईई) के लिए क्षमता निर्माण करना और जागरूक करने संबंधी गतिविधियां आती हैं। इस घटक समूह में और संयंत्र स्तर पर बड़े पैमाने पर ऊर्जा दक्षता की जागरूकता, आउटरीच और संचलन प्रयासों के कार्यान्वयन, सफल परियोजनाओं पर सूचना के प्रसारण तथा पांच अभिहित समूहों में स्थानीय बैंकों अथवा अन्य स्रोतों द्वारा निधीयन के लिए ईई में संभावित निवेश प्रस्तावों की पैकेजिंग पर केन्द्रित होगा।

दूसरे घटक में, ईई में निवेश को बढ़ाने की गतिविधियां हैं। यह घटक उन भारतीय एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता निवेशों की वृद्धि में योगदान देगा, जो परियोजना विकास सहायता के माध्यम से तथा प्रदर्शन प्रयोजनों के लिए निष्पादन से जुड़े अनुदानों के नियोजन के माध्यम से स्थानीय वाणिज्यिक निधीयन स्रोतों से निधीयत होते हैं। इस घटक के अंतर्गत गतिविधियां सिडबी द्वारा पूरी की जानी है।

तीसरा घटक ज्ञान प्रबन्धन पर है। वृहत्तर जीईएफ कार्यक्रम के मूल्यांकन तथा अत्याधुनिक ऊर्जा दक्षता मामलों के विश्लेषण, ज्ञान प्रबंधन प्रयास में संसाधन और जन शक्ति का प्रावधान शामिल होगा। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रभावी कार्यान्वयन और इस परियोजना विशेष की सही अनुकृति ही नहीं होगी, बल्कि बीईई का जीईएफ निधीयत कार्यक्रम संबंधी सम्पूर्ण प्रयास करना होगा। इस घटक के अंतर्गत गतिविधियां बीईई द्वारा निष्पादित का जानी है।

अंत में, चौथा घटक, परियोजना प्रबन्धन सहायता देना है। दोनों निष्पादनकर्ता अभिकरण (बीईई और सिडबी) ने परियोजना गतिविधियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए अपनी अपनी परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) स्थापित कर ली है।

इस परियोजना की समूची कार्यान्वयन जिम्मेदारी बीईई की होगी तथा सीधे तौर पर ऐसी गतिविधियां, जो इसके उद्देश्य को पूरा करती हैं, कार्यान्वित की जाएंगी। इनमें परियोजना निरीक्षण, रिपोर्टिंग तथा मूल्यांकन, कुछ राष्ट्रीय स्तर के आउटरीच का कार्यान्वयन तथा क्षमता निर्माण की गतिविधियां तथा अत्याधुनिक ज्ञान प्रबन्धन गतिविधियां शामिल हैं। बीईई, कुछेक लक्षित क्षमता निर्माण के प्रयासों, जैसे ऊर्जा लेखापरीक्षकों की तकनीकी क्षमता में सुधार के लिए बनाए गए कार्यक्रम आदि के लिए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी लेगा।

यह परियोजना प्रत्यक्षतः भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम का समर्थन करती है और बीईई की अगुवाई में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के अपने लक्ष्य के साथ सतत रूप से कायम है। यह जीईएफ परियोजना एमएसएमई क्षेत्र के लिए विशेष रूप से इन लघु उद्योगों द्वारा धनराशि प्राप्त करने के लिए इन क्षेत्राों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाकर और संवर्धित उत्पादकता के सरलीकरण द्वारा भारत सरकार के वृहत्तर विकास लक्ष्यों की भी सहायता करती है।

o"kZ 2015&16 dk nkSjku fu"ikfnr izeq[k ifj;kstuk xfrfof/k;kа

- अंकलेश्वर में रासायनिक इकाइयों में हॉट एअर ट्रे ड्रायर के स्थान पर रोटरी वैक्यूम ड्रायर की तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता का निदर्शन करने के लिए एक प्रायोगिक गतिविधि;
- विपणन और आउटरीच प्रयास;
- प्रत्येक समूह में जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं;
- ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता को सरल बनाने के लिए तकनीकी प्रदर्शनी;
- रेडियो / समाचार–पत्रों / तकनीकी प्रदर्शनियों / पोस्टरों आदि के माध्यम से जागरूकता और आउटरीच;

- ज्ञान प्रबंधन और भागीदारी;
- बेहतर आउटरीच और सूचना भागीदारी के लिए ई–न्यूजलैटर परियोजना;
- ईई मापों के परिणामों का अधिग्रहण करते हुए उपस्कर आधारित डाक्युमेंटरी (5);
- गढ़ाई, लौह भट्ठी समूह में किए गए ऊर्जा दक्षता उपायों पर आधारित प्रत्येक समूह की सफलता की गाथाएं तैयार की गईं;
- ऊर्जा व्यवसायियों को तकनीकी सहायता;
- ऊर्जा दक्षता पर प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केन्द्र, चैन्नई में 220 ऊर्जा व्यवसायियों को प्रशिक्षित किया गया;
- परियोजना समूहों में 18 क्षेत्र विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 500 ऊर्जा व्यवसायियों को प्रशिक्षित किया गया;
- ज्ञान पोर्टल के विकास का कार्य भी आरम्भ किया गया;

3

C;ljk dk ys[kk

3-1 ithxr ljpuk

3-2 foŸkh; ifj.kkeks dk lkjk'k

3-3 C;ljk dh dk;l'kyh e lq/kkj vkj lq<<hdj.k grq fd, x, mik;

3-4 ys[kk dk okf"kd fooj.k

3-1 iwth lajpuk

उर्जा संरक्षण, अधिनियम 2001 की धारा 20 के अंतर्गत केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि की स्थापना के लिए ऊर्जा मंत्रालय से 50 करोड़ की समग्र निधि प्राप्त की गई। 50 करोड़ की समग्र निधि को शासी निकाय के अनुमोदन से 1 मई, 2003 से प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में ₹ 4.24 करोड़ (लगभग) के निर्धारित भुगतान करने के साथ–साथ सुरक्षित, गैर–परिवर्तनीय,गैर–संचयी प्रतिदेय करयोग्य, प्रत्येक ₹10 लाख (श्रेणी XVII) के एनटीपीसी बांड में 20 वर्षों के लिए निवेश किया गया है। ब्याज को बीईई के आवर्ती और गैर–आवर्ती व्यय के लिए उपयोग किया जा रहा है और सरकार द्वारा वर्ष के दौरान और नई निधियां उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त बीईई ने समग्र निधि के आवर्धन हेतु ऊर्जा मंत्रालय से ₹15.00 करोड की राशि प्राप्त की। ₹15.00 करोड की इस समग्र निधि में राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा में निवेश से ₹1.29 करोड़ की आय अर्जित की गई।

31/03/2016 को इस वृद्धि के साथ बीईई की समग्र निधि कुल ₹65.00 करोड़ हो गई है।

3-2 foÙkh; ifj.kkeksa dk lkjka'k

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान ब्यूरो ने एनटीपीसी में किए ₹ 50 करोड़ के निवेश से समग्र निधि से 424.00 लाख और विजया बैंक में निवेश से ₹ 15 करोड़ की अतिरिक्त समग्र निधि पर ब्याज के रूप में 129.72 लाख अर्जित किए गए। इसके अतिरिक्त, ब्यूरो ने ऊर्जा प्रबंधकों एवं ऊर्जा लेखापरीक्षकों के लिए 16वीं राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा के लिए उम्मीदवारों से ₹ 414.54 लाख प्राप्त किए। बीईई ने स्थापना, प्रशासनिक व्यय, गैर–आवर्ती औरपरियोजना पर बीईई ने क्रमशः ₹ 460.24 लाख, ₹ 232.86, ₹ 51.35 लाख और ₹ 4.19 लाख व्यय किया था। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा प्रबंधकों एवं ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए 16वीं राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा पर ₹ 233.04 लाख का व्यय किया गया। ₹ 582.95 लाख के व्यय से अधिक आय को समग्र निधि में अंतरित किया गया।

3-3 C;wjks dh dk;Z'kSyh esa lq/kkj vFkok lqn<+hdj.k gsrq fd, x, mik;

बीईई की संगठनात्मक क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान 22 परियोजना इंजीनियरों, एक परामर्शदाता (हिन्दी), 03 सहायक, 01 स्वागती, 02 आशुलिपिक और 05 चपरासियों की संविदा आधार पर नियुक्ति की गई।

3-4 ys[kksa dk okf"kZd fooj.k

वार्षिक लेखा विवरण अर्थात् तुलन पत्र, आय और व्यय विवरण तथा लेखों की प्राप्ति और भुगतान विवरण, विधिवत लेखा परीक्षित, संलग्न हैं।

Åtk n{krk C;jk] ubZ fnYyh dh 31 ekpZ] 2016 dk lekIr o"k ds okf"kd ys[kk ij Hkkjr ds fu;=d ,o egkys[kkijh{kd dh iFkd ys[kk ijh{kk fjikVZ

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के साथ पठित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 25 (2) के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली का 31 मार्च, 2016 की तारीख तक संलग्न तुलन पत्र तथा उक्त तिथि को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखों और प्राप्ति एवं भुगतान लेखों की लेखा परीक्षा की है। हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने का है।

2- इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण पद्धतियों के साथ समरूपता, लेखाकरण मानदण्डों और प्रकटीकरण मानकों आदि से संबंधित लेखाकरण व्यवहार, विधि, नियमों एवं विनियमों (उपयुक्तता और नियमितता) और कुशलता तथा निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हों, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय कार्य संपादनों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों की रिपोर्ट, पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी गई है।

3- हमने, लेखापरीक्षा का संचालन भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण मानदण्डों के अनुसार किया है। इन मानदण्डों की आवश्यकता हमें योजना बनाने और लेखा परीक्षा करने के लिए होती है ताकि इस संबंध में यथोचित विश्वास प्राप्त किया जा सके कि ये वित्तीय विवरण तथ्यों की गलत बयानी से मुक्त हैं। किसी भी लेखा परीक्षा में धनराशियों और वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण की पुष्टि के लिए साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जांच की जानी शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों तथा समूचे वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा में, हमारी राय हेतु, तर्क संगत आधार दिया गया है।

4- हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :

i. हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण, जो हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास से लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ अनिवार्य थे, प्राप्त कर लिए हैं :

ii. इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखे और 'प्राप्तियों एवं भुगतान लेखे' वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 25(1) के अंतर्गत बीईई द्वारा अपनाए गए प्रारूप के अनुसार तैयार किए गए हैं।

iii. हमारी राय में, बीईई द्वारा लेखा बहियों और अन्य संगत रिकार्ड का यथोचित रख–रखाव किया गया है जैसा कि धारा 25(I) के अंतर्गत अपेक्षित है, जो कि हमारे द्वारा की गई ऐसी बहियों की जांच से प्रकट होता है।

iv. हम यह भी सूचित करते हैं कि :

d- ys[kk ij fVIif.k;k

1-0- rqyui=

1-1- lexz fuf/k vkj n;rk,

pkyw ifjlEifÙk;k] _.k] vfxze vkfn &₹15]301-27 yk[k ¼vuqlph&11½

pkyw ifjlEifÙk;k& tkp ijh{k.k miLdj ¼,l ,M ,y ifj;kstuk½ &₹58-23 yk[k

बीईई ने, 8 मार्च 2016 को, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) के माध्यम से, ई–नीलामी द्वारा ₹ 5.97 लाख के जांच

परीक्षण उपकरणों का ₹ 2.72 लाख में निपटान कर दिया। तथापि, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने उक्त बिक्री को लेखा बहियों में अंकित नहीं किया। है।

इससे 'चालू परिसम्पत्तियां–जांच परीक्षण उपस्कर (एसएंडएल परियोजना)' में ₹ 5.97 लाख की अत्युक्ति हुई तथा "अन्य प्राप्तियोग्य" में ₹ 2.72 लाख की न्यूनोक्ति हुई (क्योंकि 31 मार्च 2016 तक ईईएसएल से बिक्री की प्राप्ति नहीं हुई) तथा ₹ 3.25 लाख (बिक्री पर हानि) द्वारा निर्दिष्ट निधि (अनुसूची 3) की अत्युक्ति हुई। इसके साथ साथ, लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 25 (10), में भी उक्त सीमा तक की कमी हुई है।

1-2- lexz fuf/k vkSj ns;rk,a

pkyw ns;rk,a vkSj izko/kku & ₹ 2]221-90 yk[k ¼vuqlwph 7½

बीईई ने, 2015–16 के संबंध में, भाड़े पर टैक्सी लेने, लेबलिंग शुल्क, राष्ट्रीय कार्यक्रम आदि के लिए भुगतान और अन्य देयराशि की देयताओं के लिए ₹ 44.97 लाख की राशि का प्रावधान नहीं किया था। इससे, 'चालू देयताओं और प्रावधान (अनुसूची 7)' में न्यूनोक्ति हुई और 'व्यय से अधिक आय' में ₹ 44.97 लाख की अत्युक्ति हुई।

[k- lgk;rk vuqnku

वर्ष के दौरान, ₹ 119.17 करोड़ के कुल सहायता अनुदान (जिसमें गत वर्ष के ₹ 24.39 करोड़ का अनुप्रयुक्त अथशेष, वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 91.81 करोड़, और ₹ 2.97 करोड़ का अर्जित ब्याज शामिल है) में से बीईई केवल ₹ 61.07 करोड़ की राशि का इस्तेमाल कर सका और विद्युत मंत्रालय को देय ₹ 2.97 करोड़ की राशि फुटकर ऋणदाताओं को अंतरित कर दी गई और 31 मार्च 2016 को ₹ 55.12 करोड़ की अनुप्रयुक्त राशि बकाया रही। वर्ष 2015–16 के दौरान, उपर्युक्त ₹ 91.81 करोड़ के सहायता अनुदान में से ₹ 0.57 करोड़ की राशि मार्च, 2016 में प्राप्त हुई थी।

x- ÁcU/ku Ik=

कमियों, जिन्हें पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, को उपचारात्मक/संशोधनात्मक कार्रवाई के लिएपृथक रूप से जारी प्रबंधन पत्र द्वारा महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ध्यान में लाया गया है।

v. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन, हम यह सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा सूचित तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखे और प्राप्ति एवं भुगतान खाते, लेखा बहियों के अनुसार हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखांकन नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, तथा इस पृथकलेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक–I में वर्णित मामलों के अध्यधीन है, सामान्य रूप से भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य एवं सही प्रस्तुत करते हैं।

d½ जहां तक यह 31 मार्च, 2016 को बीईई के कार्यकरण के तुलन पत्र से संबंधित है; और

[k½ जहां तक यह उस तिथि को समाप्त हो रहे वर्ष की व्यय से अधिक आय से संबंधित है।

¼fjfrdk HkkfV;k½
ç/kku funs'kd] okf.kfT;d ys[kk ijh{kk
,oa insu lnL;] ys[kk ijh{kk cksMZ&III
ubZ fnYyh

LFkku % ubZ fnYyh
fnukad % 18 vDrwcj] 2016

अनुलग्नक–1

{पैरा 4 (VI) देखें}

1.	समुचित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली	बीईई में आंतरिक लेखा परीक्षा विंग मौजूद नहीं है और आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली भी तैयार नहीं किया गया है। आंतरिक लेखा परीक्षा विद्युत मंत्रालय के वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ) द्वारा की जाती है, जो 31 मार्च 2015 को पूरी की गई। आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली, बीईई की गतिविधियों के आकार और स्वरूप के अनुरूप है, तथापि आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली बीईई द्वारा तैयार किया जाना आवश्यक है।
2.	समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र के उप–विधियों का अनुपालन कर रहा है। बीईई की प्रारूप उप विधियां तैयार कर ली गई है और विद्युत मंत्रालय को अनुमोदन और अधिसूचित करने के लिए भेज दी गई हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, बीईई की गतिविधियों के आकार और स्वरूप के अनुरूप है।
3.	स्थाई परिसम्पत्तियों और मालसूची का प्रत्यक्ष जांच की प्रणाली	वर्ष 2015–16 की स्थाई परिसम्पत्तियों और मालसूची की प्रत्यक्ष जांच पूरी कर ली गई है। बीईई स्थाई परिसम्पत्तियों के रजिस्टर का भी रखरखाव करता है।
4.	सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता	बीईई, अनुमेय सांविधिक देयताओं को नियमित भुगतान करता है।

ofj"B y[kkijh{kk vf/kdkjh ¼fjikV½

Åtk n{krk C;jk] ubZ fnYyh dh 31 ekpZ] 2016 dk lekIr o"k ds okf"kd ys[kk ij Hkkjr ds fu;=d ,o egkys[kkijh{kd dh iFkd ys[kk ijh{kk fjikV

d- ys[kk ij fVIif.k;k

1-0- rqyui=

1-1- lex fuf/k vkj n;rk,

pky ifjlEifÙk;k] _.k] vfxe vkfn & ₹15]301-27 yk[k ¼vuqlph&11½

pky ifjlEifÙk;k& tkp ijh{k.k mik.dj ¼,l ,M ,y ifj;kstuk½ &₹58-23 yk[k

बीईई ने, 8 मार्च 2016 को, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) के माध्यम से, ई–नीलामी द्वारा ₹ 5.97 लाख के जांच परीक्षण उपकरणों का ₹ 2.72 लाख में निपटान कर दिया। तथापि, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने उक्त बिक्री को लेखा बहियों में अंकित नहीं किया है।

इससे 'चालू परिसम्पत्तियां–जांच परीक्षण उपस्कर (एसएंडएल परियोजना)' में ₹ 5.97 लाख की अत्युक्ति हुई तथा "अन्य प्राप्तियोग्य" में ₹ 2.72 लाख की न्यूनोक्ति हुई (क्योंकि 31 मार्च 2016 तक ईईएसएल से बिक्री की प्राप्ति नहीं हुई) तथा ₹ 3.25 लाख (बिक्री पर हानि) द्वारा निर्दिष्ट निधि (अनुसूची 3) की अत्युक्ति हुई। इसके साथ साथ, लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 25 (10), में भी उक्त सीमा तक की कमी हुई है।

mÙkj

ÁfØ;k ds :Ik e] rqyui= dk vfUre :Ik fn, tku dh rkjh[k rd] lHkh Kkr yunu dh ys[kkdu ifof"V;k] ys[kk e n'kkbZ xbZ gA doy ;g fo'k"k yunu gh 11 ebZ 2016 dk Åtk n{krk C;jk ds /;ku e yk;k x;k FkkA pfd foÙkh; o"k 2015&16 d rqyu i= dk 9 ebZ 2016 dk vfre :Ik n fn;k x;k Fkk blfy, mä yu nu dk ys[kk e lek;kftr ugh fd;k x;kA blo"k 2016&17 d ys[kk e n'kk;k tk,xkA

1-2- lex fuf/k vkj n;rk,

pky n;rk, vkj iko/kku &₹2]221-90 yk[k ¼vuqlph 7½

बीईई ने, 2015–16 के संबंध में, भाड़े पर टैक्सी लेने, लेबलिंग शुल्क, राष्ट्रीय कार्यक्रम आदि के लिए भुगतान और अन्य देय राशि की देयताओं के लिए ₹ 44.97 लाख की राशि का प्रावधान नहीं किया था।

इससे, 'चालू देयताओं और प्रावधान (अनुसूची 7)' में न्यूनोक्ति हुई और 'व्यय से अधिक आय' में ₹ 44.97 लाख की अत्युक्ति हुई।

mÙkj

tSlh fd ifØ;k jgh g] rqyui= dk vfre :Ik fn, tku rd Kkr n;rkvk ds vk/kkj ij iko/kku fd;k tkrk gA foÙkh; o"k 2015&16 d rqyui= dk 9 ebZ 2016 dk vfre :Ik fn;k x;k Fkk] rnulkj mlrkjh[k rd dh LkHkh Kkr n;rkvk ds fy, iko/kku fd;k x;k FkkA

[k- lgk;rk vuqnku

वर्ष के दौरान, ₹ 119.17 करोड़ के कुल सहायता अनुदान (जिसमें गत वर्ष के ₹ 24.39 करोड़ का अनुप्रयुक्त अथशेष, वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 91.81 करोड़, और ₹ 2.97 करोड़ का अर्जित ब्याज शामिल है) में से बीईई केवल ₹ 61.07 करोड़ की राशि का इस्तेमाल कर सका और विद्युत मंत्रालय को देय ₹ 2.97 करोड़ की राशि फुटकर ऋणदाताओं को अंतरित कर दी गई और 31 मार्च 2016 को ₹ 55.12 करोड़ की अनुप्रयुक्त राशि बकाया रही। वर्ष 2015–16 के दौरान, उपर्युक्त ₹ 91.81 करोड़ के सहायता अनुदान में से ₹ 0.57 करोड़ की राशि मार्च, 2016 में प्राप्त हुई थी।

mÙkj

31 ekpZ] 2016 dh rkjh[k rd ₹55-12 djksM+ dh jkf'k i;ä dh xbZA ;g 0;; ifrc) n;rkvk d fy, Fkk ftl 2016&17 d nkjku bLRkeky fd;k tk,xkA

Åtk n{krk C;jk
31 ekp] 2016 dk rqyu Ik=

			(राशि रूपयों में)
lexz fuf/k vkj n;rk,a	vuqlph	pkyw o"kZ	xr o"kZ
ऊर्जा संरक्षण निधि	1	4,10,54,44,116	3,67,09,11,187
आरक्षित और अधिशेष	2	1,09,473	1,11,707
उद्दिष्ट/स्थायी (एंडोवमेंट) निधि	3	65,95,62,924	39,20,78,041
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	7	22,21,89,583	15,75,11,823
dqy		**4,98,73,06,096**	**4,22,06,12,758**
ifjlEifÙk;k			
स्थाई परिसम्पत्तियां	8	1,87,66,058	1,85,42,548
निवेश – उद्दिष्ट/निधि धर्मस्व	9	3,43,84,12,651	3,06,53,10,067
निवेश – अन्य	10	-	-
चालू परिसम्पत्तिया, ऋण, अग्रिम आदि	11	1,53,01,27,387	1,13,67,60,143
विविध व्यय (बट्टे खाते में डाले जाने अथवा समायोजित किए जाने की सीमा तक)			
dqy		**4,98,73,06,096**	**4,22,06,12,758**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	25		

दिनांक : 09 मई, 2016
स्थान : नई दिल्ली

d-d- uk;j
वित्त एवं लेखा अधिकारी

lat; lsB
सचिव

ch-ih- ikMs
महानिदेशक

Åtkl n{krk C;jks
31 ekp] 2016 dks lekIr o"kZ ds fy, vk; vkSj O;; ys[kk

			(राशि रूपयों में)
	vuqlwph	pkyw o"kZ	xr o"kZ
vk;			
सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/राजसहायता	13	-	
शुल्क/अंशदान	14	4,15,21,980	4,07,79,125
निवशों से आय (उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियों से अंतरित निधियों में निवेश पर आय)	15	5,53,72,954	5,66,16,116
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज (निवल)	17	5,49,36,227	5,29,11,551
अन्य आय	18	17,81,545	8,36,849
तैयार माल और तैयार किए जा रहे माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
dqy ¼d½		**15,36,12,706**	**15,11,43,641**
O;;			
स्थापना व्यय	20	4,60,24,495	4,80,22,139
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	2,32,86,379	2,32,48,069
अन्य व्यय (परियोजना व्यय)	21	2,37,23,853	1,47,14,212
अनुदान, राजसहायता आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
क्षतिपूर्ति	8	22,82,705	23,78,027
dqy ¼[k½		**9,53,17,432**	**8,83,62,447**
O;; ls vf/kd vk; gksus ij cdk;k ¼d&[k½		5,82,95,274	6,27,81,194
विशेष आरक्षण में अंतरण		-	-
सामान्य आरक्षण में/से अंतरण		-	-
lexz fuf/k esa ys tk;k x;k vf/k'ks"k@¼?kkVk½ ds :i esa cdk;k		**5,82,95,274**	**6,27,81,194**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	25		

दिनांक : 09 मई, 2016
स्थान : नई दिल्ली

d-d- uk;j
वित्त एवं लेखा अधिकारी

lat; lsB
सचिव

ch-ih- ikaMs
महानिदेशक

Åtk n{krk C;jk
31 ekp] 2016 dks lekIr o"kZ dk fy, izkfIr;ka vkSj Hkqxrku

		(राशि रूपयों में)				(राशि रूपयों में)	
izkfIr;ka	**C;kSjk**	**pkyw o"kZ**	**xr o"kZ**	**Hkqxrku**	**C;kSjk**	**pkyw o"kZ**	**xr o"kZ**
I. vFk'ks"k				**I. व्यय**			
क) हस्तगत नकदी	-		-	क) स्थापना व्यय (अनुसूची–20)	4,66,14,069.00		4,66,35,058.00
ख) बैंक बकाया (अनुसूची – 11)				ख) प्रशासनिक व्यय			
i. बचत खाता – बीईई	13,10,85,460.00		13,51,06,517.00	(अनुसूची–21)	2,56,24,954.00	7,22,39,023.00	2,18,85,962.00
ii. जमा खाते	49,78,81,171.00		44,12,62,821.00				
iii. बचत खाता – योजना स्कीम	33,45,10,160.00		27,84,53,033.00	**II. विभिन्न परियोजनाओं की निधियों में**			
iv. बचत खाता – (यूनिडो डॉलर खाता)	4,53,64,065.00		4,34,32,904.00	**से किये गए भुगतान (अनुसूची–21)**		72,69,67,213.00	59,14,07,969.00
v. बचत खाता – (यूएनडीपी)	11,12,231.00	1,00,99,53,087.00	26,44,362.00				
II. ÁkIr vunku ¼vuqlwph & 3½				**III. किए गए निवेश और जमा**			
क) भारत सरकार से				ii) बचत खाता – (पीआरजीएफईई) (अनुसूची–9)	6,88,10,940.00		7,29,91,045.00
(12वीं योजना)				iii) बचत खाता – (वीसीएफईई) (अनुसूची–9)	2,90,49,629.00		3,05,23,688.00
बीईई				iv) बचत खाता – (मानक और लेबलिंग			
i. ऊर्जा संरक्षण भवन निर्माण				शुल्क) (अनुसूची–9)	27,51,42,514.00	37,30,03,083.00	16,45,08,428.00
संहिता (ईसीबीसी)	3,30,00,000.00		1,50,00,000.00				
ii. राज्य अभिहित अभिकरणों (एसडीए) का सुदृढ़ीकरण	10,23,00,000.00		4,50,00,000.00				
iii. राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ)	8,00,00,000.00		-				
iv. कृषि मांग पक्ष प्रबन्धन (एजी. डीएसएम)	-		2,00,00,000.00				
v. नगरपालिका मांगपक्ष प्रबन्धन (एमयू.डीएसएम)	-		1,00,00,000.00	**IV. स्थाई परिसम्पत्तियों और किए जा**			
vi. डिस्कॉम्स का क्षमता निर्माण	13,47,00,000.00		-	**रहे पूंजीगत कार्य पर व्यय**			
ईएपी				क) स्थाई परिसम्पत्तियों की खरीद (अनुसूची–8)	50,59,036.00		15,56,333.00
i. बीईई–जीईएफ–डब्ल्यूबी–एमएसएमई परियोजना	2,00,00,000.00		-	ख) माल (जांच परीक्षण उपकरण) (अनुसूची–3)	-	50,59,036.00	16,75,418.00
ऊर्जा संरक्षण							
i. ऊर्जा संरक्षण जागरूकता	28,00,50,000.00		16,56,50,000.00				
ii. राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन	23,80,00,000.00		13,03,75,000.00				
iii. बचत लैम्प योजना (बीएलवाई)	1,00,00,000.00		1,25,00,000.00	**V. अधिशेष धनराशि/ऋणों की वापसी**			
iv. अति दक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी)	2,00,00,000.00	91,80,50,000.00	1,86,00,000.00	एमओपी/जीओआई को वापस किए गए अधिशेष /अनुदानों पर ब्याज (अनुसूची–3 और 7)		6,41,64,965.00	2,69,41,425.00
अन्य							
i. मानक और लेबलिंग (एसएंडएल)	10,46,88,689.00		15,00,00,000.00				
ii. यूएनडीपी	4,07,00,000.00	14,53,88,689.00	2,95,00,000.00	**VI. अन्य भुगतान**			
III. fuos'kksa ij vk;@vk; izkfIr;ka				i. (पीआरजीएफई) (अनुसूची–1)	3,10,174.00		3,82,670.00
क) i. उद्दिष्ट निधियां (समग्र–बीईई)				ii. (वीसीएफईई) (अनुसूची–1)	10,885.00		81,348.00
(अनुसूची–15)	4,24,00,000.00		4,24,00,000.00	ii. मानक और लेबलिंग कार्यक्रम (एसएंडएल) (अनुसूची–1)	0,46,88,689.00	10,50,09,748.00	15,00,00,000.00
ii. उद्दिष्ट निधियां (समग्र–एनएमईईई) (अनुसूची–15)	1,35,62,346.00		1,58,94,646.00				
iii. पीआरजीएफईई (अनुसूची–1)	91,16,914.00		7,33,77,915.00				
iv. वीसीएफईई (अनुसूची–1)	2,90,60,514.00	15,41,39,774.00	3,06,05,036.00				
ख) उद्दिष्ट निधियां				अग्रिम (अनुसूची–11)			
11वीं योजना (अनुसूची–3)				रजनी थॉमसन	-		61,965.00
बीईई				दि ताजमहल होटल	50,000.00	50,000.00	-
i. लघु और मध्यम उद्यमी (एसएमई)	-		2,07,566.00				
ii. कृषि और नगरपालिका मांग पक्ष प्रबन्धन (एजी एंड एमयू.डीएसएम)	-	-	1,10,478.00				
vxzuhr		**2,22,75,31,550.00**	**1,66,01,20,278.00**	**अग्रेनीत**		**1,34,64,93,068.00**	**1,10,86,51,309.00**

ÅtkZ n{krk C;jks
31 ekpZ 2016 dks lekIr o"kZ ds fy, ikfIr;ka vkSj Hkqxrku

(राशि रूपयों में)

ikfIr;ka	C;kSjk	pkyw o"kZ	xr o"kZ
12वीं योजना (अनुसूची–3)			
बीईई			
i. ऊर्जा संरक्षण भवन निर्माण संहिता (ईसीबीसी)	14,18,922.00		1,44,366.00
ii. राज्य अभिहित अभिकरणों (एसडीए) का सुदृढ़ीकरण	9,77,615.00		46,86,721.00
iii. राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ)	22,88,939.00		-
iv. राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एचआरडी)	12,28,506.00		22,50,941.00
v. लघु और मध्यम उद्यमी (एसएमई)	29,34,604.00		46,64,168.00
vi. कृषि मांगपक्ष प्रबन्धन (एजी.डीएसएम)	7,55,886.00		10,64,935.00
vii. नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन (एमयू.डीएसएम)	5,22,187.00		1,14,212.00
viii. डिस्कॉम्स का क्षमता निर्माण	47,70,524.00		56,82,218.00
ईएपी			
i. बीईई–जीईएफ–डब्ल्यूबी–एमएसएमई परियोजना	7,44,657.00		15,22,723.00
ईसी			
i. ऊर्जा संरक्षण जागरूकता	32,40,721.00		59,94,996.00
ii. राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन	91,63,867.00		6,77,786.00
iii. बचत लैंप योजना (बीएलवाई)	3,27,815.00		15,699.00
iv. अतिदक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी)	10,18,668.00	2,93,92,911.00	72,237.00
अन्य			
i. मानक और लेबलिंग (एसएंडएल)	26,61,871.00		1,19,102.00
ii. यूएनडीपी	2,65,925.00		2,55,594.00
iii. यूएनआईडीओ	29,22,247.00	58,50,043.00	19,31,161.00
IV. ikIr gvk C;kt			
क) बैंक जमा पर (अनुसूची–11 और 17)	5,40,39,833.00		4,87,82,734.00
ख) बैंक जमा पर (मानक और लेबलिंग) (अनुसूची–1 और 11)	11,56,44,045.00		7,53,02,494.00
ग) बचत खाता (अनुसूची–17)	3,29,567.00	17,00,13,445.00	2,41,369.00
V. vU; vk;			
विविध आय (प्रक्रिया शुल्क और आरटीआई शुल्क) (अनुसूची–18)	3,25,452.00		4,89,035.00
ईसीबीसी पुस्तकों की बिक्री (अनुसूची–3)	5,650.00		18,000.00
परीक्षा निधि –2014 / 15वीं परीक्षा (अनुसूची–7 और 14)	-		3,53,15,325.00
परीक्षा निधि –2015 / 16वीं परीक्षा (अनुसूची–7 और 14)	4,14,54,980.00	-	
ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रत्यायन शुल्क (अनुसूची–14)	67,000.00	4,18,53,082.00	1,94,000.00
VI. vU; dksbZ ikfIr;ka			
भवन लेबलिंग शुल्क – ईसीबीसी (अनुसूची–1)	5,00,000.00		5,00,000.00
ऊर्जा दक्षता सेवा लि. (एसएंडएल) अनुसूची–3 और 11)	15,52,501.00		64,99,831.00
आईटीडीसी लि. (अनुसूची–11)		-	21,029.00
जीवन बीमा निगम लिमिटेड (अनुसूची–7)	-		1,36,248.00
डाकपाल (डाक टिकटें) (अनुसूची–11)	4,018.00		32,441.00
जांच परीक्षण उपकरणों की बिक्री (अनुसूची–III)	-		1,71,348.00
स्थाई परिसम्पत्तियों की बिक्री (प्रणव खन्ना)	22,070.00		-
मानक और लेबलिंग (पंजीकृत / लेबल शुल्क) (अनुसूची–1और 9)	26,41,87,158.00		23,92,05,934.00
एसडीए / अभिकरणों से अप्रयुक्त अनुदान की वापसी			
कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा विकास लि. (एजी.डीएसएम) (अनुसूची–3)	-		1,25,00,000.00
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (एसएंडएल) (अनुसूची–3)	-		12,50,893.00
यू.पी. पावर कारपोरेशन लि. (एसडीए) (अनूसूची–3)	-	26,62,65,747.00	45,27,530.00
समय अवसान के कारण वापस हुए चैक			
भुगतान न किए गए चैक (अनुसूची–7)		1,24,485.00	10,81,160.00
अन्य चालू देयजाएं (अन्य) (अनुसूची–7)			
ईपीएफ देय खाता			
डॉ. हरि कृष्णन	2,83,589.00		-
के.के.चक्रवर्ती	8,95,984.00		-
मंजु मेहता	54ए696ण00		.
ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (देय अवकाश नकदीकरण अंशदान)	90,832.00	13,25,101.00	-
vxzsuhr		**2,74,23,56,364.00**	**2,11,55,86,508.00**

(राशि रूपयों में)

Hkqxrku	C;kSjk	pkyw o"kZ	xr o"kZ
अन्य भुगतान			
भुगतान न किए गए चैक (अनुसूची–7)			
अंशि सुरेन्द्र	-		10,000.00
सहायक सम्पदा निदेशक (लाइसेंस शुल्क आलोक–डीडीजी)	-		792.00
मुदंग अंकु	-		10,000.00
एस.एस. कृष्णा	-		37,067.00
तान्या पांडे	10,000.00		-
बैदेहीबा युवराज सिंह	-		10,000.00
वी.एस. कोठारी	-	10,000.00	3,000.00
अन्य चालू देयताएं (अन्य) (अनुसूची–7)			
ऊर्जा दक्षता सेवाएं लि. (देय अवकाश नकदीकरण अंशदान)		2,27,080.00	-
प्रतिभूति जमा (परिसम्पत्तियां) (अनुसूची–11)			
अर्जुन छतवानी (विनीता कॅवल – पट्टे पर किराया)	-		3,760.00
बलविंदर कौर (गिरिजा शंकर – पट्टे पर किराया)	-		30,000.00
बन्दना राय (एस.के खंदारे – पट्टे पर किराया)	52,000.00		-
गोपेन्द्र सिंह (मिलिंद देवड़े – पट्टे पर किराया)	-		50,000.00
शकुन्तला (एस.के. खंदारे – पट्टे पर किराया)	-	52,000.00	46,720.00
अन्य प्राप्ति योग्य (परिसम्पत्तियां) (अनुसूची–11)			
ऊर्जा दक्षता सेवाएं लि.	3,00,00,000.00	-	
प्रतिभूति जमा (देयताएं)			
एक्सिस इन्फोलाइन प्राइवेट लिमिटेड	-		50,000.00
चन्द्र प्रभु ऑफसैट प्रिंटिंग वर्क्स	45,000.00		-
कूल प्वाइंट एअरकंडीशनर्स	-		8,000.00
करेंट प्रिंट प्रोडक्शन प्रा. लि.	5,89,870.00		4,55,937.00
ग्राफीस एड्स	-		50,000.00
साकेत परियोजनाएं	-		3,49,960.00
सरबजीत टूर एंड ट्रैवल्स	29,767.00		-
सोनेक्स प्रिंट	40,250.00		-
व्हाइट रोज़ टैवल्स	-		10,828.00
विंटेक्स ऐपरल लि.	3,80,250.00		1,31,818.00
विंटेक्स टाई	-	10,85,137.00	-
ईएमडी की वापसी (अनुसूची–7)			
सीबीआईपी	-		50,000.00
चन्द्र प्रभु ऑफसैट प्रिंटिंग वर्क्स	50,000.00		-
करेंट प्रिंट प्रोडक्शन प्रा. लि.	50,000.00		50,000.00
इम्पैक्ट मार्केटिंग	-		50,000.00
इंडो एशिया लैज़र सर्विसिज़	-		50,000.00
जागरण सॉल्युशन्स	50,000.00		50,000.00
K.W.Conferences	-		50,000.00
एनआईआईटी प्रौद्योगिकी लि.	5,00,000.00		-
प्रणत इंजीनियर्स प्रा. लि.	1,00,000.00		-
आरईसी	2,00,000.00		-
सहजराम प्रिंटर्स	-		35,000.00
एसजीएस इंडिया प्रा. लि.	5,00,000.00		-
स्काइलार्क एक्सप्रैस	-		50,000.00
सोनेक्स प्रिंट	25,000.00		50,000.00
टैक इंडिया	-		50,000.00
ट्रिफोलम / आर्क कंसेप्ट	.		50ए000ण00
विंटेक्स ऐपरल लि.	-		50,000.00
एक्स एस प्रोडक्शन	-	14,75,000.00	50,000.00
अग्रेनीत		**1,37,93,42,285.00**	**1,11,05,44,191.00**

Åtk n{krk C;jks
31 ekpZ 2016 dks lekIr o"kZ dk fy, izkfIr;k vkSj Hkqxrku

(राशि रूपयों में)

izkfIr;k	C;kjk	pkyw o"kZ	xr o"kZ
बयाना जमा राशि (अनुसूची–7)			
आदिटेक इंस्पैक्शंन्स एंड सर्विसेज प्रा. लि.	-		20,000.00
एपिटको लि.	-		2,50,000.00
भारत भूषण एंड कम्पनी	-		5,000.00
चंद्रा इंजीनियर्स	-		5,000.00
चंद्र प्रभु ऑफसैट	-		50,000.00
क्रॉम्प्टन ग्रीव्स	2,00,000.00		-
करेंट प्रिंट प्रोडेक्शन प्रा. लि.	50,000.00		50,000.00
डिलॉयट टच इंडिया प्रा. लि.	-		1,00,000.00
जागरण सॉल्युशन्स	-		50,000.00
लुकास टीवीएस	2,00,000.00		-
मस्जि़द नर्सरी	5,000.00		5,000.00
माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स	2,00,000.00		-
ओरिएंट इलेक्ट्रिक	2,00,000.00		-
पीसी सॉल्युशन्स	-		2,000.00
प्रणत इंजीनियर्स	50,000.00		-
रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन	-		2,00,000.00
सारा प्रिटिंग एंड एडवर्टाइजिंग	50,000.00		-
सहज राम प्रिंटर्स	1,000.00		-
एसजीएस इंडिया प्रा. लि.	-		5,25,000.00
सिडबी	2,00,000.00		-
सोनेक्स प्रिंट पैक प्रा. लि.	-		25,000.00
दि एनर्जी रिसर्च इंस्टिट्यूट	-		1,50,000.00
उत्तरांचल इंडस्ट्रीज	2,00,000.00		-
वरसा ड्राइव्स	2,00,000.00		-
यश इंटरनेशनल	2,00,000.00	17,56,000.00	-
प्रतिभति जमा (देयताएं)			
चंद्र प्रभु ऑफसेट	-		45,000.00
कूल पॉइंट एअरकॉनडीशनर	-		14,200.00
करेंट प्रिंट प्रोडेक्शन प्रा. लि.	-		5,89,870.00
एन्फार्गी सौल्यूशन्स इंडिया प्रा. लि.	25,300.00		-
कत्यानी एनर्जी सौल्यूशन्स	27,480.00		-
रेनबो ग्रॅफिक्स	2,000.00		-
रेलटेल कॉर्पोरेशन	46,731.00		-
सक्षम ऑफिस ऑटोमेशन	5,000.00		
सोनेक्स प्रिंट	-		40,250.00
अल्टिमेट सौल्यूशन्स	-		67,140.00
वींटेक्स एपेरल लि.	-	1,06,511.00	3,80,250.00
प्रतिभति जमा (देयताएं)			
मानक और लेबलिंग (एसएंडएल) (अनुसूची–7)		77,05,000.00	82,25,000.00
प्रतिभति जमा (परिसम्पत्तियां) (अनुसूची–11)			
अर्जुन छतवानी (विनीता कंवल)	11,560.00		-
बलविन्दर कौर (गिरिजा शंकर – पट्टे पर किराया)	30,000.00		40,000.00
मीनाक्षी (एस.के. खंदारे – पट्टे पर किराया)	-		90,702.00
शकुंतला (एस.के. खंदारे – पट्टे पर किराया)	46,720.00		-
प्रभा किशोर (पी. सामल – पट्टे पर किराया)	-		38,318.00
रितु बंसल (मिलिंद देवड़े – पट्टे पर किराया)	-	88,280.00	60,000.00
dqy		**2,75,20,12,155.00**	**2,12,66,14,238.00**

(राशि रूपयों में)

Hkqxrku	C;kjk	pkyw o"kZ	xr o"kZ
अन्य जमा			
सेवाकर (जमा पूर्व) (अनुसूची–11)		-	61,16,960.00
VII.bfr'k"k cdk;k ¼vuqlwph&11½			
क) हस्तगत नकदी			
ख) बैंक बकाया			
i) बचत खाते – बीईई	8,60,93,143.00		13,10,85,460.00
ii) जमा खाते	55,69,02,031.00		49,78,81,171.00
iii) बचत खाते – योजना स्कीम	68,09,03,165.00		33,45,10,160.00
iv) बचत खाता – (यूनिडो डालर खाता)	4,82,86,312.00		4,53,64,065.00
v) बचत खाता (यूएनडीपी)	4,85,219.00	1,37,26,69,870.00	11,12,231.00
dqy		**2,75,20,12,155.00**	**2,12,66,14,238.00**

दिनांक : 09 मई, 2016
स्थान : नई दिल्ली

d-d- uk;j	lat; lsB	ch-ih- ikaMs
वित्त एवं लेखा अधिकारी	सचिव	महानिदेशक

Åtk n{krk C;jk
31 ekp] 2016 dk rqyu i= d Hkkx d :Ik e vuqlfp;k

(राशि रूपयों में)

vuqlph 1 & Åtk lj{k.k fuf/k	pkyw o"k		xr o"k	
1. समग्र निधि				
वर्ष के आरम्भ में बकाया (बीईई)	500000000		500000000	
समग्र निधि में योगदान				
(समग्र निधि में वृद्धि)	150000000	650000000	150000000	650000000
2. मानक और लेबलिंग शुल्क (एसएंडएल)				
अग्रेनीत अथशेष	1254319333		1062648928	
घटाएं : वर्ष के दौरान स्कीम में अंतरित निधि	104688689		150000000	
जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि	264286659		239246690	
जोड़ें : वर्ष के दौरान ब्याज	118279116	1532196419	102423714	1254319333
3. भवन लेबलिंग शुल्क				
अग्रेनीत अथशेष	900000		400000	
जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि	500000	1400000	500000	900000
4. पीआरजीएफईई				
अग्रेनीत अथशेष	871099278		798108233	
घटाएं : वर्ष के दौरान व्यय	305974		386870	
जोड़ें : वर्ष के दौरान ब्याज	69116914	939910218	73377915	871099278
5. वीसीएफईई				
अग्रेनीत अथशेष	365748303		335224615	
घटाएं : वर्ष के दौरान व्यय	10885		81348	
जोड़ें : वर्ष के दौरान ब्याज	29060514	394797932	30605036	365748303
6. व्यय से अधिक आय का अथशेष	528844273		466063079	
जोड़ें : आय और व्यय लेखा से अंतरित बकाया				
निवल आय	58295274	587139547	62781194	528844273
o"kkr e cdk;k		**4105444116**		**3670911187**

vuqlph 2 & vkjf{kr vkj vf/k'k"k jkf'k	pkyw o"k		xr o"k	
1. आरक्षित पूंजी (वस्तु के रूप में (यूएसएआईडी))–(बीईई)				
अन्तिम खाते के अनुसार	111707		114785	
वर्ष के दौरान वृद्धि				
घटाएं : अनुदान के अंतर्गत परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास	2234	109473	3078	111707
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित राशि				
अन्तिम खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-
3. विशेष आरक्षित राशि				
अन्तिम खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-
4. सामान्य आरक्षित राशि				
अन्तिम खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-
कुल		**109473**		**111707**

Åtk n{krk C;jk
31 ekp] 2016 dk r|yu&i= d Hkkx d : i e vu|lfp;k

(राशि रूपयों में)

vu|lph 3 & mfnn"V fuf/k;k ¼;ktuk&xr½	midj.kk] Hkouk vkj n{krk vul/kku dUn d fy, ekud] lfgrk, vkj ycfyx				Åtk n{krk d fy, jkT; vfHkfgr vfHkdj.kk dk ln<hdj.k						ekx i{k icU/ku ¼df"k] uxjikfydk vkj ,l,eb½								chbb&tbh,Q& MCY;ch ,e,l,eb ifj;ktuk ¼ckg; lgk;rk ÁkIr ifj;ktuk½		Åtk lj{k.k txk:drk] iqjLdkj ,o fp=dyk Áfr;kfxrk Ldhe		jk"Vh; lof/kr Åtk n{krk fe'ku ¼,u,ebbbb½						dy	
	ekud vkj ycfyx dk;Øe ¼,l,M,y½		Åtk lj{k.k Hkou fuek.k lfgrk vkj ekstnk Hkou ¼blhch lh½		,lMh, ln<hdj.k dk;Øe ¼,lMh,½		jkT; Åtk lj{k.k fuf/k e ;kxnku		,pvkjMh dk;Øe		vfHkfgr miHkkäk vkj ,l,eb		df"k ekx i{k ÁcU/ku ¼,th-Mh,l,e½		uxjikfydk ekx i{k ÁcU/ku ¼,e;w-Mh,l,e½		fMLdkWe {kerk fuek.k		chbb&tbh,Q& MCY;ch ,e,l,eb ifj;ktuk ¼ckg; lgk;rk ÁkIr ifj;ktuk½		Åtk lj{k.k txk:drk] iqjLdkj ,o fp=dyk ifr;kfxrk Ldhe		jk"Vh; lof/kr Åtk n{krk fe'ku ¼,u,ebbb½		cpr yEi ;ktuk ¼ch,yokb½		vfrn{k midj.k dk;Øe ¼,lbbih½		dy	
	pkyw o"k	xr o"k	pkyw o"k	xr o"k	pkyw o"k	xr o"k	pkyw o"k	xr o"k	pkyw o"k	xr o"k	pkyw o"k	xr o"k	pkyw o"k	xr o"k	pkyw o"k	xr o"k	pkyw o"k	xr o"k	pkyw o"k	xr o"k	pkyw o"k	xr o"k	pkyw o"k	xr o"k	pkyw o"k	xr o"k	pkyw o"k	xr o"k	pkyw o"k	xr o"k
क. नकद अनुदान																														
d½ fuf/k;k dk vFk'k"k	-	430480	13230292	1040447	5712129	59596822	-	-	18785000	29185000	46426431	50703023	23454031	6937127	8779394	1833244	13263507	52690010	8949882	23761861	20790531	52275019	73561332	-	1962763	-	9031239	-	243946531	278453033
[k½ fuf/k;k e of)																														
i.दान/अनुदान	-	-	33000000	15000000	102300000	45000000	80000000	-	-	-	-	-	-	20000000	-	10000000	134700000	-	20000000	-	280050000	165650000	238000000	130375000	10000000	12500000	20000000	18600000	918050000	417125000
ii.निधियों पर किए गए निवेशों से आय	-	242574	1418922	144366	977615	4686721	2288939	-	1228506	2250941	2934604	4664168	755886	1064935	522187	114212	5025889	5682218	744657	1522723	3240721	5994996	9163867	677786	327815	15699	1018668	72237	29648276	27133576
iii.अन्य वृद्धियां/अव्ययित अनुदान की वापसी	-	171348	5650	18000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12500000	-	-	-	-	-	-	-	-	22070	-	-	-	-	-	27720	12689348
dy ¼d$[k½	**-**	**844402**	**47654864**	**16202813**	**108989744**	**109283543**	**82288939**	**-**	**20013506**	**31435941**	**49361035**	**55367191**	**24209917**	**40502062**	**9301581**	**11947456**	**152989396**	**58372228**	**29694539**	**25284584**	**304081252**	**223920015**	**320747269**	**131052786**	**12290578**	**12515699**	**30049907**	**18672237**	**1191672527**	**735400957**
x½ fuf/k;k d mís'; d fy, mi;kx@0;;																														
i. iathxr 0;;																														
- स्थाई परिसम्पत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167308	-	-	-	-	-	167308
- जांच परीक्षण उपस्कर (हस्तगत स्टॉक)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dy	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**167308**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**167308**
ii. jktLo 0;;																														
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	1220398	1210033	977068	915931	-	-	-	-	1370665	1428622	901200	1071680	1485103	699010	-	-	5543427	5216104	1093748	1775667	5052096	3086524	417791	-	-	-	18061496	15403571
- अन्य प्रशासनिक/परियोजना व्यय	-	-	15913826	1407599	102271771	96903518	80000000	-	-	10400000	1307331	1368421	13806078	1189636	408937	521596	116138056	36736493	4339165	8720733	233595540	191747085	24695552	53559836	2850	10537237	210760	9568761	592689866	422660915
- एमओपी को वापस किए गए निवेशों से आय	-	430404	-	210523	85 -	1065244	-	-	-	-	-	1479549	-	1221780	-	1833244	-	2690010	-	875142	-	3611736	-	-	-	-	-	-	-	13417632
- एमओपी को वापस किया गया अव्ययित बकाया (ब्याज सहित)	-	413998	1418922	144366	977615	4686721	2288939	-	1228506	2250941	2934604	4664168	755886	13564935	522187	114212	5025889	5682218	744657	1522723	3240721	5994996	9163867	677786	327815	15699	1018668	72237	29648276	39805000
- अन्य (ईसीबीसी मैन्युअल की बिक्री)	-	-	18000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18000	-
dy	-	844402	18571146	2972521	104226454	103571414	82288939	-	1228506	12650941	5612600	8940760	15463164	17048031	2416227	3168062	121163945	45108721	10627249	16334702	237930009	203129484	38911515	57324146	748456	10552936	1229428	9640998	640417638	491287118
dy ¼x½	-	844402	18571146	2972521	104226454	103571414	82288939	-	1228506	12650941	5612600	8940760	15463164	17048031	2416227	3168062	121163945	45108721	10627249	16334702	237930009	203129484	38911515	57491454	748456	10552936	1229428	9640998	640417638	491454426
vk; vkj 0;; [kkr e vrfjr jkf'k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
o"kkr e fuoy cdk;k ¼d½	**-**	**-**	**29083718**	**13230292**	**4763290**	**5712129**	**-**	**-**	**18785000**	**18785000**	**43748435**	**46426431**	**8746753**	**23454031**	**6885354**	**8779394**	**31825451**	**13263507**	**19067290**	**8949882**	**66151243**	**20790531**	**281835754**	**73561332**	**11542122**	**1962763**	**28820479**	**9031239**	**551254889**	**243946531**
ख. वस्तु के रूप में अनुदान																														
क) निधियों का अथशेष	4455979	4966814	-	-	1964	-	-	-	-	-	582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4337053	-	-	-	-	-	8795578	4966814
ख) निधियों में वृद्धि																														
i. दान/अनुदान (ब्याज की आय से अधिग्रहीत लैपटॉप)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. निधियों पर किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. 11वीं योजना स्कीम से अंतरित अन्य वृद्धियां/परिसम्पत्तियां	-	-	-	-	-	4910	-	-	-	-	-	1456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3856545	5429941	-	-	-	-	3856545	5436307
dy ¼d$[k½	**4455979**	**4966814**	**-**	**-**	**1964**	**4910**	**-**	**-**	**-**	**-**	**582**	**1456**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8193598**	**5429941**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12652123**	**10403121**
x½ fuf/k;k dk mís'; d fy, mi;kx@0;;																														
i. iathxr 0;;																														
- स्थाई परिसम्पत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- जांच परीक्षण उपकरणों की बिक्री/हानि	-	402568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1750	-	-	-	-	-	1750	402568
dy	-	402568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1750	-	-	-	-	-	1750	402568
ii. jktLo 0;;																														
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय (मूल्यह्रास)	64228	108267	-	-	734	2946	-	-	-	-	116	874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2209137	1092888	-	-	-	-	2274215	1204975
dy	**64228**	**108267**	**-**	**-**	**734**	**2946**	**-**	**-**	**-**	**-**	**116**	**874**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2209137**	**1092888**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2274215**	**1204975**
dy ¼x½	**64228**	**510835**	**-**	**-**	**734**	**2946**	**-**	**-**	**-**	**-**	**116**	**874**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2210887**	**1092888**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2275965**	**1607543**
o"kkr e fuoy cdk;k ¼[k½	**4391751**	**4455979**	**-**	**-**	**1230**	**1964**	**-**	**-**	**-**	**-**	**466**	**582**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5982711**	**4337053**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10376158**	**8795578**
lDy tkM ¼d$[k½	**4391751**	**4455979**	**29083718**	**13230292**	**4764520**	**5714093**	**-**	**-**	**18785000**	**18785000**	**43748901**	**46427013**	**8746753**	**23454031**	**6885354**	**8779394**	**31825451**	**13263507**	**19067290**	**8949882**	**66151243**	**20790531**	**287818465**	**77898385**	**11542122**	**1962763**	**28820479**	**9031239**	**561631047**	**252742109**

ÅtkZ n{krk C;wjks
31 ekpZ] 2016 dks rqyu&i= ds Hkkx ds :i esa vuqlwfp;ka

								¼jkf'k : i;s esa½
vuqlwph 3 & mfí"V fuf/k;ka	okf.kfT;d Hkou dksM fy, ;w,uMhih&thbZ,Q&chbZbZ ifj;kstuk		;w,uMhih&thbZ,Q&chbZbZ ifj;kstuk		ekud vkSj ysoYkhx dk;ZØe		dqy	
	pkyw o"kZ	xr o"kZ	pkyw o"kZ	xr o"kZ	pkyw o"kZ	xr o"kZ	pkyw o"kZ	xr o"kZ
क. नकद अनुदान								
d½ fuf/k;ksa dk vFk'ks"k	1051276	2644362	113357238	116245404	22666408	-	137074922	118889766
[k½ fuf/k;ksa esa of) ;ka								
i. दान/अनुदान	40700000	29500000	-	-	127333592	150000000	168033592	179500000
ii. निधियों पर किए गए निवेश से आय	265925	255594	-	-	2661871	119102	2927796	374696
iii. अन्य वृद्धियां/जांच परीक्षण उपकरणों की बिक्री	-	-	2922247	1931161	-	-	2922247	1931161
dqy ¼d$[k½	**42017201**	**32399956**	**116279485**	**118176565**	**152661871**	**150119102**	**310958557**	**300695623**
ग) fuf/k;ksa dk mn~ns';ksa ds fy, mi;ksx@O;;								
i. iwathxr O;;								
- स्थाई परिसम्पत्तियां	-	-	-	832140	-	-	-	832140
- जांच परीक्षण उपकरण (हस्तगत माल)	-	-	-	-	-	1675418	-	1675418
dqy	-	-	-	**832140**	-	**1675418**	-	**2507558**
ii. jktLo O;;								
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	5227500	3235000	3220693	2383177	8448193	5618177
- अन्य प्रशासनिक/परियोजना व्यय	41531982	31348680	15514982	752187	126796275	123394099	183843239	155494966
- वापस की गई राशि	-	-	-	-	22644903	-	22644903	-
कुल	41531982	31348680	20742482	3987187	152661871	125777276	214936335	161113143
dqy ¼x½	41531982	31348680	20742482	4819327	152661871	127452694	214936335	163620701
vk; vkSj O;; [kkrs esa vUrfjr jkf'k	-	-	-	-	-	-	-	-
o"kkZr esa fuoy cdk;k ¼d½	**485219**	**1051276**	**95537003**	**113357238**	**-**	**22666408**	**96022222**	**137074922**
ख) वस्तु के रूप में अनुदान								
क) fuf/k;ksa dk vFk'ks"k	-	-	585592	-	1675418	-	2261010	-
ख) fuf/k;ksa esa of) ;ka								
i. दान/अनुदान (ब्याज की आय से अधिग्रहीत लैपटॉप)	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. निधियो पर किए गए निवेश से आय	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. अन्य वृद्धियां/परिसम्पत्तियां/अतंरित निधियां	-	-	-	832140	-	-	-	832140
iv. जांच परीक्षण उपकरण (हस्तगत)	-	-	-	-	-	1675418	-	1675418
dqy ¼d$[k½	-	-	**585592**	**832140**	**1675418**	**1675418**	**2261010**	**2507558**
ग) fuf/k;ksa dk mn~ns';ksa ds fy, mi;ksx@O;;								
i. iwathxr O;;								
- स्थाई परिसम्पत्तिया	-	-	-	-	-	-	-	-
- जांच परीक्षण उपकरणों की बिक्री/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-
dqy	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. jktLo O;;								
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक (मूल्य ह्रास)	-	-	351355	246548	-	-	351355	246548
dqy	**-**	**-**	**351355**	**246548**	**-**	**-**	**351355**	**246548**
dqy ¼x½	**-**	**-**	**351355**	**246548**	**-**	**-**	**351355**	**246548**
o"kkZr esa fuoy cdk;k ¼[k½	**-**	**-**	**234237**	**585592**	**1675418**	**1675418**	**1909655**	**2261010**
ldy tksM ¼d$[k½	**485219**	**1051276**	**95771240**	**113942830**	**1675418**	**24341826**	**97931877**	**139335932**
						Plan-XII	**561631047**	**252742109**
						Others	**97931877**	**139335932**
						Total	**659562924**	**392078041**

vuqlwph 4

Åtk n{krk C;jks
31 ekp] 2016 dks rqyu&i= ds Hkkx ds :i esa vuqlwfp;k

(राशि रूपयों में)

vuqlwph 4 & lqjf{kr _.k vkj m/kkj	pkyw o"kZ		xr o"kZ	
1. केन्द्र सरकार		-		-
2. राज्य सरकार		-		-
3. वित्तीय संस्थाएं				
क) आवधिक ऋण		-		-
ख) उपार्जित और देय ब्याज	-	-	-	-
4. cSad :				
क) आवधिक ऋण	-		-	
– उपार्जित और देय ब्याज	-		-	
ख) अन्य ऋण	-		-	
– उपार्जित और देय ब्याज	-	-	-	-
5. अन्य संस्थाएं और अभिकरण	-		-	
6. ऋण पत्र और बांड	-		-	
7. अन्य			-	
कुल	-		-	

vulph 5 vkj 6

Åtk n{krk C;jk

31 ekp] 2016 dk ryu&i= d Hkkx d :i e vulfp;k

(राशि रूपयों में)		
vulph 5 & vljf{kr _.k vkj m/kkj	pkyw o"k	xr o"k
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंकः		
क) आवधिक ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण	-	-
5. अन्य संस्थाएं और अभिकरण	-	-
6. ऋण पत्र और बांड	-	-
7. स्थाई सावधि जमा	-	-
8. अन्य	-	-
dy	-	-

(राशि रूपयों में)		
vulph 6 & vkLFkfxr m/kkj n;rk,a	pkyw o"k	xr o"k
क) पूंजीगत उपकरण और अन्य परिसम्पत्तियों को गिरवी रखकर सुरक्षित स्वीकृति	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-

vu|lph 7

Åtk n{krk C;jk
31 ekp] 2016 dk r|yu&i= d Hkkx d :i e vu|lfp;k

(राशि रूपयों में)

vu|lph 7 & pky n;rk,i vkj iko/kku	pkyu o"k		xr o"k	
d- pky n;rk,i				
QVdj _.k nkrk				
QVdj _.k nkrk ¼vU;½	106752107		33979636	
QVdj _.k nkrk ¼,evkiÃ½	29656732	136408839	45203488	79183124
Ck;kuk tek jkf'k		3754785		3473785
Áfrhkfr tek		2689134		3667760
Áfrhkfr tek ¼ekud vkj ycfyx½				
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (एयर कंडीशनिंग)	7800000		7425000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (लाइटिंग)	2750000		2725000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (रेफ्रिजरेशन)	5050000		4750000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (ट्रांसफॉर्मर)	19975500		18625500	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (बैलास्ट)	225000		225000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (सीलिंग फैन)	5475000		4950000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (कम्प्यूटर)	1175000		1175000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (रंगीन टीवी)	2250000		1725000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (डीजी सैट)	100000		-	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (गैस स्टोव)	1205000		100000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (गीजर)	225000		225000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (इन्वर्टर)	100000		100000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (एलईडी लैम्प)		600000		-
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (एलपीजी गैस)	500000		450000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (मोटर्स)	1050000		1025000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (कार्यालय स्वचालन उत्पाद)	100000		100000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (पम्प)	12800000		11500000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (वॉशिंग मशीन)	300000		300000	
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग) – (वाटर हीटर)	13600000	75280500	12175000	67575500
'kYd ,o dj		1820151		1329971
vU; pky n;rk,i		2196568		2025803
d|y ¼d½		**222149977**		**157255943**
[k] Áko/kku				
1. कराधान के लिए		-		-
2. उपदान		-		-
3. सेवानिवृत्ति / पेंशन (अवकाश वेतन / प्रतिनियुक्ति पदधारकों के लिए पेंशन अंशदान)				
एजी (ओडिशा), भुवनेश्वर	39606		158651	
निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान	-	39606	97229	255880
4. संचयित अवकाश नकदीकरण		-	-	
5. व्यापार वारंटियां / दावे		-	-	
d|y ¼[k½		**39606**		**255880**
d|y ¼d$[k½		**222189583**		**157511823**

vuqlwph & 8

Åtk n{krk C;wjks

31 ekpZ 2016 dks rqyu&i= ds Hkkx ds :i esa vuqlwfp;ka

(राशि रूपयों में)

Øe l-	vuqlwph 8 & LFkkbZ ifjlEifÙk;ka dk fooj.k	ewY;gkl dh nj	ldy Cykd				ewY; gkl Cykd				fuoy Cykd	
			01@04@15 dks vuqlkj	o"kZ ds nkSjku of)";k	fcØh@ lek;kstu	31@03@16 dks vuqlkj	01@04@15 dks vuqlkj	o"kZ ds fy,	lek;kstu	31@03@16 dks vuqlkj	31@03@16 dks vuqlkj	31@03@15 dks vuqlkj
	Åtk n{krk C;wjks											
(क)	eUk & ifjlEifÙk;k		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	भूमि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	भवन		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	फर्नीचर और जुड़नार	10%	1,36,58,590	12,79,224	-	1,49,37,814	64,86,346	7,75,250	-	72,61,596	76,76,218	71,72,244
4	कार्यालय उपकरण	15%	1,02,68,528	-	-	1,02,68,528	62,21,438	5,89,687	-	68,11,125	34,57,403	40,47,090
5	वाहन	15%	21,24,591	-	-	21,24,591	18,36,073	43,278	-	18,79,351	2,45,240	2,88,518
6	कम्प्यूटर	60%	2,51,87,635	-	-	2,51,87,635	2,36,29,079	7,95,565	-	2,44,24,644	7,62,991	15,58,556
(ख)	vewrZ&ifjlEifÙk;k											
1	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	60%	2,97,12,881	-	-	2,97,12,881	2,95,81,306	78,925	-	2,96,60,231	52,650	1,31,575
	dqy		**8,09,52,225**	**12,79,224**	**-**	**8,22,31,449**	**6,77,54,242**	**22,82,705**	**-**	**7,00,36,947**	**1,21,94,502**	**1,31,97,983**
	oLrq ds :i esa vuqnku ifjlEifÙk;k											
(क)	ewrZ&ifjlEifÙk;k		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	भूमि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	भवन		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	फर्नीचर और जुड़नार	10%	29,202	4,71,643	-	5,00,845	11,000	25,402	-	36,402	4,64,443	18,202
4	कार्यालय उपकरण	15%	86,44,164	1,26,933	-	87,71,097	46,14,903	6,05,338	-	52,20,241	35,50,856	40,29,261
5	वाहन	15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	कम्प्यूटर	60%	72,79,231	23,79,977	80,593	95,78,615	63,10,620	15,06,039	79,149	77,37,510	18,41,105	9,68,611
(ख)	अमूर्त – परिसम्पत्तियां											
1	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	60%	92,38,768	8,77,992	17,058	1,00,99,702	89,10,277	4,91,025	16,752	93,84,550	7,15,152	3,28,491
	dqy		**2,51,91,365**	**38,56,545**	**97,651**	**2,89,50,259**	**1,98,46,800**	**26,27,804**	**95,901**	**2,23,78,703**	**65,71,556**	**53,44,565**
	ldy tksM		**10,61,43,590**	**51,35,769**	**97,651**	**11,11,81,708**	**8,76,01,042**	**49,10,509**	**95,901**	**9,24,15,650**	**1,87,66,058**	**1,85,42,548**
	xr o"kZ		**10,45,87,257**	**15,56,333**	**-**	**10,61,43,590**	**8,37,68,414**	**38,32,628**	**-**	**8,76,01,042**	**1,85,42,548**	**2,08,18,843**

vu|lph 9 vkj 10

Åtk n{krk C;jk
31 ekp] 2016 dk r|yu&i= d HkkX d :i e vu|lfp;k

(राशि रूपयों में)			
vu|lph 9 & mfnn"V@LFkk;h fuf/k;k l fuo'k		pky o"k	xr o"k
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां में		-	-
3. शेयरों में		-	-
4. समग्र निधि में			
i. ,uVhihlh d _.k i= ¼20 o"k½	500000000		500000000
ii. fo t;k cid & ,QMhvkj ¼lex fuf/k e lo/ku½	150000000	650000000	150000000
5. jkt lgk;rk vkj l;|ä mRØe		-	-
6. vU;			
विजया बैंक – पीआरजीएफईई		939910218	871099278
विजया बैंक – वीसीएफईई		394797932	365748303
विजया बैंक – एसएंडएल शुल्क		1453605001	1178421730
विजया बैंक – हस्तगत चैक		99500	40756
d|y		**3438412651**	**3065310067**

vu|lph 10 & fuo'k & vU;		pky o"k	xr o"k
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-	
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां में		-	-
3. शेयरों में		-	-
4. ऋण पत्र और बांड	-	-	
5. राजसहायता और संयुक्त उत्क्रम		-	-
6. अन्य		-	-
d|y		-	-

vuqlwph 11

Åtk n{krk C;wjk
31 ekp] 2016 dk rqyu&i= d Hkkx d :i e vuqlwfp;k

(राशि रूपयों में)

vuqlwph 11 & pkyw ifjlEifÙk;k] _.k] vfxze vkfn	pkyw o"kZ		xr o"kZ	
d- pkyw ifjlEifÙk;k				
I. gLrxr udn		-		-
II. cSad [kkrs				
क) अनुसूचित बैंकों में				
- चालू खातों पर				
बीईई (यूनिडो–यूएसडी खाता–विजया बैंक, दिल्ली)	48286312		45364065	
- अनुसूचित बैंकों में एफडीआर (विजया बैंक)	556902031		497881171	
- बचत खातों पर				
बीईई (विजया बैंक बचत और स्वीप खाता–बीईई)	85673287		130892329	
बीईई (विजया बैंक बचत और स्वीप खाता–योजना स्कीम)	680903165		334510160	
बीईई (आईओबी, चेन्नई)		50000		54400
बीईई (आईओबी, दिल्ली)		369856		138731
बीईई (यूएनडीपी परियोजना – विजया बैंक, दिल्ली)	485219	1372669870	1112231	1009953087
III. gLrxr MkdfVdV		5660		14730
IV. tkp ijh{k.k midj.k (,l,e,y ifj;kstuk)		5823730		5823730
dqy (11d)		**1378499260**		**1015791547**

(राशि रूपयों में)

vuqlwph 11 & pkyw ifjlEifÙk;k] _.k] vfxze vkfn	pkyw o"kZ		xr o"kZ	
[k- _.k] vfxze vkSj vU; ifjlEifÙk;k				
I. vU; vfxze				
एम एंड एम टैक्नोलॉजी प्रा. लि.	575312		575312	
ताज महल होटल	50000		-	
वरिष्ठ डाकपाल	2244	627556	4018	579330
II. LVkQ dks vfxze				
रजनी थॉमसन		-		61965
III. vU; tek (ifrHkwfr tek)				
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस–सदस्यता प्रतिभूति जमा)		10000		10000
पेट्रोल पम्प के पास जमा (लक्ष्मी सुपर सर्विसेस)	10000		10000	
प्रतिभूति जमा (हच–सतीश सभ्भरवाल)	250		250	
प्रतिभूति जमा (पट्टे पर किराया – शकुन्तला – एस.के. खंदारे)	-		46720	
प्रतिभूति जमा (पट्टे पर किराया – बन्दना राय – एस.के. खंदारे)	52000		-	
प्रतिभूति जमा (पट्टे पर किराया – गोपेन्द्र सिंह – मिलिंद्र बी. देवड़े)	50000		50000	
प्रतिभूति जमा (पट्टे पर किराया – बलविन्दर कौर – गिरिजा शंकर)	-		30000	
प्रतिभूति जमा (पट्टे पर किराया – अर्जुन छतवानी – विनीता कंवल)	30000		41560	
सेवाकर प्राधिकारी (अपील के प्रति जमा)	6116960	6269210	6116960	6305490
IV. mikftZr vk;				
निवेशों/सावधिक जमा प्राप्तियों पर				
i. बीईई	29635465		29068638	
ii. एनएमईईई समग्र	6275470		6864862	
iii. एसएंडएल	78491918	114402853	75856847	111790347
V. vU; ikfIr;ksX;				
अरविन्द कुमार राय	200		-	
भोपाल सिंह	200		-	
मुख्य डाकपाल, दिल्ली जीपीओ	11653		-	
ऊर्जा दक्षता सेवा लि. (पैट)	255365		816543	
ऊर्जा दक्षता सेवा लि. (बीएलवाई)	-		735958	
ऊर्जा दक्षता सेवा लि.	30000000		-	
हरीश चंद शर्मा	200		-	
मदन मोहन प्रसाद	200		-	
विवेक	200	30268018	-	1552501
VI. Hkqxrku lkoZ O;;				
भुगतान पूर्व व्यय (कम्प्यूटर)	25487		52227	
भुगतान पूर्व व्यय (परीक्षा – एनपीसी चेन्नई)	-		588146	
भुगतान पूर्व व्यय (इंटरनेट)	10117		8875	
भुगतान पूर्व व्यय (अनुरक्षण – फ्रैंकिंग मशीन)	12950		12707	
भुगतान पूर्व व्यय (अंशदान)	-		523	
भुगतान पूर्व व्यय (स्टाफ कार बीमा)	11936	60490	16485	678963
dqy (11[k)		**151628127**		**120968596**
dqy (11d$11[k)		**1530127387**		**1136760143**

vu|lph 12 vkj 13

Åtk n{krk C;jk

31 ekp] 2016 dk vk; vkj 0;; d Hkkx d :i e vu|lfp;k

(राशि रूपयों में)		
vu|lph 12 & fcØh@lokvk l vk;	pkyw o"k	xr o"k
1) बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) कबाड़ की बिक्री	-	-
2) सेवाओं से आय		
क) श्रम और प्रक्रियण प्रभार	-	-
ख) व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी कमीशन और दलाली	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपकरण/संपदा)	-	-
ङ) अन्य	-	-
dy	-	-

(राशि रूपयों में)		
vu|lph 13 & vunku@jkt lgk;rk	pkyw o"k	xr o"k
(अशोध्य अनुदान और प्राप्त राजसहायता)		
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार(रें)	-	-
3. सरकारी अभिकरण	-	-
4. संस्थाएं/कल्याण निकाय	-	-
5. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
dy	-	-

vuqlph 14 vkj 15

Åtk n{krk C;jk
31 ekp] 2016 dk vk; vkj 0;; d Hkkx d :i e vuqlfp;k

(राशि रूपयों में)

vuqlph 14 & 'kYd@v'knku	pkyw o"k	xr o"k
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क (राष्ट्रीय स्तर प्रमाणन परीक्षा – 2014 / 15वीं परीक्षा)	-	40585125
वार्षिक शुल्क (राष्ट्रीय स्तर प्रमाणन परीक्षा – 2015 / 16वीं परीक्षा)	41454980	-
3. ऊर्जा लेखा परीक्षक प्रत्यायन शुल्क	67000	194000
dqy	**41521980**	**40779125**

	mfnn"V fuf/k;k e fuos'k		fuos'k & vU;	
vuqlph 15 & fuos'kksa ls vk;	pkyw o"k	xr o"k	pkyw o"k	xr o"k
(निधियों में अन्तरित उद्दिष्ट/स्थाई निधियों से निवेशों पर आय)				
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बांड (एनटीपीसी – समग्र निधि)	42400000	42400000	-	-
ग) एफडीआर (विजया बैंक – समग्र निधि)	12972954	14216116	-	-
2. लाभांश				
क) शेयरों पर	-	-	-	-
ख) म्यूचूअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-
dqy	**55372954**	**56616116**	**-**	**-**
mfnn"V@LFkkÃ fuf/k;k e vUrfjr	-	-		

vu|lph 16 vkj 17

Åtk n{krk C;jk
31 ekp] 2016 dk vk; vkj 0;; d
Hkkx d :i e vu|lfp;k

vu|lph 16 & jk;YVh] Ádk'kuk vkfn l vk;		pky o"k	xr o"k
क) रॉयल्टी से आय		-	-
ख) प्रकाशनों से आय		-	-
dly		-	-

vu|lph 17 & vftr C;kt		pky o"k	xr o"k
1. आवधिक जमा पर			
क) अनुसूचित बैंकों में			
ब्याज से आय – विजया बैंक	54606660	54606660	52670182
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में		-	-
ग) संस्थाओं में		-	-
घ) अन्य		-	-
2. बचत खातों पर			
क) अनुसूचित बैंकों में			
प्राप्त ब्याज – आईओबी बैंक, चेन्नई	146879		23566
प्राप्त ब्याज – आईओबी बैंक, दिल्ली	75386		114227
प्राप्त ब्याज – विजया बैंक, दिल्ली	107302	329567	103576
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में		-	-
ग) डाकघर बचत खातों में		-	-
घ) अन्य		-	-
3. ऋणों पर			
क) कर्मचारी/स्टाफ		-	-
ख) अन्य		-	-
4. ऋण दाताओं और अन्य प्राप्य पर ब्याज		-	-
5. उपदान निधि पर ब्याज		-	-
dly	**54936227**	**52911551**	

vu|lph 18] 19 vkj 20

Åtk n{krk C;jk
31 ekp] 2016 dk vk; vkj 0;; d
Hkkx d :i e vu|lfp;k

(राशि रूपयों में)

vu|lph 18 & vU; vk;	pkyw o"k	xr o"k
1. परिसम्पत्तियों की बिक्री / निपटान पर लाभ		
क) अधिग्रहीत परिसम्पत्तियां	-	-
ख) अनुदानों से अधिग्रहीत अथवा लागत रहित प्राप्त परिसम्पत्तियां	-	-
2. विविध प्राप्तियां	325452	489035
3. अन्य (फुटकर बकायों का प्रतिलेखन)	1456093	347814
d|y	**1781545**	**836849**

vu|lph 19 & r;kj vkj r;kj dh tk jgh oLr|vk d LVkd e of)@¼deh½	pkyw o"k	xr o"k
क) इतिशेष स्टॉक		
- तैयार वस्तुएं	-	-
- तैयार की जा रही वस्तुएं	-	-
ख) घटाएं : अथशेष स्टॉक		
- तैयार वस्तुएं	-	-
- तैयार की जा रही वस्तुएं	-	-
fuoy of)@deh ¼d&[k½	-	-

vu|lph 20 & LFkkiuk 0;;	pkyw o"k		xr o"k	
	¼vkbZ ,M b½	¼vkj ,M ih½	¼vkbZ ,M b½	¼vkj ,M ih½
क) वेतन और मजदूरी	37160523	37826158	36456499	34937904
ख) भत्ते और बोनस	2666579	2669038	4442309	4486927
ग) ईपीएफ प्रभार	4315881	3957632	3870437	3864049
घ) अन्य (अवकाश वेतन)	11321	111593	111593	173698
ङ) अन्य (पेशन अंशदान)	28285	144287	144287	318431
च) कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति और सीमांत लाभों पर व्यय (उपदान)	904330	904330	1030434	1062517
छ) कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति और सीमांत लाभों पर व्यय (अवकाश नकदीकरण)	1162	1162	918237	806644
ज) कर्मचारी कल्याण व्यय	936414	999869	1048343	984888
d|y	**46024495**	**46614069**	**48022139**	**46635058**

vuqlwph&21

ÅtkZ n{krk C;wjks

31 ekpZ] 2016 dks vk; vkSj O;; ds Hkkx ds :i esa vuqlwfp;ka

(राशि रूपयों में)

vuqlwph 21 & vU; iz'kklfud O;; vkfn	pkyw o"kZ		xr o"kZ	
	¼vkbZ ,M b½	¼vkj ,M ih½	¼vkbZ ,M b½	¼vkj ,M ih½
क) मरम्मत और रखरखाव	2138424	2051508	1504065	1547516
ख) वाहन चालन और रखरखाव	1279695	1774446	1054695	1546443
ग) डाक, टेलिफोन और संचार प्रभार	1183572	1253978	1548294	1344131
घ) छपाई और लेखन सामग्री	2276811	2322869	2110084	2293447
ङ) यात्रा और परिवहन व्यय	4298343	6080047	3601294	1897423
च) कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय	802021	821625	1936315	1916711
छ) लेखा परीक्षक को पारिश्रमिक	112500	-	202220	183653
ज) विधिक और व्यावसायिक प्रभार	524292	526452	463366	294826
झ) विज्ञापन और प्रचार	780879	780879	145155	145155
ञ) आईपीईईसी को अंशदान	4259030	4259030	4409829	4409829
ट) आईईए को अंशदान	-	-	278979	278979
ठ) पूर्वावधि व्यय	2923905	2923905	1749243	1749243
ड) कार्यालय रखरखाव	2705710	2829018	4243386	4277462
ढ) बैंक प्रभार	1197	1197	1144	1144
dqy ¼d½	**23286379**	**25624954**	**23248069**	**21885962**

(राशि रूपयों में)

vuqlwph 21 & vU; iz'kklfud O;; vkfn	pkyw o"kZ		xr o"kZ	
	¼vkbZ ,M b½	¼vkj ,M ih½	¼vkbZ ,M b½	¼vkj ,M ih½
परियोजना व्यय – (बीईई)				
राष्ट्रीय स्तर प्रमाणन परीक्षा	23304307	22700392	13979212	9352968
ऊर्जा लेखापरीक्षक प्रत्यायन	419546	419546	735000	735000
	23723853	23119938	14714212	10087968
सहायता अनुदान परियोजनाएं (विद्युत मंत्रालय)				
Xiवीं योजना				
बीईई				
कृषि और नगर पालिका मांगपक्ष प्रबंधन (एजी और एमयू डीएसएम)	-	1614160	-	-
ईसी				
राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई)	-	-	-	3549417
	-	1614160	-	3549417
XIIवीं योजना				
बीईई				
मानक और लेबलिंग (एसएंडएल)	-	-	-	1420225
ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी)	-	17141537	-	2612129
राज्य अभिहित अभिकरण (एसडीए)	-	126808839	-	74259449
राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ)	-	80000000	-	-
मानव संसाधन और विकास (एचआरडी)	-	-	-	10400000
कृषि और नगर पालिका मांगपक्ष प्रबंधन (एजी डीएसएम)	-	14775558	-	2193036
नगर पालिका मांगपक्ष प्रबंधन (एमयू डीएसएम)	-	1894040	-	1220606
लघु और मध्यम उद्यमी(एसएमई)	-	2748268	-	2722921
डिस्कॉम्स क्षमता निर्माण	-	18177259	-	34697290
ईसी				
ऊर्जा संरक्षण जागरूकता (जागरूकता अभियान)	-	215774137	-	198513629
राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई)	-	25813937	-	56635599
बचत लैम्प योजना (बीएलवाई)	-	1156599	-	10537237
अति दक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी)	-	508519	-	9265502
ईएपी				
बीईई – जीईएफ – डब्ल्यूबी – परियोजना	-	10099932	-	13653879
	-	514898625	-	418131502
परियोजना व्यय – (अन्य)				
यूएनडीपी परियोजना	-	41591876	-	31363565
यूनिडो परियोजना	-	16015406	-	3886725
मानक और लेबलिंग (एसएंडएल)	-	129727208	-	124388792
	-	187334490	-	159639082
dqy ¼[k½	**23723853**	**726967213**	**14714212**	**591407969**
dqy ¼d$[k½	**47010232**	**752592167**	**37962281**	**613293931**

vuqlph 22 vkj 23

Åtk n{krk C;jk
31 ekp] 2016 dk vk; vkj O;; d
Hkkx d :i e vuqlfp;k

		(राशि रूपयों में)
vuqlph 22 & vunkuk] jkt lgk;rk vkfn ij O;;	pkyw o"k	xr o"k
क) संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान	-	-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई राजसहायता	-	-
dqy	-	-

vuqlph 23 & C;kt	pkyw o"k	xr o"k
क) स्थाई ऋणों पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)	-	-
ग) अन्य	-	-
dqy	-	-

Åtk n{krk C;jk
31 ekp 2016 dk lekIr o"k d
y[kkvk d Hkkx d :i e vulfp;k

vulph 24 & egRoi.k y[kkdj.k uhfr;k

1½ y[kkdj.k ijijk,

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तथा लेखाकरण से प्रोद्भूत पद्धति पर, जब तक की अन्यथा निर्दिष्ट न हों, तैयार किए जाते हैं।

2½ lkeku dh lph

सामान का मूल्यांकन लागत (जांच परीक्षण उपकरण) पर किया जाता है ।

3½ fuo'k

निवेश लागत पर किए जाते हैं।

4½ LFkkbZ ifjlifÙk;k

क. स्थाई परिसंपत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण की लागत पर किया जाता है जिसमें आगम भाड़ा, शुल्क और कर तथा अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष शामिल है

ख. गैर–मौद्रिक अनुदानों (समग्र निधि के अतिरिक्त) के माध्यम द्वारा से प्राप्त स्थाई परिसंपत्तियों को वर्णित मूल्य पर, आरक्षित पूंजी में तदनुरूप जमा दिखाते हुए पूंजीकृत किया जाता है।

ग. वस्तु के रूप में अनुदान दर्शाने वाली स्थाई परिसंपत्तियों पर, वर्ष के दौरान ऐसी परिसंपत्तियों पर हुए मूल्यह्रास की राशि को घटाया गया है और वस्तु के रूप में अनुदान पर हेतु आरक्षित पूंजी में से तदनुसार घटाया गया है।

5½ eY;gkl

क. स्थाई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना, आयकर अधिनियम,1961 में निर्दिष्ट दर के अनुसार लिखित मूल्य पर की जाती है।

ख. वर्ष के दौरान स्थाई परिसंपत्तियों में वृद्धि/से कटौती के संबंध में, मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर निम्नानुसार विचार किया गया है :

180 दिनों तक के लिए अधिग्रहीत/प्रयुक्त परिसंपत्तियां = छह माह के लिए मूल्यह्रास

180 दिनों से अधिक तक के लिए अधिग्रहीत/प्रयुक्त परिसंपत्तियां = पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास

ग. 5,000/–रू. अथवा कम मूल्य की परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

घ. मूल्यह्रास स्थाई परिसम्पत्तियों और वस्तु के रूप में अनुदान दर्शाने वाली स्थाई परिसम्पत्तियों में विभाजित किया गया है।

ङ अप्रयोज्य परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया गया है।

6½ vunku ,o jktLo grq y[kkdj.k

मानक एवं लेबलिंग स्कीम के अंतर्गत प्राप्त लेबलिंग शुल्क सहित अनुदानों और राजस्व का लेखांकन ब्याज आय को छोड़कर वास्तविक प्राप्ति के आधार पर किया गया है।

7½ l jdkjh ,o vU; vunku@jkt lgk;rk

क. परियोजनाओं को स्थापित करने की पूंजीगत लागत के प्रति योगदान के रूप में सरकारी अनुदानों को पूंजीगत रिजर्व माना गया है।

ख. स्थाई परिसंपत्तियों के रूप में प्राप्त वस्तु के रूप में अनुदान को ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रदत्त निवल मूल्यह्रास के पूंजीगत रिजर्व के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

ग. सरकारी एवं अन्य अनुदानों / राजसहायता का लेखाकरण प्राप्ति आधार पर किया जाता है और इसे केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदानों के अंतर्गत आय के रूप में दर्शाया गया है।

8½ fon'kh enk ylunu

क. विदेशी मुद्रा में लेनदेन का लेखाकरण लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।

ख. चालू परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा में ऋणों और चालू देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को संगत परियोजनाओं के अंतर्गत लागत में समायोजित किया गया है।

9½ yht

लीज़ किराया पर व्यय लीज़ की शर्तों के अनुसार किया गया है।

10½ lokfuofÙk YkkHk

क. ब्यूरो ने अपने कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय उपदान के प्रति देयता के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है।

ख. ब्यूरो ने अपने कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण लाभ के प्रति देयता के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की अवकाश नकदीकरण लाभ पॉलिसी ली है।

Åtk n{krk C;jks
31 ekpZ 2016 dks lekIr o"kZ ds
ys[kkvksa ds Hkkx ds :i esa vuqlwfp;ka

vuqlwph 25 & ys[kkvksa ij fVIif.k;ka

1½ vkdfLed ns;rk,a

क. सेवा कर

सेवा कर के संबंध में विवादित मांग:

i. 2008 से 2013 – 8,15,59,473/– रू. (गतवर्ष – 8,15,59,473/–रू.)

ii. 2013 से 2014 – 3,81,15,783/–रू. (गतवर्ष – 3,81,15,783/–रू.)

iii. 2014 से 2015 – 2,95,70,890/–रू. (गतवर्ष –शून्य)

बीईई ने उपर्युक्त मामलों के लिए विभाग को अपील/उत्तर फाइल कर दिया है, जिस पर सेवाकर विभा द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अपील फाइल करते समय बीईई ने 61,16,960/– रू. की राशि संबंधित विभाग के पास जमा कर दी है।

ख. वेतन और भत्ते

7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है और यह अभी भारत सरकार द्वारा विचाराधीन है। चूंकि रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है इस स्तर पर देयता की कोई राशि निधारित नहीं की जा सकती है।

2½ pkyw ifjlaifÙk;ka] _.k ,oa vfxze

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का प्राप्ति मूल्य साधारण लेनदेन की सामान्य प्रक्रिया में, कम से कम तुलन पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर है।

3½ djk/kku

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 49, के अंतर्गत आयकर से छूट में यह प्रावधान है –"आयकर अधिनियम,1961 (1961 का 43) अथवा प्रचलित आय, लाभ और फायदे पर कर से संबंधित इस समय प्रचलित किसी भी अन्य अधिनियमन के होते हुए भी –

(क) ब्यूरो;

(ख) मौजूदा ऊर्जा प्रबंधन केंद्र के गठन की दिनांक से लेकर ब्यूरो की स्थापना की दिनांक तक प्राप्त अपनी आय, लाभों या फायदों के संबंध में किसी आयकर या अन्य किसी कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा"।

उपरोक्त के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत ब्यूरो की आयकर योग्य नहीं है और इसलिए आयकर हेतु किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

4½ fons'kh eqnzk ysunsu

ब्यूरो ने आईपीईईसी को वार्षिक अंशदान तथा परियोजनाओं हेतु विदेशी यात्रा व्यय के लिए पर विदेशी मुद्रा में व्यय किया है।

ब्यूरो ने वित्तीय वर्ष 2012–13 में ''यूनिडो–जीईएफ–बीईई परियोजना'' के अंतर्गत 18,99,985 अमेरिकी डॉलर अनुदान के रूप में प्राप्त किए हैं। इसमें से, 7,28,740 अमेरिकी डॉलर की शेष राशि हमारे बैंकर अर्थात् विजया बैंक के पास एक अलग विदेशी मुद्रा बैंक खाते में रखी गई है। तुलन पत्र की अंतिम तिथि को, 7,28,740 अमेरिकी डॉलर का मूल्य 4,82,86,312/– रू. है। 29,22,247/–रू. के विनिमय दर में अंतर को "यूनिडो–जीईएफ–बीईई परियोजना" के अंतर्गत अनुसूची–3 में "अन्य वृद्धियां (निर्दिष्ट निधि– अन्य) में दर्शाया गया है।

5½ I ok fuofÙk ykHk

ब्यूरो ने भारतीय जीवन बीमा निगम को ग्रेच्युटी हेतु 9,04,330/–रू तथा अवकाश नकदीकरण लाभ हेतु 1,162 /–का किए गए भुगतान प्रीमियम के प्रति व्यय दर्ज किया है। चूंकि बीईई एलआईसी (एक सरकारी निकाय) के माध्यम से अपने कर्मचारियों के ग्रेच्युटी/ अवकाश नकदीकरण का हिसाब रखता है, एलआईसी बीईई के कर्मचारियों का बीमांकिक मूल्यांकन करता है। एलआईसी द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के अनुसार, 31/3/2016 को उपदान निधि तथा ग्रुप अवकाश नकदीकरण स्कीम का बीमांकिक मूल्य निम्नानुसार है:

i.	उपदान निधि	– 92,64,499/– रू.
ii.	ग्रुप अवकाश नकदीकरण स्कीम	– 67,82,300/– रू.

6½ ब्यूरो ने विभिन्न योजना परियोजनाओं की अप्रयुक्त निधियों के संबंध में बैंकों में स्वीप खातों पर ब्याज आय अर्जित की है। अतएव, अप्रयुक्त निधियों पर मासिक औसत बकाया के आधार पर गणना की गई ब्याज आय को संबंधित परियोजनाओं में प्राप्त ब्याज आय के तौर पर जमा किया गया है। संबंधित परियोजनाओं से जमा किए गए ब्याज में वर्ष के दौरान अप्रयुक्त निधियों पर ईईएसएल से ब्याज आय भी शामिल रही।

7½ ब्यूरो ने पीआरजीएफईई के अंतर्गत 93,99,10,218/– रू. (वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज सहित) तथा वीसीएफईई के अंतर्गत 39,47,97,932/– रू. (वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज सहित) को निर्दिष्ट निधि (अनुसूची–1) के अंतर्गत दर्शाया है। इसे विजया बैंक में अलग–अलग खातों में जमा किया गया है और अनुसूची–9 में दर्शाया गया है।

8½ वर्ष के दौरान ब्यूरो द्वारा ईसी अधिनियम की धारा 14 के खंड (क), (ख) व (घ) के अंतर्गत मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से गत वर्ष 38,25,65,775/– रू. (अनुसूची–1) (पिछले वर्ष 34,16,70,404/– रू. की ब्याज राशि सहित प्राप्त की। ब्यूरो ने एकरूपता बनाए रखने के लिए लेबलिंग शुल्क को मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम (एसएंडएल) के अंतर्गत प्राप्ति के आधार पर विचार किया।

9½ 12वीं योजना हेतु प्रस्तावित मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान स्वीकृत किया गया था। ईएफसी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि स्कीम से संबंधित सभी व्यय स्कीम अर्थात् ''ऊर्जा संरक्षण निधि'' में सृजित आय में से किए जाऐंगे। तदनुसार, वर्ष के दौरान स्कीम के व्ययों को पूरा करने के लिए 12.73 करोड़ रू. की राशि"ऊर्जा संरक्षण निधि" (अनुसूची–1) से की राशि अनुसूची–3 में अंतरित की गई (गत वर्ष 15.00 करोड रू.)।

10½ मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम (एसएंडएल) के अंतर्गत 58,23,730/– रू. पिछले वर्ष 58,23,730/– रू. की राशि के परीक्षण जांच उपकरणों को चालू परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर तृतीय पक्ष (परीक्षण प्रयोगशाला) के पास पड़ी है। ये माल सूचियां मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत आती हैं, न कि व्यापार के प्रयोजन के लिए हैं। 31/3/2016 को जांच परीक्षण उपकरणों का उत्पाद–वार विवरण निम्न प्रकार से है:

i.	रेफ्रिजरेटर्स	–	15,42,413/– रू
ii.	एयर कंडीशनर्स	–	24,18,374/– रू
iii.	वाटर हीटर्स	–	3,88,371/– रू
iv.	पंप सेट	–	9,42,341/– रू
v.	इंडक्शन मोटर्स	–	3,58,682/– रू
vi.	टेलीविजन	–	1,52,912/– रू
vii.	ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैंप	–	20,637/– रू
	d|y	–	58]23]730@& :

11½ अप्रयोज्य वस्तुओं में 5,05,874/– रू. (डब्ल्यूडीवी) के कार्यालय उपकरणों को शामिल किया गया है जिन पर वर्ष के लिए कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया है।

12½ वर्ष के दौरान विभिन्न पार्टियों को भुगतान न किए गए चेकों हेतु 14,56,093/– रू. की राशि वापस लिखी गई है जो एक

वर्ष से अधिक अवधि के लिए बकाया थे और पार्टियों ने जिनका दावा नहीं किया था। उक्त राशि को अनुसूची–18 – अन्य आय के अंतर्गत ''अन्य (वापस लिखा गया विविध शेष)'' के तौर पर दर्शाया गया है।

13½ बीईई सितंबर 2010 से ''एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता का निधीयन'' (बीईई–जीईएफ–विश्व बैंक परियोजना) – परियोजना पर कार्य कर रहा है। आरम्भ में परियोजना के समापन की तिथि 31 दिसंबर 2014 निर्धारित की गई थी। दिसंबर 2014 में, विश्व बैंक ने (क) परियोजना परिणाम ढांचे को परियोजना गतिविधियों से पुनः संयोजित करने, (ख) परियोजना बचतों को पुनः आवंटित करने, (ग) बजट को पुनर्गठित करने तथा (घ) 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2016 तक दो वर्षों के लिए समय बढ़ाने के लिए परियोजना का पुनर्गठन किया है।

31 मार्च 2016 तक बीईई द्वारा 7.29 करोड़ रू की राशि व्यय की जा चुकी है। इसमें वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान व्यय की गई 0.99 करोड़ रू की राशि शामिल है।

14½ निविदा प्रक्रियण शुल्क और आरटीआई शुल्क को "अनुसूची–18–अन्य आय" के अंतर्गत ''विविध सेवाओं हेतु शुल्क'' के रूप में दर्शाया गया है।

15½ वर्ष के दौरान ब्यूरो ने निम्नलिखित व्ययों को दर्ज किया है जो पिछले वर्ष (पूर्व अवधि व्यय) से संबंधित हैं:

i.	लेखा परीक्षा शुल्क	–	1,46,250/– रू.
ii.	कार्यालय रखरखाव	–	14,55,892/– रू.
iii.	व्यावसायिक प्रभार	–	1,41,000/– रू.
iv.	जीर्णोद्धार और रखरखाव	–	27,902/– रू.
v.	छपाई और लेखन सामग्री (अंशदान व्यय)	–	817/– रू.
vi.	टेलिफोन व्यय	–	38,001/– रू.
vii.	यात्रा व्यय	–	9,46,718/– रू.
viii.	वाहन चालन और किराया प्रभार	–	1,67,325/– रू.
	dy	&	29]23]905@& :-

16½ प्रिंटर और पीडीए जिन्हें पहले "कार्यालय उपकरण" के अंतर्गत दर्शाया गया था, अब "कम्प्यूटर" के अंतर्गत दर्शाया गया है क्योंकि ये कम्प्यूटर और पेरिफेरल्स के किस्म के हैं, मूल्यह्रास भी तदनुसार प्रभारित किया गया है। परिवर्तन का विवरण नीचे दिया गया है :–

कार्यालय उपकरण	सकल ब्लॉक	मूल्यह्रास ब्लॉक	निवल ब्लॉक (डब्ल्यूडीवी)
बीईई परिसम्पत्तियां			
31/3/2015 को बकाया	1,29,62,161/-	77,77,831/-	51,84,330/-
घटाएं : कम्प्यूटरों में ले जाया गया	26,93,633/-	15,56,393/-	11,37,240/-
01/04/2015 को बकाया	1,02,68,528/-	62,21,438/-	40,47,090/-
बीईई (वस्तु के रूप में परिसम्पत्तियां अनुदान)			
31/3/2015 को बकाया	93,19,305/-	49,52,313/-	43,66,992/-
घटाएं : कम्प्यूटरों में ले जाया गया	6,75,141/-	3,37,410/-	3,37,731/-
01/04/2015 को बकाया	86,44,164/-	46,14,903/-	40,29,261/-

कम्प्यूटरों के अंतर्गत, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों को क्रमशः मूर्त्त परिसम्पत्ति और अमूर्त्त परिसम्पत्ति में विभाजित किया गया है।

17½ पिछले वर्ष के संबंधित आंकड़ों को, यथावश्यक हो, पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

18½ अनुसूची 1 से 25 तक 31 मार्च 2016 तक के अनुसार तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखे से संबंधित और उसका अभिन्न अंग के रूप में संलग्न है।

4

Á'kklu

4-1 f'kdk;r fuokj.k
4-2 vuqlwfpr tkfr@vuqlwfpr tutkfr@ vU; fiNM+k oxZ dk dY;k.k
4-3 vYila[;dksa dk dY;k.k
4-4 jktHkk"kk dk dk;kZUo;u
4-5 lrdZrk
4-6 'kkjhfjd :i ls fodykax O;fDr;ksa dk dY;k.k

4-1 f'kdk; r fuokj.k

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में अलग से कोई शिकायत निवारण सैल नहीं है। शिकायतें, यदि कोई होती हैं, तो उनका निवारण बीईई के प्रशासन अनुभाग द्वारा किया जाता रहा है। शिकायतों के प्राप्त होते ही उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। उत्तर दिया जाता है।

lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e

वर्ष 2015-16 के दौरान, बीईई में आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने के बारे में कुल 66 आवेदन प्राप्त हुए और इन सभी का उत्तर अनुमेय समय सीमा के अंदर दे दिया गया/अंतरित कर दिया गया।

इसी अवधि के दौरान, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 08 अपीलें भी प्राप्त हुईं जिन्हें अनुमेय समय सीमा के अंदर निपटाया गया।

4-2 vuqlfpr tkfr/vuqlfpr tutkfr/vU; fiNMk oxZ dk dY;k.k

सूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व प्रोफार्मा में नीचे दिया गया है :-

chÃÃ

leg	dqy deZpkjh 31-03-2016 dks vuqlkj	Áfrfuf/kRo					
		v-tk-	v-tk-%	v-t-tk-	v-t-tk-%	vU; fiNMk oxZ	vU; fiNMk oxZ %
क	06	-	-	-	-	-	-
ख	07	-	-	-	-	-	-
ग	01	-	-	-	-	-	-
घ	–	-	-	-	-	-	-
dqy	**14**	-	-	-	-	-	-

,u,eÃÃÃ

leg	dqy deZpkjh 31-03-2016 dks vuqlkj	Áfrfuf/kRo					
		v-tk-	v-tk-%	v-t-tk-	v-t-tk-%	vU; fiNMk oxZ	vU; fiNMk oxZ %
क	06	01	16.66%-	-	-	01	16.66%-
ख	01	-	-	-	-	-	-
ग	--	-	-	-	-	-	-
घ	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-
dqy	**07**	01	14.28%	-	-	01	14.28%

4-3 vYila[;dksa dk dY;k.k

अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नीचे प्रोफॉर्मा में दिया गया है। :-

chbbl

leg	dqy deZpkjh 31-03-2016 dks vuqlkj	vYila[;dksa dk ifrfuf/kRo	vYila[;dksa dh ifr'krrk
d	06	-	-
[k	07	-	-
x	01	-	-
?k	--	-	-
dqy	**14**	-	-

,u,ebbl

leg	dqy deZpkjh 31-03-2016 dks vuqlkj	vYila[;dksa dk ifrfuf/kRo	vYila[;dksa dh ifr'krrk
d	06	-	-
[k	01	-	-
x	--	-	-
?k	लागू नहीं	-	-
dqy	**07**	-	-

4-4 jktHkk"kk dk dk;kZUo;u

सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करने के प्रयोजन हेतु, प्रति वर्ष सितंबर माह में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत नियमों के अनुसार अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने तथा पुरस्कृत करने के लिए वर्ष के दौरान, विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं और हिंदी कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया गया।

बीईई में, 14 से 28 सितंबर 2015 के दौरान हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान, छह प्रतियोगिताएं नामतः, हिंदी में निबंध प्रतियोगिता, हिंदी में टिप्पणी और प्रारूप लेखन प्रतियोगिता, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी में श्रुतलेखन, चतुर्थ श्रेणी हेतु हिंदी श्रुतलेखन तथा राजभाषा हिंदी के प्रयोग से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता एवं हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सात पुरस्कार अर्थात् प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार तथा चार सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में प्रमाणपत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए।

10 सितम्बर, 2015, 27 नवम्बर, 2015 तथा 31 मार्च 2016 को क्रमशः 20, 29 और 25 प्रतिभागियों की प्रतिभागिता के साथ 2 घंटे के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। गहन ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त विशेषज्ञ अतिथि वक्ताओं ने न केवल अपने विचारों और ज्ञान को साझा किया अपितु राजभाषा अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार अपना दैनिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने में प्रतिभागियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने में भी मदद की। कार्यशालाओं में प्रतिभागिता से सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने में काफी सहायता मिली। कार्यशाला में प्रतिभागिता के बाद, कर्मचारियों ने यूनीकोड के माध्यम से फाइलों में हिंदी में टिप्पणी टाइप करना आरंभ कर दिया। 'क' व 'ख' क्षेत्रों को हिंदी में भेजे गए पत्रों की संख्या प्रत्येक तिमाही में बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त, हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करने के लिए महानिदेशक, बीईई की अध्यक्षता में तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं।

4-5 lrdZrk

वर्ष 2015-16 के दौरान, कोई बड़ी शिकायतें प्राप्त नहीं हुईं और कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ नहीं की गई।

4-6 'kkjhfjd :Ik ls fodykax O;fDr;ksa dk dY;k.k

शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का विवरण नीचे दिए गए प्रारूप में दर्शाया गया है :

chbb

leg	dqy deZpkjh 31-03-2016 ds vuqlkj	'kkjhfjd :i ls fodykax deZpkjh				'kkjhfjd :i ls fodykax deZpkfj;ksa dk Áfr'kr
		oh,p	,p,p	vks,p	dqy	
d	06	-	-	-	-	-
[k	07	-	-	01	-	14.28 %
x	01	-	-	-	-	-
?k	--	-	-	-	-	-
dqy	**14**	-	-	**01**	-	**7.14%**

,u,ebbb

leg	dqy deZpkjh 31-03-2016 ds vuqlkj	'kkjhfjd :i ls fodykax deZpkjh				'kkjhfjd :i ls fodykax deZpkfj;ksa dk Áfr'kr
		oh,p	,p,p	vks,p	dqy	
d	06	-	-	-	-	-
[k	01	-	-	-	-	-
x	--	-	-	-	-	-
?k	ykxw ugh	-	-	-	-	-
dqy	**07**	-	-	-	-	-